सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

राज्य वित्त पर प्रतिवेदन

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए

छत्तीसगढ़ शासन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
राज्य वित्त पर प्रतिवेदन

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए

छत्तीसगढ़ शासन

विषय सूची

विवरण	*संदर्भ*	
	कंडिका	*पृष्ठ*
प्राक्कथन		iv
कार्यपालिक सारांश		v
पहला अध्याय-राज्य शासन के वित्त		
छत्तीसगढ़ का पार्श्व दृश्य		1
प्रस्तावना	1.1	2
राज्य के संसाधन	1.2	7
राजस्व प्राप्तियाँ	1.3	11
पूंजीगत प्राप्तियाँ	1.4	19
लोक लेखा प्राप्तियाँ	1.5	20
संसाधनों का उपयोग	1.6	21
व्यय की गुणवत्ता	1.7	29
सरकारी व्यय एवं निवेश का वित्तीय विश्लेषण	1.8	33
परिसंपत्तियाँ एवं दायित्व	1.9	36
ऋण प्रबंधन	1.10	41
राजकोषीय अस्थिरता	1.11	43
निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ	1.12	47
दूसरा अध्याय- वित्तीय प्रबंधन एवं बजट नियंत्रण		
प्रस्तावना	2.1	49
बजट प्रबंधन हेतु प्रक्रिया	2.2	49
विनियोग लेखे का सारांश	2.3	50
वित्तीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन	2.4	50
आकस्मिक निधि से अग्रिम	2.5	57
चयनित अनुदानों की समीक्षा	2.6	58
निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ	2.7	63
तीसरा अध्याय-वित्तीय प्रतिवेदन		
उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब	3.1	65
स्वायत्त निकायों, प्राधिकरणों तथा अनुदानग्राही संस्थानों के लेखाओं का प्रस्तुतीकरण	3.2	66
असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक देयक	3.3	67
हानि तथा गबन के प्रकरणों का प्रतिवेदन	3.4	68
व्यक्तिगत निक्षेप खाते	3.5	69
निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ	3.6	70

परिशिष्ट

परिशिष्ट क्र.	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
1.1 (अ)	छत्तीसगढ़ राज्य की रूपरेखा	राज्य का पार्श्व दृश्य	73
1.1 (ब)	सरकारी लेखे की संरचना एवं प्रारूप	1.1	74
1.1 भाग स	वित्त लेखों की रूपरेखा	1.1	74
1.2	राजकोषीय स्थिति के आंकलन हेतु अपनाई गई कार्यविधि	छत्तीसगढ़ का पार्श्व दृश्य 1.1	75
1.3	राज्य शासन के वित्त का अवधिवार आँकड़ो का विश्लेषण	1.1, 1.3, 1.4	77
1.4 (अ)	वर्ष 2013-14 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	1.1.1, 1.9.2	79
1.4 (ब)	छत्तीसगढ़ शासन की वित्तीय स्थिति का सारांश	1.1.1, 1.9.1	82
1.5	वर्ष 2013-14 के बजट आँकलन के विरूद्ध वास्तविक व्यय	1.1.3	83
1.6	वर्ष 2013-14 के दौरान महिलाओं के लिए बजट प्रावधान तथा व्यय	1.1.4	85
2.1(अ)	विवरण जहाँ प्रत्येक में ₹ 10 करोड़ से अधिक एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था	2.4.1	86
2.1(ब)	वर्ष 2013-14 के दौरान बहुत अधिक बचत (₹ 20 करोड़ तथा अधिक) का उप-शीर्ष वार विवरण	2.4.1	88
2.2	प्रकरण जहाँ अनुपुरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 लाख या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए	2.4.2	90
2.3	निधियों का आधिक्य/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन (जहां आधिक्य/बचत ₹ 20 करोड़ से अधिक है)	2.4.3	92
2.4	वर्ष के दौरान किए गए सारभूत समर्पण/विनियोग के परिणाम	2.4.4	93
2.5	वास्तविक बचत से अधिक समर्पण (प्रकरण जिसमें समर्पित राशि ₹ 50 लाख अथवा अधिक है)	2.4.5	111
2.6	विभिन्न अनुदानों/विनियोगो का विवरण जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक) अपर्याप्त सिद्ध हुआ	2.4.6	112
2.7	₹ एक करोड़ एवं अधिक के बचत जो समर्पित नहीं किये गये	2.4.6	113
2.8	31 मार्च 2014 की स्थिति में ₹ 10 करोड़ से अधिक के निधियों के समर्पण के प्रकरण	2.4.6	114

परिशिष्ट क्र.	*विवरण*	*संदर्भ*	
		कंडिका	*पृष्ठ*
2.9	विगत वर्षो के बजट प्रावधान से अधिक व्यय का नियमितीकरण वांछित	2.4.10	116
2.10	व्यय का अतिवेग	2.4.11	117
2.11	अनुदान 03 एवं 30 में अंतिम तिमाही में व्यय का तीव्र प्रवाह	2.6.7	118
2.12	अनुदान 30 के विभागीय आंकड़ो का पुनर्मिलान न किया जाना	2.6.8	119
3.1	31 मार्च 2014 की स्थिति में लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र	3.1	120
3.2	भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के कर्तव्य, शक्तियां तथा शर्तें अधिनियम के धारा 14 के तहत पहचान की गई लेखापरीक्षा योग्य ईकाईयों की सूची	3.2.1	127
3.3	वर्ष 2013-14 के अंत तक बकाया एसी देयकों का विभागवार विवरण	3.3	128
3.4	चोरी,गबन एवं शासकीय सम्पत्ति/सामग्री की कमियों के कारण शासन को हानियों के प्रकरण के संदर्भ में	3.4	129
3.5	शासन को हुई हानियों का विश्लेषण (31 मार्च 2014 की स्थिति में अंतिम कार्यवाही हेतु लंबित विश्लेषण)	3.4	130

प्राक्कथन

1 यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया।

2 इस प्रतिवेदन के प्रथम एवं द्वितीय अध्याय में 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य शासन की क्रमशः वित्त लेखों तथा विनियोग लेखों की जाँच से उद्‌भूत मामलों पर लेखापरीक्षा प्रेक्षणें सम्मिलित हैं। जहां आवश्यक थी छत्तीसगढ़ शासन से जानकारी प्राप्त की गई।

3 तृतीय अध्याय, 'वित्तीय प्रतिवेदन' पर विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है एवं राज्य सरकार की विभिन्न वित्तीय नियमों, तौर तरीकों एवं वर्तमान वर्ष में दिए गए निर्देशों की स्थिति स्पष्ट करता है।

4 प्रतिवेदन जिनमें निष्पादन लेखापरीक्षा तथा विभिन्न विभागों के लेन देन की लेखापरीक्षा तथा सांविधिक निगमों, मंडलों एवं शासकीय कंपनियाँ की लेखापरीक्षा से प्राप्त प्रेक्षण तथा प्रतिवेदन जिनमें राजस्व प्राप्तियों से संबंधित टिप्पणियाँ समाहित हैं का अलग-अलग प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

कार्यपालिक सारांश

यह प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन के 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लेखाओं की लेखापरीक्षा के आधार पर, राज्य शासन के वार्षिक लेखाओं की विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रस्तुत करता है। राज्य के वित्तीय निष्पादन का आंकलन राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2005, संशोधित 2011, बजट अभिलेखों, मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण, तेरहवें वित्त आयोग (टीएचएफसी) द्वारा अनुशंसित आर्थिक समीक्षा मानक तथा विभिन्न शासकीय विभागों एवं संगठनों से प्राप्त अन्य वित्तीय आंकड़ो के आधार पर किया गया है। प्रतिवेदन तीन अध्यायों में तैयार किया गया है।

प्रथम अध्याय, वित्त लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा 31 मार्च 2014 के स्थिति में शासन की राजकोषीय स्थिति का आंकलन करता है। यह राज्य की संपूर्ण वित्तीय स्थिति, समर्पित व्यय तथा उधार पद्धति के बजट अनुमानों के विरूद्ध वास्तविक प्राप्ति के प्रवृत्तियों पर अन्तर्दृष्टि प्रदान करता है। साथ ही यह राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को भारत सरकार द्वारा बजट के बाहर अन्य माध्यम से निधियों के हस्तांतरण का संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है।

द्वितीय अध्याय, विनियोग लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा यह अनुदानवार विनियोगों का विवरण एवं सेवा प्रदायक विभागों के द्वारा आवंटित संसाधानों के प्रबंधन की रीति प्रस्तुत करता है।

तृतीय अध्याय, विभिन्न प्रतिवेदन आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमों के प्रति छत्तीसगढ़ शासन के अनुपालन की सूची है।

लेखापरीक्षा के निष्कर्ष

प्रथम अध्याय : राज्य शासन के वित्त

राजकोषीय स्थिति

- वर्ष 2013-14 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का वृद्धि दर, तेरहवें वित्त आयोग के 12.50 प्रतिशत के लक्ष्य के विरूद्ध 13.21 प्रतिशत रहा ।
- वर्ष 2013-14 में राज्य का राजस्व घाटा ₹ 809 करोड़ था तथा वह शून्य राजकोषीय घाटा बनाये रखने में असफल रहा जैसा कि तेरहवें वित्त आयोग एवं वित्तीय प्रबंधन और बजटीय नियंत्रण में परिकल्पित किया गया था। वर्ष 2013-14 में राजकोषीय घाटा (₹ 5,057 करोड़) सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.73 प्रतिशत था, जो कि वित्तीय प्रबंधन और बजटीय नियंत्रण अधिनियम तथा तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित तीन प्रतिशत के अंतर्गत ही था।
- राजस्व प्राप्तियों (₹ 32,050) में विगत वर्ष की 14.35 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में, वर्ष 2013-14 में 8.36 प्रतिशत की वृद्धि अंकित की गई।

राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को निधियों का हस्तांतरण

- वर्ष 2013-14 में भारत सरकार ने राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राशि ₹ 4,046.30 करोड़ सीधे हस्तांतरित किया। यह निधि राज्य बजट के माध्यम से प्रदान नहीं की गई ।

व्यय प्रबंधन एवं राजकोषीय प्राथमिकताएं

- वर्ष 2013-14 में राजस्व व्यय, कुल व्यय (₹ 38,757 करोड़) का 85 प्रतिशत तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 18 प्रतिशत था। कुल राजस्व व्यय में आयोजना राजस्व व्यय का हिस्सा वर्ष 2012-13 में 46 प्रतिशत से घटकर 2013-14 में 42 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2013-14 में आयोजनेत्तर राजस्व व्यय (₹ 19,110 करोड़) में विगत वर्ष की तुलना में 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा यह राजस्व व्यय का 58 प्रतिशत था।
- वर्ष 2013-14 में पूंजीगत व्यय में विगत वर्ष की तुलना में सात प्रतिशत की कमी हुई। यह कमी मुख्यतः विद्युत परियोजनाओं, शहरी विकास तथा जलापूर्ति एवं स्वच्छता हेतु पूंजीगत व्यय में हुई।
- राज्य के द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को प्रदत्त वित्तीय सहायता, वर्ष 2012-13 में ₹ 7,043.85 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 7,650.73 करोड़ हो गई। आर्थिक सहायता पर व्यय में ₹ 1,365 करोड़ (76 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

अपूर्ण परियोजनाएं

- लोक निर्माण विभाग एवं जल संसाधन विभाग के 166 अपूर्ण परियोजनाओं पर, 31 मार्च 2014 तक व्यय राशि ₹ 4,198 करोड़ निष्फल रही।

शासकीय निवेशों का प्रतिफल

- 31 मार्च 2014 की स्थिति में, छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा शासकीय कम्पनियों, सहकारी संस्थाओं, बैंकों आदि में ₹ 1,866.44 करोड़ का निवेश किया गया। वर्ष के दौरान शासन के 6.12 प्रतिशत के ऋण लागत के विरूद्ध निवेश का प्रतिफल (₹ 14.21 करोड़) 0.76 प्रतिशत था।

राजकोषीय दायित्व

- वर्ष 2013-14 में राज्य के राजकोषीय दायित्वों (₹ 24,902 करोड़) में, विगत वर्ष की तुलना में 29.24 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई। विगत वर्ष के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 11.79 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष राजकोषीय दायित्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 13.46 प्रतिशत था।

ऋण प्रबंधन

- उधार निधियों की कुल उपलब्धता, वर्ष 2012-13 में ₹ 1,012 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 4,283 करोड़ हो गई। ब्याज भुगतान का राजस्व प्राप्ति से अनुपात वर्ष 2012-13 में 3.90 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2013-14 में 4.22 प्रतिशत हो गया।

द्वितीय अध्यायः वित्तीय प्रबंधन एवं बजट नियंत्रण

- वर्ष 2013-14 में ₹ 10,171.76 करोड़ की अत्यधिक बचत हुई, जो कि त्रुटिपूर्ण बजट प्राक्कलन को इंगित करता है। सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं से संबंधित 10 अनुदानों में विगत पांच वर्षों से सतत् बचत देखा जा रहा है।

आकस्मिकता निधि से अग्रिम

- वर्ष 2013-14 में आकस्मिकता निधि से 13 अवसरों पर ₹ 32.84 करोड़ के अग्रिम का आहरण उन व्ययों की पूर्ति के लिये किया गया जो तो न अदृष्ट प्रकृति के थे न ही आकस्मिक प्रकृति के।

वर्ष 2013-14 में प्रावधानों से अधिक व्यय का अपेक्षित नियमितिकरण

- वर्ष 2013-14 के दौरान पांच अनुदानों/विनियोगों में राशि ₹ 178.96 करोड़ का, प्रावधानों से अधिक व्यय किया गया जिसका भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के तहत नियमितिकरण अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त 2000-13 की अवधि के दौरान राशि ₹ 2,134.43 करोड़ के अधिक व्यय का नियमितिकरण अब भी अपेक्षित है।

तृतीय अध्याय : वित्तीय प्रतिवेदन

अनुदानों के लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र

- राज्य शासन द्वारा प्रदत्त राशि ₹ 8,864.38 करोड़ के अनुदानों के संबंध में अनुदान ग्रहीता संस्थाओं से अत्यधिक संख्या में उपयोगिता प्रमाण-पत्र (14,902) अपेक्षित हैं, जो कि संबंधित विभागों के द्वारा अनुदानों के उपयोगिता की उचित निगरानी में कमी को इंगित करता है।

संक्षिप्त आकस्मिक देयकों पर निधियों का आहरण

- मार्च 2014 की स्थिति में विस्तृत आकस्मिक देयकों के प्रस्तुत न किये जाने के कारण, 2012-14 की अवधि में आहरित राशि ₹ 63.13 करोड़ के संक्षिप्त आकस्मिक देयक लंबित हैं।

व्यक्तिगत निक्षेप लेखा का संधारण

- मार्च 2014 के अंत तक 322 व्यक्तिगत निक्षेप (पीडी) लेखाओं में ₹ 1,665.62 करोड़ का अंतिम शेष था। छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पीडी लेखाओं को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् भी जारी रखा गया।

प्रथम अध्याय

राज्य शासन का वित्त

छत्तीसगढ़ का पार्श्व दृश्य

भारत के मध्य भाग में स्थित छत्तीसगढ़ राज्य भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टिकोण से 10वां सबसे बड़ा राज्य (1,35,191 वर्ग कि.मी.)[1] है और जनसंख्या के दृष्टिकोण से 16वां सबसे बड़ा राज्य (2.55 करोड़) है। राज्य की जनसंख्या 2001 में 2.08 करोड़ थी जो 22.59 प्रतिशत की दशकीय वृद्धि दर से वर्ष 2011 में 2.55 करोड़ (अस्थायी आंकड़े) हो गई जैसा कि **परिशिष्ट 1.1 (अ)** में दर्शाया गया है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की जनसंख्या 39.93[2] प्रतिशत थी जो अखिल भारत के औसत 21.92 प्रतिशत से अधिक है। वर्ष 2013-14 में राज्य के वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 1,85,060 करोड़ था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की साक्षरता दर 71.04 प्रतिशत (81.45 प्रतिशत पुरूष एवं 60.59 प्रतिशत महिला) थी, जो अखिल भारत के औसत 74.04 प्रतिशत (82.14 प्रतिशत पुरूष एवं 65.46 प्रतिशत महिला) से कम थी। राज्य से सम्बन्धित सामान्य आंकड़े **परिशिष्ट 1.1 (अ)** में दर्शाये गये हैं। वर्ष 2013-14 के दौरान वर्तमान मूल्यों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय ₹ 58,297 थी।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)

सकल राज्य घरेलू उत्पाद एक निश्चित अवधि में राज्य के अन्दर आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त समस्त उत्पादित अंतिम उत्पाद और सेवाओं का बाजार मूल्य है। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण सूचक है, जो राज्य की आबादी के रहन-सहन के स्तर को दर्शाता है। वर्तमान मूल्यों पर भारत के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्ति नीचे दर्शायी गई है।

वर्तमान मूल्यों पर कारक लागत पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
भारत का सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	61,08,903	72,48,860	83,91,691	93,88,876	104,72,807
सकल घरेलू उत्पाद का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	15.18	18.66	15.77	11.88	11.54
राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	99,364	1,19,420	1,44,382[P]	1,63,461[Q]	1,85,060[A]
सकल राज्य घरेलू उत्पाद का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	2.47	20.18	20.90	13.21	13.21

(स्रोतः 1 अगस्त 2014 की स्थिति में सांख्यिकि एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट) ए - (एडवांस), क्यू (क्विक), पी (प्रोविजनल)

वर्ष 2013-14 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में, 13 वें वित्त आयोग द्वारा इस वर्ष के लिए 12.50 प्रतिशत घोषित लक्ष्य के विरूद्ध 13.21 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई। वर्ष 2010-11 से 2013-14 के दौरान छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू

[1] छत्तीसगढ़ शासन आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा प्रदत्त आंकड़े।

[2] योजना आयोग के जुलाई 2013 के बी पी एल 2011-12 के प्रेस नोट के अनुसार, तेंदुलकर विधि द्वारा गरीबी रेखा के नीचे।

उत्पाद की वृद्धि दर भारत के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से अधिक थी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के स्रोत में तृतीयक क्षेत्र का निरन्तर रूप से वर्चस्व रहा और यह वर्ष 2013-14 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 40.47 प्रतिशत रहा। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के शेष 59.53 प्रतिशत में, 29.61 प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र एवं 29.92 प्रतिशत द्वितीय क्षेत्र का योगदान था। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद से संबंधित क्षेत्रवार आंकड़े **परिशिष्ट 1.2** में दर्शाया गया है।

1.1 प्रस्तावना

यह अध्याय वर्ष 2013-14 के दौरान छत्तीसगढ़ शासन के वित्त का व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत करता है। यह पूर्व वर्षों के समग्र प्रवृत्तियों को ध्यान मे रखते हुए प्रमुख राजकोषीय संचयों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों को विश्लेषित करता है। शासन के लेखे की संरचना एवं रूपरेखा **परिशिष्ट 1.1 (ब)** में दर्शायी गई है और वित्तीय लेखे की रूपरेखा **परिशिष्ट 1.1 भाग (स)** में दर्शायी गई है। यह विश्लेषण शासन से प्राप्त जानकारी एवं राज्य के वित्त लेखे के आधार पर किया गया है।

शासन के राजकोषीय स्थिति के आंकलन के लिए अपनायी गई पद्धति का वर्णन **परिशिष्ट 1.2** में दिया गया है। राज्य शासन के वित्त के विगत पांच वर्षो के कालबद्ध आंकड़ो का वर्णन **परिशिष्ट 1.3** में दिया गया है।

1.1.1 वर्ष 2013-14 में राजकोषीय लेन देन का सारांश

तालिका 1.1, पिछले वर्ष (2012-13) के सापेक्ष चालू वर्ष (2013-14) के दौरान राज्य शासन के राजकोषीय लेन-देन के सारांश को दर्शाता है, जबकि **परिशिष्ट 1.4 (अ एवं ब)** चालू वर्ष के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति के साथ साथ प्राप्ति एवं संवितरण का विवरण प्रस्तुत करता है।

तालिका 1.1 2013-14 में राजकोषीय प्रचालन का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां			संवितरण				
अनुभाग अः राजस्व	2012-13	2013-14	अनुभाग अः राजस्व	2012-13	2013-14		
					आयोजनेत्तर	आयोजना	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
राजस्व प्राप्तियां	**29,578.09**	**32,050.26**	**राजस्व व्यय**	**26,971.84**	**19,109.80**	**13,749.77**	**32,859.57**
कर राजस्व	13,034.21	14,342.71	सामान्य सेवाएं	6,649.31	7,773.26	77.89	7,851.15
कर भिन्न राजस्व	4,615.95	5,101.17	सामाजिक सेवाएं	11,456.42	4,553.35	9,728.75	14,282.10
संघीय करों/ शुल्कों का हिस्सा	7,217.60	7,880.22	आर्थिक सेवाएं	8,011.66	5,812.80	3,943.13	9,755.93
भारत सरकार से अनुदान	4,710.33	4,726.16	सहायता अनुदान/अंशदान	854.45	970.39	0.00	970.39
अनुभाग बः पूँजीगत							
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	**2.39**	**7.64**	**पूँजीगत व्यय**	**4,919.33**	-0.74	4574.93	**4,574.19**
ऋणों तथा अग्रिमों की वसूलियाँ	**1,542.01**	**1,637.27**	**संवितरित ऋण तथा अग्रिम**	**1,888.79**	9.58	1,308.95	**1,318.53**

1	2	3	4	5	6	7	8
अंतर्राज्यीय समायोजन	1.53	5.14	अंतर्राज्यीय समायोजन	(-) 0.80			5.30
लोक ऋण प्राप्तियाँ	2,057.73	3,931.89	लोक ऋण अदायगी	1,039.29			689.65
आकस्मिकता निधि	0.00	0.00	आकस्मिकता निधि	0.00			0.00
लोक लेखा प्राप्तियाँ	39,579.40	45,867.54	लोक लेखा संवितरण	38,526.62			43,434.15
प्रारंभिक रोकड़ शेष	2,700.86	2,116.94	अंतिम रोकड़ शेष	2,116.94			2,735.29
योग	75,462.01	85,616.68	योग	75,462.01			85,616.68

(स्त्रोतःराज्य शासन के वर्ष 2013-14 के वित्त लेखें)

वर्ष 2013-14 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नानुसार है :

- राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष से ₹ 2,472 करोड़ (आठ प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वृद्धि का प्रमुख कारण विगत वर्ष की तुलना में स्वंय के कर राजस्व (ओटीआर) में ₹ 1,309 करोड़ (10 प्रतिशत), करेत्तर राजस्व (एनटीआर) में ₹ 485 करोड़ (11 प्रतिशत) एवं संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा में ₹ 663 करोड़ (9 प्रतिशत) वृद्धि था। यद्यपि पिछले वर्ष के तुलना में भारत सरकार से सहायता अनुदान में ₹ 16 करोड़ (0.34 प्रतिशत) की मामूली वृद्धि हुई।

- 13वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित स्वंय के कर राजस्व (₹ 12,735.43 करोड़) और करेत्तर राजस्व (₹ 2,811.44 करोड़) के नियामक आंकलन के विरूद्ध राज्य के स्वंय के कर और करेत्तर राजस्व की वास्तविक प्राप्ति क्रमशः ₹ 14,342.71 करोड़ (112.62 प्रतिशत) और ₹ 5,101.17 करोड़ (181.44 प्रतिशत) थी। इस प्रकार ओटीआर और एनटीआर का वास्तविक संग्रहण 13वें वित्त आयोग द्वारा बनाए गए मानक आंकलन से अधिक था।

- विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान सामान्य सेवाओं पर व्यय में ₹ 1,202 करोड़ (18 प्रतिशत), सामाजिक सेवाओं पर व्यय में ₹ 2,826 करोड़ (25 प्रतिशत) और आर्थिक सेवाओं पर व्यय में ₹ 1,744 करोड़ (22 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण राजस्व व्यय में ₹ 5,888 करोड़ (22 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

- पिछले वर्ष की तुलना में पूंजीगत परिव्यय में ₹ 345 करोड़ (सात प्रतिशत) की कमी मुख्यतः निम्न शीर्षो के अंतर्गत पूंजीगत व्यय में कमी के कारण हुई नागर विमानन, आवास, सूचना एवं प्रसारण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विद्युत परियोजनाएं, पर्यटन, शहरी विकास, ग्राम एवं लघु उद्योग, जलापूर्ति एवं स्वच्छता तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण ।

- यद्यपि वर्ष के दौरान ऋण एवं अग्रिमों की वसूली में ₹ 95 करोड़ (छः प्रतिशत) की वृद्धि हुई तथापि ऋण एवं अग्रिमों के संवितरण में ₹ 570 करोड़ (30 प्रतिशत) की कमी हुई।

- इस वर्ष के दौरान लोक ऋण प्राप्तियों (₹ 3,931.89 करोड़) में ₹ 1,874 करोड़ की वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण वर्ष 2013-14 में ₹ 3,000 करोड़ का बाजार ऋण था। पिछले वर्ष ₹ 1,039.29 करोड़ की ऋण अदायगी की तुलना में इस वर्ष लोक ऋण की अदायगी (₹ 689 करोड़) में ₹ 350 करोड़ की कमी हुई।
- पिछले वर्ष की तुलना में लोक लेखा प्राप्तियां एवं संवितरण में क्रमशः ₹ 6,288 करोड़ एवं ₹ 4,908 करोड़ की वृद्धि हुई। इस प्रकार, शुद्ध लोक लेखा प्राप्तियों में ₹ 1,380 करोड़ की वृद्धि हुई।
- उपरोक्त लेन-देन के निबल प्रभाव के कारण विगत वर्ष की अपेक्षा 2013-14 के अन्त तक रोकड़ शेष में ₹ 618 करोड़ की वृद्धि हुई।

1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुपालन में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2005 संशोधित सितम्बर 2011, राजस्व घाटे के क्रमिक उन्मूलन, राजकोषीय घाटे में कमी, दक्षपूर्ण ऋण प्रबंधन के साथ राजकोषीय स्थिरता तथा शासन के राजकोषीय प्रचालनों में अधिक पारदर्शिता एवं मध्यावधिक राजकोषीय ढांचे में राजकोषीय नीति के संचालन के माध्यम से राजकोषीय प्रबंधन तथा राजकोषीय स्थिरता में दक्षता सुनिश्चित करने हेतु पारित किया गया।

तेरहवें वित्त आयोग ने एक राजकोषीय सुदृढ़ीकरण मानचित्र निर्धारित किया है। जिसके अनुसार वर्ष 2007-08 में जिन राज्यों का राजस्व घाटा शून्य था अथवा उन्होंने राजस्व आधिक्य प्राप्त कर लिया था, उनके लिये यह आवश्यक था कि वे वर्ष 2011-12 तक राजस्व घाटे को समाप्त करें तथा तत्पश्चात् राजस्व शेष को बनाये रखें अथवा आधिक्य प्राप्त करें। साथ ही सामान्य श्रेणी के राज्य जिन्होंने 2007-08 में शून्य राजस्व घाटा अथवा राजस्व आधिक्य को प्राप्त कर लिया था, उन राज्यों को वर्ष 2011-12 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत राजकोषीय घाटा प्राप्त करना है एवं इसके पश्चात् इसे बनाए रखना है। राज्यों के लिए यह भी आवश्यक था कि वे अपने एफआरबीएम अधिनियम का संशोधन राजकोषीय सुधार क्रम के अनुरूप करें। वर्ष 2007-08 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य का ₹ 3,039 करोड़ का राजस्व आधिक्य था।

राज्य शासन ने सितम्बर 2011 में, छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2011 पारित किया। इस अधिनियम के अनुसार राज्य शासनः

- वित्तीय वर्ष 2011-12 के प्रारम्भ से 2014-15 तक प्रत्येक वर्ष, शून्य राजस्व घाटा रखेगा,
- वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक प्रत्येक वर्ष वास्तविक राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का तीन प्रतिशत तक बनाये रखेगा,
- कुल बकाया ऋण को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में बनाये रखेगा तथा;
- वर्ष 2011-12 से प्रारम्भ किसी वित्तीय वर्ष के लिए अतिरिक्त कुल दायित्व जीएसडीपी के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

13वें वित्त आयोग की अनुशंसा और राज्य के एफआरबीएम अधिनियम द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर बजट में निर्धारित प्रमुख राजकोषीय संकेतक **तालिका 1.2** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.2 2013-14 के लिए मुख्य राजकोषीय पूर्वानुमान

(₹ करोड़ में)

राजकोषीय पुर्वानुमान	2013-14				
	13वें वित्त आयोग के लक्ष्य	एफआरबीएम अधिनियम में प्रस्तावित लक्ष्य	बजट के अनुसार लक्ष्य	एमटीएफपीएस में प्रावधान	वास्तविक
राजस्व घाटा (-) आधिक्य (+)	0.00	0.00	(+) 2,428.67	(+) 2,428.67	(-) 809.31
राजकोषीय घाटा (-)/आधिक्य (+)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत राजकोषीय घाटा बनाये रखना	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत राजकोषीय घाटा बनाये रखना	(-) 5,145.28	(-) 5,145.28	(-) 5,057.28 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.73 प्रतिशत)
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में बकाया कर्ज	23.50	23.50	बजट में उल्लेखित नहीं	14.16	13.46

(स्त्रोतः एफआरबीएम अधिनियम दस्तावेज, तेरहवाँ वित्त आयोग प्रतिवेदन, बजट और राज्य वित्त लेखें 2013-14)

जैसा कि **तालिका 1.2** से स्पष्ट है कि वर्ष 2013-14 के दौरान तेरहवें वित्त आयोग एवं एफआरबीएम द्वारा निर्धारित शून्य राजस्व घाटे के लक्ष्य के विरूद्ध राज्य के पास ₹ 809.31 करोड़ का राजस्व घाटा था। वर्ष 2013-14 के दौरान बजट अनुमान एवं मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण (एमटीएफपीएस) में ₹ 2,428.67 करोड़ के आधिक्य का प्रावधान था।

वर्ष 2013-14 के दौरान राजस्व व्यय में ₹ 5,888 करोड़ (22 प्रतिशत) की वृद्धि, राजस्व प्राप्तियों में ₹ 2,472 करोड़ (आठ प्रतिशत) की वृद्धि से अधिक थी जिससे राजस्व घाटा की स्थिति उत्पन्न हुई।

वर्ष 2012-13 के ₹ 2,606 करोड़ के राजस्व आधिक्य की स्थिति से वर्ष 2013-14 में ₹ 809 करोड़ के राजस्व घाटे की स्थिति में परिवर्तन राजकोषीय घाटा वर्ष 2013-14 में (₹ 5,057 करोड़) वर्ष 2012-13 के ₹ 2,655 करोड़ में ₹ 2,402 करोड़ की वृद्धि के कारण थी।

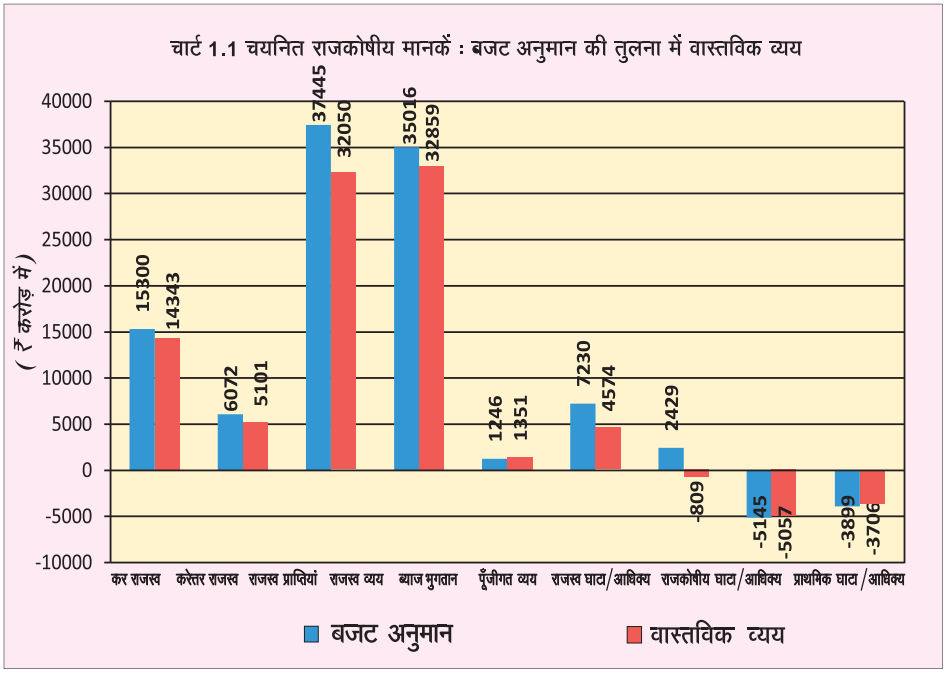
कुल बकाया ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 13.46 प्रतिशत था जो कि 13वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य (23.50 प्रतिशत) एवं एफआरबीएम प्रकटीकरण के लक्ष्य (14.16 प्रतिशत) के अन्दर ही था।

1.1.3 बजट अनुमान एवं वास्तविकताएँ

राज्य शासन द्वारा प्रस्तुत बजट अभिलेख, एक विशिष्ट राजकोषीय वर्ष हेतु राजस्व एवं व्यय के प्रायोजनों एवं अनुमानों का विवरण प्रस्तुत करता है। समग्र आर्थिक प्रबंधन हेतु राजकोषीय नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के परिपेक्ष्य में, राजस्व एवं व्यय के आंकलन में शुद्धता की महत्ता को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। बजट अनुमानों से विचलन

वांछित राजाकोषीय उद्देश्यों की विभिन्न कारणों से जिनमें से कुछ शासन के नियंत्रण में है तथा कुछ नियंत्रण के बाहर है, की अप्राप्ति तथा अनुप्रयोग को इंगित करता है।

वर्ष 2013-14 के लिए बजट अनुमान के सापेक्ष वास्तविक प्राप्ति का विवरण **परिशिष्ट 1.5** में दर्शाया गया है। **चार्ट 1.1** कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय मापदण्डों हेतु बजट अनुमान एवं वास्तविक प्राप्ति का तुलनात्मक विवेचना प्रस्तुत करता है।



(स्त्रोतः राज्य शासन के वित्त लेखे 2013-14 एवं बजट अनुमान 2013-14)

ऊपर दिया गया चार्ट यह दर्शाता है कि वर्ष 2013-14 के दौरान ब्याज भुगतान को छोड़कर वास्तविक प्राप्तियां एवं व्यय राज्य शासन द्वारा बनाए गए बजट अनुमान से कम था।

वास्तविक राजस्व प्राप्तियों में ₹ 5,395 करोड़ (14 प्रतिशत) की कमी का कारण मुख्यतः, बजट अनुमान से स्वंय के कर एवं करेत्तर राजस्व में ₹ 1,928 करोड़ (नौ प्रतिशत) एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में ₹ 2,753 करोड़ (37 प्रतिशत) की कम प्राप्तियां थी।

राजस्व व्यय में ₹ 2,157 करोड़ की कमी का कारण बजट अनुमान के विपरित सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत ₹ 1,524 करोड़ (10 प्रतिशत) एवं आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत ₹ 980 करोड़ (9 प्रतिशत) की कमी थी।

शासन का पूंजीगत व्यय बजट अनुमान से ₹ 2,656 करोड़ कम था जिसका कारण सामान्य सेवाओं में ₹ 835 करोड़ एवं आर्थिक सेवाओं में ₹ 1,780 करोड़ का कम व्यय था जो कि राज्य के लिए चिंता का विषय है।

1.1.4 जेण्डर बजट

राज्य का जेण्डर बजट सम्पूर्ण बजट के अन्तर्गत उन प्रस्तावित योजनाओं पर व्यय को दर्शाता है, जो महिलाओं को आंशिक या पूर्ण रूप से लाभान्वित करने के लिए बनाया गया है। जेण्डर बजट का पृथक भाग बजट (2013-14) के साथ् प्रस्तुत किया गया था जिसमें विभित्र योजनाओं में महिलाओं एवं बालिकाओं से संबंधित बजट प्रावधान का वर्णन किया गया था। जेण्डर बजट अभिलेख के अनुसार, जेण्डर बजट से संबंधित योजनाओं को दो वर्गो में विभक्त किया गया था (1) वे योजनाएं जिसमें 100 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित था (2) वे योजनाएं जिनमें कम से कम 30 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित था।

वर्ष 2013-14 के दौरान महिलाओं के लाभार्थ 16 विभागों[3] में (वर्ग एक से 32 योजनाएं एवं वर्ग दो से 107 योजनाएं) बजट प्रावधान किया गया था ।

जेण्डर बजट दस्तावेज के अनुसार, बजट अनुमानों का विवरण, कुछ योजनाओं के संबंध में विनियोग लेखे के अनुसार निधि का प्रावधान तथा वास्तविक व्यय का विवरण **परिशिष्ट 1.6** में दिया गया है।

- वर्ष 2013-14 के जेण्डर बजट के अनुसार 24 योजनाओं हेतु जैसा कि **परिशिष्ट 1.6** में वर्णित है ₹ 667.99 करोड़ का अनुमानित प्रावधान किया गया था जिसके विरूद्ध ₹ 804.94 करोड़ वास्तविक रूप से जारी किया गया तथा ₹ 879.75 करोड़ का व्यय किया गया।
- 2013-14 के दौरान ''कन्याओं के बुनियादी स्तर पर शिक्षण के राष्ट्रीय कार्यक्रम'' को राज्य में लागू न किये जाने से जैसा कि जेण्डर बजट में परिकल्पित किया गया था कुल प्रावधानित राशि ₹ 5.80 करोड़ व्यय नहीं किये गये थे।

1.2 राज्य के संसाधन

1.2.1 वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन

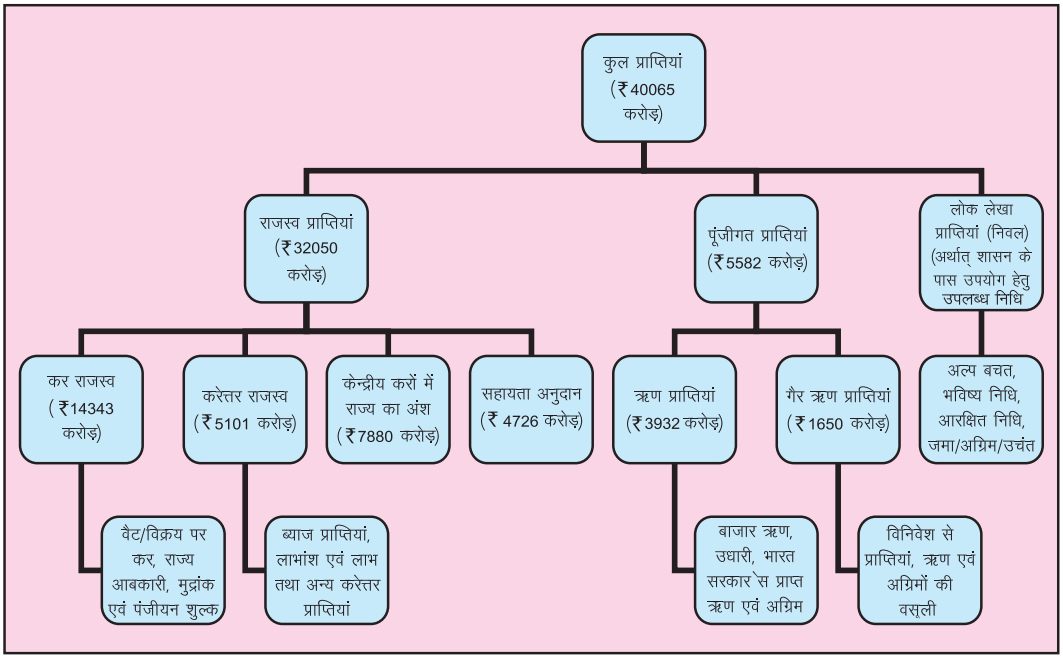
राज्य के संसाधन, राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों के दो स्त्रोत से निर्मित हैं। राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत कर राजस्व, करेत्तर राजस्व संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान शामिल है। पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां जैसे विनिवेश से प्राप्तियां, ऋण एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्त्रोत से ऋण प्राप्ति (बाजार से ऋण एवं वित्तीय संस्थानों/ वाणिज्यिक बैंकों से उधार) भारत सरकार से अग्रिम एवं ऋण सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त लोक लेखा में संवितरण के पश्चात् उपलब्ध धनराशि का उपयोग भी शासन अपने घाटे के वित्तीय पूर्ति

[3] कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, खाद्य एवं नागरीक आपूर्ति विभाग, वन विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, श्रम विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, पंचायत एवं ग्रामिण विकास विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, तकनिकी शिक्षा एवं जन नियोजन विभाग, अनुसूचित जनजाति विकास विभाग, ग्रामोद्योग विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग।

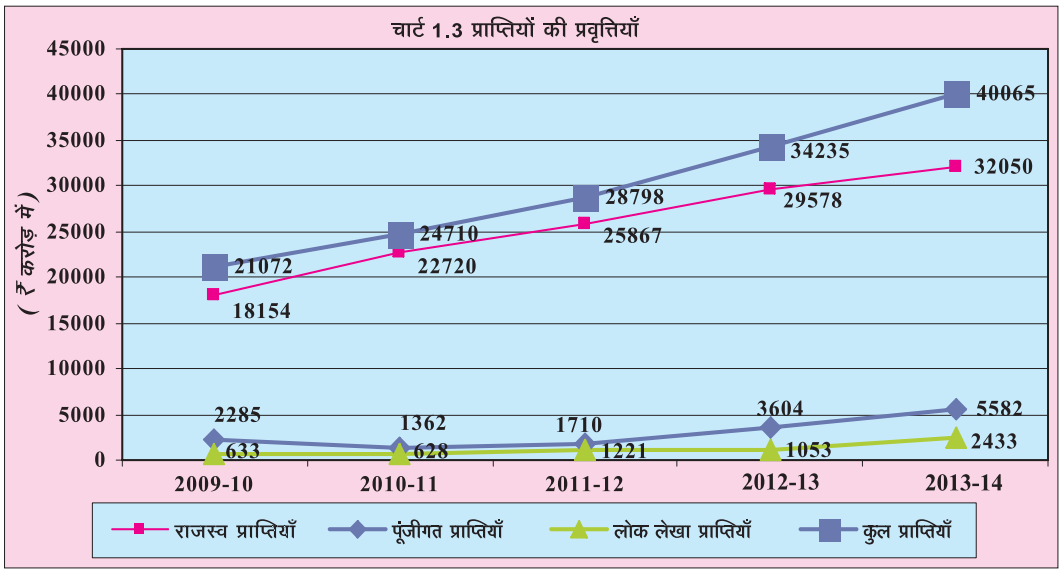
के लिये करता है। **तालिका 1.1** (पृष्ठ क्रमांक 2) वर्ष 2013-14 में राज्य की प्राप्तियां एवं संवितरणों, जैसा कि उसके वार्षिक वित्तीय लेखे में अंकित है, को **चार्ट 1.1** में प्रस्तुत किया गया है। **चार्ट 1.2** में वर्ष 2013-14 में राज्य के संसधानों के घटक एवं उन घटकों को प्रदर्शित करने वाला फ्लोचार्ट प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान राज्य के प्राप्तियों के विभित्र घटकों की प्रवृत्ति का चित्रण **चार्ट 1.3** में किया गया है।

चार्ट 1.2 राज्य के संसाधनों के घटकों एवं उपघटकों का फ्लोचार्ट

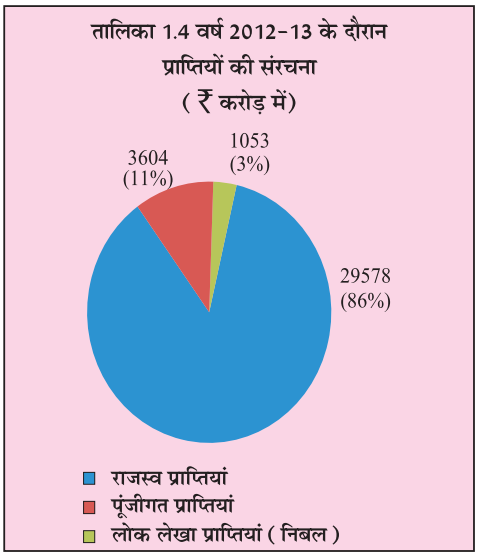
(₹ करोड़ में)

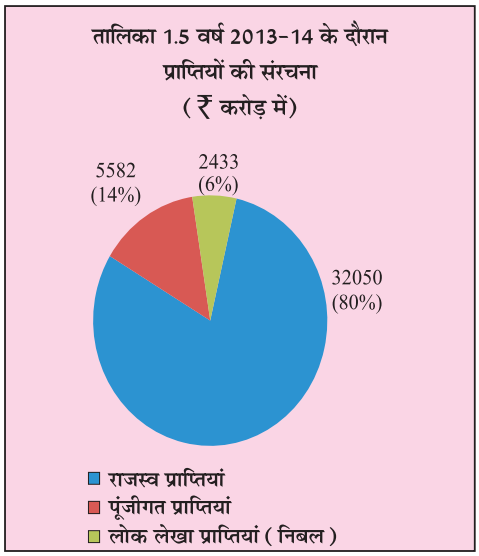


(स्रोतः वित्त लेखें 2013-14)



(स्त्रोत : संबंधित वर्षो के वित्त लेखे)





(स्रोतः वित्त लेखे 2012-13 और 2013-14)

चार्ट 1.2 से **चार्ट 1.5** में यह देखा जा सकता है किः-

- राज्य की कुल प्राप्तियां वर्ष 2009-10 में ₹ 21,072 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 40,065 करोड़ हो गया जो राजस्व प्राप्तियों में ₹ 13,896 करोड़, पूंजीगत प्राप्तियां में ₹ 3,297 करोड़ एवं शुद्ध लोक लेखे प्राप्तियां में ₹ 1,800 करोड़ की वृद्धि के कारण था।
- वर्ष 2009-14 के दौरान कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों की हिस्सेदारी 89 प्रतिशत से 94 प्रतिशत के बीच अस्थिर रहा। शुद्ध लोक लेखा प्राप्तियों एवं पूंजीगत प्राप्तियों में तुलनात्मक उच्चत्तर वृद्धि के कारण यह वर्ष 2011-12 में 94 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2012-13 में 89 प्रतिशत एवं 2013-14 में 85 प्रतिशत हो गई।
- पिछले वर्ष की तुलना में आन्तरिक ऋण में वृद्धि के कारण वर्ष 2013-14 में ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में 91 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- शुद्ध लोक लेखा प्राप्तियां वर्ष 2012-13 में ₹ 1,053 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 2,433 करोड़ हो गई।

1.2.2 राज्य बजट से अलग राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को राशि का हस्तांतरण

भारत सरकार द्वारा निधियों का एक बड़ा हिस्सा विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र की योजनाओं एवं कार्यक्रमों जिन्हें अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है के क्रियान्वयन हेतु सीधे राज्य क्रियान्वयन एजेंसीयों[4] को हस्तांतरित कर दिया जाता है। वर्तमान प्रक्रिया में इन निधियों का संचरण राज्य बजट/राज्य कोषागार प्रणाली के माध्यम से नहीं होता है। इसलिए निधियों के व्यय राज्य के वित्त लेखे में नहीं दर्शाया जाता है। अतएव, वार्षिक

[4] राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों में गैर सरकारी संगठन को मिलाकर एसे संगठन/संस्थान सम्मिलित है जो कि राज्य में विशिष्ट कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार से निधि प्राप्त करने हेतु राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत होते है।

वित्त लेखा राज्य के संसाधनों का संपूर्ण चित्रण प्रस्तुत नहीं करता है। संपूर्ण संसाधन की उपलब्धता का समग्र रूप से चित्रण करने हेतु राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित की गई निधि को **तालिका 1.3** में दर्शाया गया है।

वर्ष 2012-13 में राशि ₹ 4,497.58 करोड़ की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 4,046.30 करोड़ की केन्द्रीय निधि, राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित की गई, जिससे कि पिछले वर्ष की तुलना में निधियों के सीधे हस्तांतरण में ₹ 451.28 करोड़ (10 प्रतिशत की) कमी हुई। वर्ष 2013-14 के दौरान कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के संबंध में भारत सरकार के द्वारा प्रमुख राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को निधियों के सीधे हस्तांतरण की स्थिति **तालिका 1.3** में प्रदर्शित की गई है।

तालिका 1.3 राज्य के प्रमुख क्रियान्वयन एजेंसीयों को सीधे हस्तांतरित निधि

(₹ करोड़ में)

कार्यक्रम का नाम	राज्य में क्रियान्वयन एजेंसी का नाम	भारत सरकार द्वारा विमुक्त की गई निधियाँ			
		2011-12	2012-13	2013-14	विगत वर्ष के तुलना में वृद्धि/कमी (-)
महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	1,638.56	2,031.36	1,446.02	(-) 585.34 (-29)
सर्व शिक्षा अभियान	मिशन संचालक, राजीव गाँधी शिक्षा मिशन	698.70	850.16	767.00	(-) 83.16 (-10)
ग्रामीण आवास-इंदिरा आवास योजना	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	258.32	167.94	503.27	335.33 (200)
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम तथा जे. आई.आई. टी) केन्द्रीय प्रायोजित	मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	362.72	217.82	264.82	47.00 (22)
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए)	मिशन संचालक, राजीव गाँधी शिक्षा मिशन	344.70	308.97	186.93	(-) 122.04 (-40)
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	139.06	168.23	119.81	(-) 48.42 (-29)
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	राज्य कृषि प्रबंधन विस्तार प्रशिक्षण (एस.ए.एम.ई.टी.आई)	56.25	52.67	79.46	26.79 (51)
एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	91.00	9.73	30.05	20.32 (209)
आजीविका- स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एस.जी.एस.वाई/एन.आर.एल.एम	जिला ग्रामीण विकास प्राधीकरण	66.18	92.99	37.66	(-) 55.34 (- 60)

(स्त्रोतः वित्त लेखे 2013-14 के परिशिष्ट सात)
(कोष्टक में दिये गये आंकड़े प्रतिशत में बदलाव को दर्शाते है)

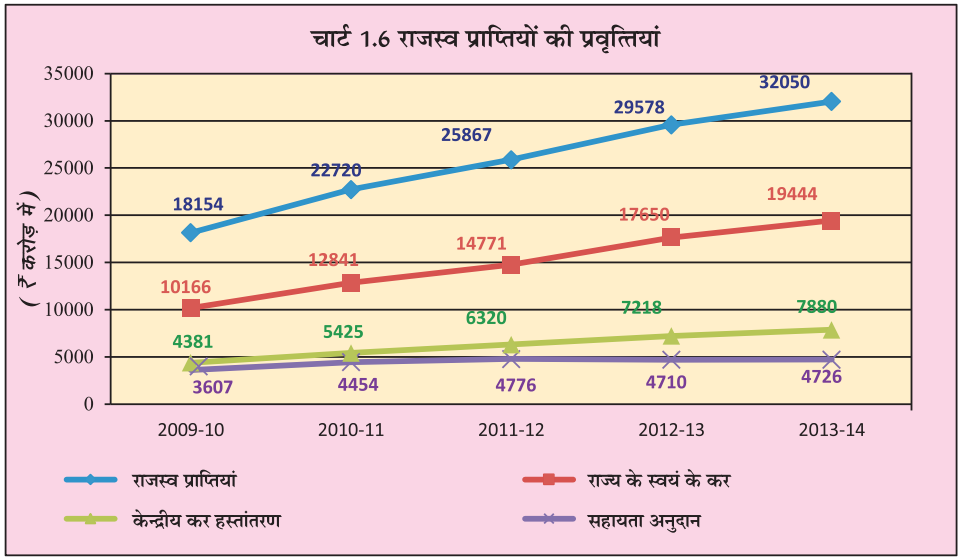
क्रियान्वयन एजेंसियों के पास व्यय न की गई शेष राशि, जो कि शासकीय लेखे से बाहर रही एवं योजनाओं के दोहराव की स्थिति सुनिश्चित करने योग्य नहीं थी।

राज्य क्रियान्वयन एजेंसी को भारत सरकार से निधियों के सीधे हस्तांतरण से इन एजेंसीयों द्वारा उन निधियों का अनुचित उपयोग का जोखिम बना रहता है। जब तक इन सभी एजेंसीयों के द्वारा अभिलेखों का उचित संधारण एवं व्यय का प्रतिवेदन समय पर राज्य शासन तथा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रेषित करने के साथ समान

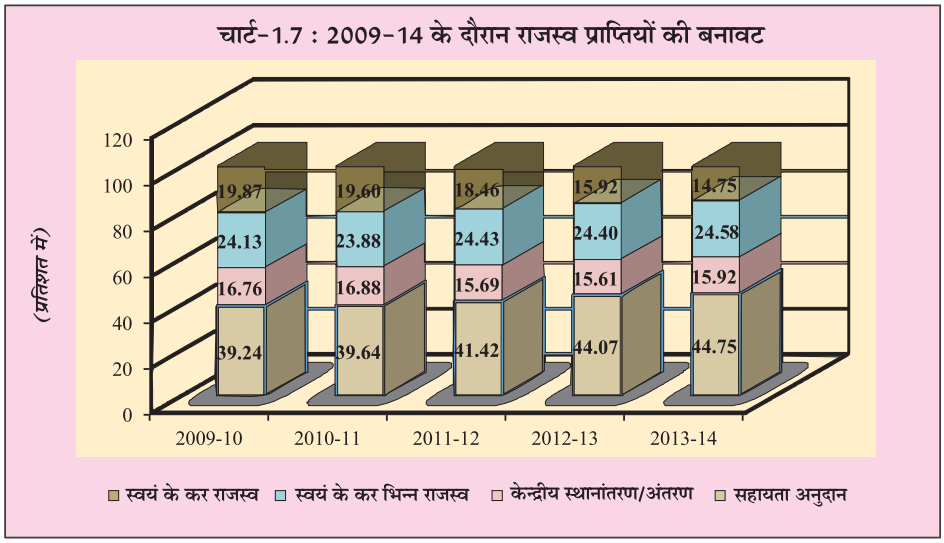
लेखांकन पद्धति का अनुपालन नहीं किया जाता तब तक इन प्रत्यक्ष हस्तांतरणों के अंतिम उपयोग की निगरानी कठिन होगी।

1.3 राजस्व प्राप्तियां

वित्त लेखे का विवरण क्रमांक 11, शासन के राजस्व प्राप्तियों का विवरण प्रस्तुत करता है। राजस्व प्राप्तियों में राज्य का स्वंय के कर एवं करेत्तर राजस्व, केन्द्रीय करों का हस्तांतरण एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान शामिल है। वर्ष 2009-14 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों की संरचना एवं प्रवृत्ति क्रमशः **परिशिष्ट 1.3** और **चार्ट 1.6** एवं **1.7** में दर्शाया गया है।



(स्त्रोतः संबंधित वर्षो के वित्त लेखे)



(स्त्रोतः संबंधित वर्षो के वित्त लेखे)

चार्ट से यह स्पष्ट है कि:

- राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2009-10 में ₹ 18,154 करोड़ से 2013-14 में ₹ 32,050 करोड़ की प्रगामी वृद्धि देखी गई तथा विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2013-14 में आठ प्रतिशत (₹ 2,472 करोड़) की वृद्धि हुई।
- जबकि 2013-14 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 61 प्रतिशत राज्य के स्वयं के संसाधन जिसमें कर एवं करेत्तर राजस्व शामिल है, से प्राप्त हुआ। शेष 39 प्रतिशत में केन्द्रीय कर हस्तांतरण एवं सहायता अनुदान का सम्मिलित योगदान रहा।
- वर्ष 2013-14 के दौरान कर राजस्व में 10 प्रतिशत (₹ 1,309 करोड़), करेत्तर राजस्व में 11 प्रतिशत (₹ 485 करोड़), भारत सरकार से संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के अंश में नौ प्रतिशत (₹ 662 करोड़) एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में 0.34 प्रतिशत (₹ 16 करोड़) की वृद्धि के कारण पिछले वर्ष की तुलना में 2013-14 के दौरान राजस्व प्राप्तियां में कुल आठ प्रतिशत (₹ 2,472 करोड़) की वृद्धि हुई।

जीएसडीपी के सापेक्ष में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति **तालिका 1.4** में प्रदर्शित की गई है।

तालिका 1.4 जीएसडीपी के सापेक्ष में राजस्व प्राप्तियां की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
राजस्व प्राप्तियां (₹ करोड़ में)	**18,154**	**22,720**	**25,867**	**29,578**	**32,050**
राजस्व प्राप्तियां (आर आर) की वृद्धि दर	15.90	25.15	13.86	14.35	8.36
राज्य के स्वंय के कर	7,123	9,005	10,712	13,034	14,343
राज्य के स्वंय के कर की वृद्धि दर	8.03	26.42	18.96	21.68	10.04
सकल घरेलू उत्पाद[5] (₹ करोड़ में)	99,364	1,19,420	1,44,382 P	1,63,461 Q	1,85,060 A
जीएसडीपी की वृद्धि दर	2.47	20.18	20.90	13.21	13.21
राजस्व प्राप्तियां/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	18.27	19.03	17.92	18.09	17.32
उत्प्लावक्ता अनुपात[6]					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावक्ता	6.44	1.25	0.66	1.09	0.63
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य के स्वंय के कर उत्प्लावक्ता	3.25	1.31	0.91	1.64	0.76

(स्रोतः संबंधित वर्षो के वित्त लेखे)
(ए- एडवांस, क्यू- क्विक, पी- प्रोविजनल)

[5] विगत वर्ष से जीएसडीपी के आंकड़ों में परिवर्तन किया गया है। यह आंकड़े वर्ष 2010-11 में ₹ 1,17,978 करोड़, वर्ष 2011-12 में ₹ 1,39,515 करोड़ तथा वर्ष 2012-13 में ₹ 1,60,118 करोड़ थे। अतएव उत्पलावक्ता के आंकड़ों में भी परिवर्तन हुआ है।

[6] उत्प्लावकता अनुपात दिए गये आधार चर के सापेक्ष राजकोषीय चर के लोच या जवाबदेही की प्रमात्रा को इंगित करता है उदाहरण के लिये यदि जीएसडीपी में एक प्रतिशत की वृद्धि होती है तो राजस्व उत्प्लावकता विन्दु 0.6 प्रतिशत की ओर उन्मुख होगी ।

- वर्ष 2009-10 से 2013-14 की अवधि में राजस्व प्राप्ति की वृद्धि दर 8.36 प्रतिशत से 25.15 प्रतिशत के मध्य, अस्थिर प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। वर्ष 2013-14 में विगत पांच वर्षो में न्यूनतम वृद्धि दर (8.36 प्रतिशत) अंकित किया गया।
- राजस्व उत्प्लावक्ता, जो कि राजस्व प्राप्ति की वृद्धि तथा जीएसडीपी के अनुपाती है, अस्थिर प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। राजस्व उत्प्लावक्ता अनुपात, जो कि वर्ष 2009-10 में उच्चतम स्तर 6.44 पर था, जीएसडीपी के अधिक वृद्धि दर के कारण वर्ष 2010-11 में घटकर 1.25 तथा 2011-12 में 0.66 हो गया। तथापि वर्ष 2013-14 में राजस्व प्राप्ति की वृद्धि दर (8.36 प्रतिशत) में पूर्व वर्ष (14.35 प्रतिशत) की तुलना में कमी आने के कारण यह न्यूनतम स्तर 0.63 पर पहुंच गया।
- वर्ष 2009-14 की अवधि में कर राजस्व की वृद्धि तथा उत्प्लावक्ता अनुपात में अस्थिरता के कारण, राज्य के स्वयं के कर राजस्व उत्प्लावक्ता में अस्थिर प्रवृति देखी गई जो कि वर्ष 2009-10 में अपने उच्चतम स्तर 3.25 पर थी। वर्ष 2010-11 में यह घट कर 1.31 हो गई तथा वर्ष 2011-12 में यह 0.91 हो गई। यद्यपि यह 2012-13 के 1.64 से वर्ष 2013-14 में 0.76 के निम्नतम स्तर पर पहुँच गया।
- वर्ष 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी की वृद्धि दर में 2.47 प्रतिशत से 20.90 प्रतिशत की विभिन्नता दर्ज की गई। वर्ष 2013-14 में जीएसडीपी में 13.21 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई ।

1.3.1 राज्य के स्वंय के संसाधन

जैसे वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर केन्द्रीय करों एवं सहायता अनुदानों में राज्य के हिस्सों का निर्धारण होता है, संसाधनों के संग्रहण में गति प्रदान हेतु राज्य के निष्पादन का मूल्यांकन राज्य के अपने संसाधन, जिसमें स्वंय के कर तथा करेत्तर स्त्रोत शामिल हैं, के संबंध में किया गया।

वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य के वास्तविक कर एवं करेत्तर प्राप्तियों का 13वें वित्त आयोग द्वारा किये गए मूल्यांकन एवं बजट अनुमानों के विरूद्ध तुलनात्मक विवरण **तालिका 1.5** एवं **तालिका 1.6** में दर्शाया गया।

तालिका 1.5 कर राजस्व तथा करेत्तर राजस्व

(₹ करोड़ में)

	13वें वित्त आयोग के अनुमान	बजट अनुमान	एफआरबीएम प्रकटीकरण	वास्तविक
राज्य के स्वंय का कर राजस्व	12,735	15,300	15,300	14,343
राज्य का करेत्तर राजस्व	2,811	6,072	6,072	5,101

(स्रोतः वित्त लेखे 2013-14, एफआरबीएम दस्तावेज, बजट अभिलेख तथा तेरहवें वित्त आयोग प्रतिवेदन)

तालिका 1.6 कर/करेत्तर राजस्व का 2009-14 के दौरान वृद्धि दर

(₹ करोड़ में)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
स्वंय का कर राजस्व	7,123	9,005	10,712	13,034	14,343
वृद्धि दर (प्रतिशत)	8.03	26.42	18.96	21.68	10.04
करेत्तर राजस्व	3,043	3,836	4,058	4,616	5,101
वृद्धि दर (प्रतिशत)	38.19	26.06	5.81	13.74	10.51

(स्त्रोतः संबंधित वर्षो के वित्त लेखे)

राज्य के स्वंय का कर राजस्व, 13वें वित्त आयोग के अनुमान से ₹ 1,608 करोड़ अधिक था परन्तु बजट अनुमानों के आंकलन से ₹ 957 करोड़ कम था। बजट अनुमान के विरूद्ध कमी का मुख्य कारण मुद्रांक तथा पंजीयन शुल्क, बिक्री व्यापार आदि पर कर, माल तथा यात्रियों पर कर तथा वाहन पर कर के संग्रहण में कमी था। इन शीर्षो में बजट अनुमान क्रमशः ₹ 1,150 करोड़, ₹ 8,436 करोड़, ₹ 1,192 करोड़ तथा ₹ 731.38 करोड़ के विरूद्ध वास्तविक संग्रहण क्रमशः ₹ 990.24 करोड़, ₹ 7,929.51 करोड़, ₹ 945.44 करोड़ तथा ₹ 651.07 करोड़ था।

इसी तरह, राज्य का करेत्तर राजस्व, बजट अनुमान तथा एफआरबीएम प्रकटीकरण से ₹ 971 करोड़ कम था परन्तु तेरहवें वित्त आयोग के लक्ष्य से ₹ 2,290 करोड़ अधिक था।

1.3.1.1 स्वंय के कर राजस्व

विगत पांच वर्ष के दौरान प्रमुख करों एवं शुल्कों के संग्रहण के सकल आंकड़े **तालिका 1.7** में दिये गये है -

तालिका 1.7 स्वंय के कर राजस्व का क्षेत्रवार घटक

(₹ करोड़ में)

स्वयं के कर राजस्व घटक	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2013-14 की अवधि में पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4	5	6	7
बिक्री, व्यापार आदि का कर	3,712	4,841	6,006	6,929	7,930	14
राज्य आबकारी	1,188	1,506	1,597	2,486	2,549	3
वाहन पर कर	352	428	502	592	651	10
मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	583	786	846	952	990	4
भू-राजस्व	160	247	271	234	226	-3
माल एवं यात्रियों पर कर	696	675	826	954	945	-1
अन्य कर[7]	432	522	664	887	1052	18
योग	**7,123**	**9,005**	**10,712**	**13,034**	**14,343**	
वृद्धि दर (प्रतिशत में)	8.03	26.42	18.96	21.68	10.04	

(स्त्रोत: संबंधित वर्षो के वित्त लेखे)

वर्ष 2009-14 के दौरान स्वंय के कर राजस्व के वृद्धि दर में अस्थिर प्रवृत्ति देखी गई जो आठ से 26 प्रतिशत के बीच रही। कर राजस्व की वृद्धि दर वर्ष 2012-13 में 21.68 प्रतिशत के स्तर से बढ़कर 2013-14 में 10.04 प्रतिशत हो गई। विगत वर्ष (₹ 13,034 करोड़) की तुलना में वर्ष 2013-14 (₹ 14,343 करोड़) में कर राजस्व में ₹ 1,309 करोड़ का वृद्धि मुख्यतः विभित्र प्राप्तियों में वृद्धि यथा बिक्री व्यापार इत्यादि

[7] अन्य कर होटल प्राप्तियां, आय एवं व्यय पर कर, विद्युत पर कर एवं शुल्क तथा सेवाओं एवं सामग्रियों पर कर एवं शुल्क।

(₹ 1,001 करोड़), विद्युत पर कर एवं शुल्क (₹ 160 करोड़), राज्य आबकारी (₹ 63 करोड़) तथा वाहनों पर कर (₹ 59 करोड़) में वृद्धि के कारण हुई।

1.3.1.2 करेत्तर राजस्व

करेत्तर राजस्व प्राप्तियों की संरचना का विस्तृत विवरण **तालिका 1.8** में दिया गया है।

तालिका 1.8 करेत्तर राजस्व की संरचना

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	विगत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
ब्याज प्राप्तियां	220.70	170.95	216.57	243.13	380.90	57
लाभांश एवं लाभ	0.44	4.30	0.46	2.19	14.21	549
अन्य करेत्तर राजस्व	2,821.86	3,660.07	3,841.45	4,370.63	4,706.06	8
कुल करेत्तर राजस्व	**3,043.00**	**3,835.32**	**4,058.48**	**4,615.95**	**5,101.17**	11

(स्त्रोत संबंधित वर्षो के वित्त लेखे)

ब्याज प्राप्तियां वर्ष 2009-10 में ₹ 220.70 करोड़ से घटकर 2010-11 में ₹ 170.95 करोड़ हो गई एवं तत्पश्चात् प्रत्येक वर्ष बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 380.90 करोड़ हो गई। लाभांश तथा लाभ में 2009-10 से 2013-14 की अवधि में अस्थिर प्रवृत्ति देखी गई तथा यह ₹ 0.44 करोड़ से ₹ 14.21 करोड़ के बीच रहा। यद्यपि अन्य करेत्तर राजस्व प्राप्ति वर्ष 2009-10 में ₹ 2,822 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013-14 में 4,706 करोड़ हो गई।

कुल करेत्तर राजस्व प्राप्तियां वर्ष 2009-10 में ₹ 3,043 करोड़ से ₹ 2,058 करोड़ बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 5,101 करोड़ हो गई। वर्ष 2013-14 के दौरान करेत्तर राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 11 प्रतिशत (₹ 485 करोड़) की वृद्धि मुख्यतः लघु सिंचाई से प्राप्तियों में ₹ 161 करोड़, अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योगों से प्राप्तियों में ₹ 98 करोड़, वन तथा वन्य प्राणी से प्राप्तियों में ₹ 42 करोड़ तथा अन्य सामाजिक सेवाओं से प्राप्तियों में ₹ 52 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई।

अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योगों के राजस्व में वृद्धि का मुख्य कारण अग्रिम रायल्टी का जमा करना, शासकीय एवं अर्धशासकीय कार्यो में खनिज धातु के प्रयोग तथा धातु संग्रहण नियम के अनुसार अधिक प्राप्तियां थी। कुल करेत्तर राजस्व (₹ 5,101 करोड़) में अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योगों (₹ 3,236 करोड़) का 63 प्रतिशत का योगदान था। वर्ष 2013-14 के दौरान अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग (₹ 98 करोड़) की वृद्धि कुल करेत्तर राजस्व (₹ 485 करोड़) की वृद्धि का 20 प्रतिशत था।

1.3.2 कर के संग्रहण की लागत

वित्तीय वर्ष 2011-12 से वर्ष 2013-14 की अवधि में प्रमुख करों का सकल संग्रहण तथा संग्रहण पर किए गए व्यय की जानकारी **तालिका 1.9** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.9 : करों एवं शुल्कों के संग्रहण का लागत

राजस्व शीर्ष	वर्ष	सकल संग्रहण (₹ करोड़ में)	राजस्व के संग्रहण पर व्यय (₹ करोड़ में)	संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत	विगत वर्षों का अखिल भारतीय औसत प्रतिशत
बिक्री व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	2011-12	6,006.25	40.63	0.68	0.75
	2012-13	6,928.65	37.42	0.54	0.83
	2013-14	8,894.01	41.40	0.47	0.73
वाहन पर कर	2011-12	502.19	10.00	1.99	3.71
	2012-13	591.75	10.73	1.81	2.96
	2013-14	655.35	7.48	1.14	4.17
राज्य आबकारी	2011-12	1,596.97	52.06	3.26	3.05
	2012-13	2,485.68	46.63	1.88	2.98
	2013-14	2,578.19	53.22	2.06	2.96
मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	2011-12	845.82	20.75	2.45	1.60
	2012-13	951.65	17.27	1.81	1.89
	2013-14	989.35	13.87	1.40	3.25

(स्रोतः महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के राजस्व लेखापरीक्षा शाखा द्वारा प्रदत्त जानकारी)

तालिका 1.9 से विदित है कि वर्ष 2013-14 में बिक्री, व्यापार आदि पर कर/वैट, वाहन पर कर तथा मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क के संग्रहण के लागत का प्रतिशत में विगत वर्ष की तुलना में कमी आई है। वर्ष 2013-14 में, राज्य आबकारी के संग्रहण के लागत में विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई। तथापि, वर्ष 2013-14 में, बिक्री तथा व्यापार आदि पर वैट/कर, वाहन पर कर, राज्य आबकारी तथा मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क के, संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत इन सभी के लिए अखिल भारतीय औसत से कम था।

1.3.3 भारत सरकार से सहायता अनुदान

आयोजनेत्तर, राज्य आयोजना, केन्द्र आयोजना तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान की प्रवृत्ति, **तालिका 1.10** में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.10 भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6
आयोजनेत्तर अनुदान	1,482.20	1,397.45	1,545.07	1,227.29	1,415.78
राज्य आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	1,429.42	2,169.91	1,930.51	2,112.69	2,121.47
केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	71.84	47.95	61.75	107.28	43.34
केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं हेतु अनुदान	623.28	838.58	1,238.88	1,263.07	1,145.57
योग	**3,606.74**	**4,453.89**	**4,776.21**	**4,710.33**	**4,726.16**
विगत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	38.25	23.49	7.24	(-) 1.38	0.34
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में कुल अनुदान	19.87	19.60	18.46	15.93	14.75
राजस्व प्राप्तियां	18,154	22,720	25,867	29,578	32,050

(स्त्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

- वर्ष 2013-14 के दौरान, भारत सरकार से ₹ 4,726.16 करोड़ सहायता अनुदान प्राप्त हुआ जो वर्ष 2012-13 में ₹ 4,710.33 करोड़ था।
- भारत सरकार से आयोजनेत्तर अनुदान 2012-13 के ₹ 1,227 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 1,416 करोड़ हो गया जो मुख्यतः पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त निष्पादन अनुदान (123 प्रतिशत) में तथा विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय के शिक्षकों के वेतनमान के लिए अनुदान (100 प्रतिशत) में वृद्धि के कारण हुआ था।
- एकमुश्त अनुदान में 24 प्रतिशत वृद्धि के कारण राज्य आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान वर्ष 2012-13 में ₹ 2,113 करोड़ से अल्प वृद्धि करते हुए 2013-14 में ₹ 2,121 करोड़ हो गया।
- वर्ष 2013-14 में केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान में वर्ष 2012-13 की तुलना में 60 प्रतिशत की कमी आई। विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2013-14 में केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं हेतु अनुदान में ₹ 117 करोड़ की कमी हुई।
- वर्ष 2013-14 के दौरान, ऋण सुद्वढ़ीकरण एवं राहत सुविधा के तहत राज्य को कोई भी ऋण राहत प्राप्त नहीं हुआ था।

1.3.4 केन्द्रीय कर अंतरण

वर्ष 2012-13 के ₹ 7,218 करोड़ के विरूद्ध वर्ष 2013-14 में केन्द्रीय कर हस्तांतरण (सी.टी.टी) ₹ 7,880 करोड़ था। विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2013-14 में राज्य का सी.टी.टी ₹ 662 करोड़ (नौ प्रतिशत) बढ़ गया। यह वृद्धि मुख्यतः सेवा कर (₹ 230 करोड़ से), निगम कर के अतिरिक्त अन्य आयों पर कर (₹ 193 करोड़ से), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (₹ 93 करोड़ से), निगम कर (₹ 58 करोड़ से) तथा सीमा शुल्क (₹ 86 करोड़ से) में हुई। वर्ष 2013-14 की अवधि में (सी.टी.टी) राज्य के राजस्व प्राप्तियों का 25 प्रतिशत था।

1.3.5 तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों की उपयोगिता

राज्य सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार करने के लिए, तेरहवें वित्त आयोग ने अनुदान की अनुशंसा की। वित्त लेखे 2013-14 के विवरण क्रमांक-11 के अनुसार राज्य शासन ने वित्त आयोग अनुदान के रूप में ₹ 1,191.55 करोड़ प्राप्त किया (संविधान के अनुच्छेद 275 (1) वित्त आयोग अनुदान के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 1601-01-104-अनुदान के तहत ₹ 1,063.30 करोड़ तथा राज्य आपदा उन्मोचन निधि में योगदान करने हेतु मुख्य शीर्ष 1601-01-109 अनुदान के तहत ₹ 128.25 करोड़)। विभिन्न शीर्षो के अंतर्गत तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान की उपयोगिता का विवरण **तालिका 1.11** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.11 वर्ष 2013-14 के 13वें वित्त आयोग अनुदानों की उपयोगिता

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष एवं नामावली	कुल बजट प्रावधन	स्थिति				अनुपयोगी राशि का प्रतिशत
		समर्पण	व्यय	बचत(+) आधिक्य(-)	कुल अनुपयोगी राशि	
1	2	3	4	5	6 = 3+5	7
राजस्व लेखे						
2014- न्याय प्रशासन	25.37	0.00	17.38	7.99	7.99	31.49
2054-कोषालय एवं लेखा	1.85	0.63	1.22	0.00	0.63	34.05
2055-पुलिस	1.65	0.02	1.02	0.61	0.63	38.18
2202- सामान्य शिक्षा	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00
2203- तकनीकी शिक्षा	9.00	5.96	3.08	(-) 0.04	5.92	65.78
2205- कला एवं संस्कृति	4.55	0.00	2.56	1.99	1.99	43.74
2217- शहरी विकास	164.07	50.93	113.15	(-) 0.01	50.92	31.04
2406- वानिकी एवं वन्य प्राणी	105.08	8.21	96.89	(-) 0.02	8.19	7.79
2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	462.70	86.44	376.26	0.00	86.44	18.68
3054- सड़क एवं सेतु	96.00	96.00	0.00	0.00	96.00	100.00
3454- जनगणना एवं सांख्यिकी	25.03	21.22	3.82	(-) 0.01	21.21	84.74
पूंजीगत लेखे						
4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	76.76	10.50	49.89	16.37	26.87	35.01
4202- शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	6.70	0.00	4.47	2.23	2.23	33.28
4210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	32.20	0.00	2.88	29.32	29.32	91.06
4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय	62.50	62.50	0.00	0.00	62.50	100.00
4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	137.50	137.50	0.00	0.00	137.50	100.00
4235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	37.50	37.50	0.00	0.00	37.50	100.00
4406- वानिकी एवं वन्य प्राणी पर पूंजीगत परिव्यय	15.65	2.68	10.56	2.41	5.09	32.52
कुल योग	**1458.11**	**520.09**	**877.18**	**60.84**	**580.93**	**39.84**

(स्रोत:वर्ष 2013-14 के विस्तृत विनियोग लेखे)

तालिका से यह स्पष्ट है कि-

- कुल राशि ₹ 1,458.11 करोड़ के प्रावधान में से राशि ₹ 877.18 करोड़ जो कि कुल राशि का 60 प्रतिशत था, का उपयोग किया गया तथा ₹ 580.93 करोड़ (40 प्रतिशत) को समर्पित (₹ 520.09 करोड़) किया गया या वर्ष 2013-14 के अन्त में शासन के खाते में व्यपगत (₹ 60.84 करोड़) हुआ। इस प्रकार शासन, 13वें वित्त आयोग कि अनुशंसा पर दी गई निधि का 40 प्रतिशत (₹ 580.93 करोड़) उपयोग नहीं कर सकी।
- वर्ष 2013-14 के दौरान 13वें वित्त आयोग कि अनुशंसा पर सहायता अनुदान के अंतर्गत दी गई निधि का पूर्णरूपेण उपयोग मात्र एक मुख्य शीर्ष 2202 - सामान्य शिक्षा में ही किया जा सका।

- यद्यपि मुख्य शीर्ष 3054-सड़क एवं सेतु, 4216 - आवास पर पूंजीगत परिव्यय, 4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय में कोई राशि उपयोग नहीं किया जा सका। शेष प्रकरणों में बचत का प्रतिशत 7.79 से 91.06 के मध्य रहा। बचत का कारण मुख्य रूप से प्रशासकीय स्वीकृति का प्राप्त न होना, भारत सरकार द्वारा राशि विमुक्त न किया जाना तथा योजना का लागू न किया जाना था।

1.4 पूंजीगत प्राप्तियाँ

पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां, ऋण एवं अग्रिम की वसूली, अंतर्राज्यीय समाशोधन एवं लोक ऋण प्राप्तियां सम्मिलित है। वर्ष 2009-14 की अवधि के दौरान पूंजीगत प्राप्तियों के घटक एवं प्रवृत्ति **तालिका 1.12** तथा **परिशिष्ट 1.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.12 पूंजीगत प्राप्तियों के घटक तथा वृद्धि की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

शासन के प्राप्तियों का स्त्रोत	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
पूंजीगत प्राप्तियां	**2,284.99**	**1,361.56**	**1,710.01**	**3,603.66**	**5,581.94**
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	2.31	2.56	3.93	2.39	7.64
ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	992.43	561.16	1,282.53	1,542.01	1,637.27
अंतर्राज्यीय परिशोधन	3.04	2.65	2.21	1.53	5.14
कुल गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	**997.78**	**566.37**	**1,288.67**	**1,545.93**	**1,650.05**
गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां के वृद्धि की दर	85.92	-43.24	127.53	19.96	6.74
लोक ऋण प्राप्तियां	**1,287.21**	**795.19**	**421.34**	**2,057.73**	**3,931.89**
लोक ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के वृद्धि दर	233.18	-38.22	-47.01	388.38	91.08
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि की दर	2.47	20.18	20.90	13.21	13.21
पूंजीगत प्राप्तियां के वृद्धि की दर (प्रतिशत)	147.56	-40.41	25.59	110.74	54.90

(स्त्रोत:संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

तालिका 1.12 से यह स्पष्ट है कि राज्य की पूंजीगत प्राप्तियां वर्ष 2009-10 के ₹ 2,285 करोड़ से ₹ 3,297 करोड़ बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 5,582 करोड़ हो गई। विगत वर्ष से 2013-14 में पूंजीगत प्राप्तियां में ₹ 1,978 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से लोक ऋण प्राप्तियों में ₹ 1,874 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई। आगे, बाजार ऋण में वर्ष 2012-13 के ₹ 1,500 करोड़ से वर्ष 2013-14 में ₹ 3,000 करोड़ की अभूतपूर्व वृद्धि के कारण लोक ऋण प्राप्तियों में वृद्धि हुई।

1.4.1 ऋण एवं अग्रिमों की वसूली

ऋण एवं अग्रिमों की वसूली वर्ष 2009-10 में ₹ 992 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 1,637 करोड़ हो गई। मार्च 2014 तक कुल मिलाकर ₹ 708 करोड़ के ऋण तथा उन पर लगने वाले ब्याज की वसूली बकाया थी।

वर्ष के दौरान छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम (₹ 9.58 करोड़) को नए ऋण (ब्याज मुक्त) दिए गए, जिनसे ₹ 136.11 करोड़ के पूर्व के ऋणों की वसूली लंबित थी। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम को ₹ 1.00 करोड़ के ऋण नियम एवं शर्तो को निर्धारित किए बिना ही प्रदान किए गए।

1.4.2 आंतरिक स्त्रोतों से ऋण प्राप्तियां

राज्य, अपने संसाधनों की कमी तथा पूंजीगत व्यय की प्रतिपूर्ती हेतु आंतरिक बाजार से निधि की व्यवस्था करता है। वर्ष 2009-10 में आंतरिक ऋण ₹ 1,064 करोड़ से घटकर वर्ष 2010-11 में ₹ 592 करोड़ हो गया एवं तत्पश्चात् वर्ष 2011-12 में ₹ 365 करोड़ हो गया। उसके बाद वर्ष 2012-13 में यह बढ़कर ₹ 2,041 करोड़ हो गया तथा वर्ष 2013-14 में ₹ 3,917 करोड़ हो गया। वर्ष 2013-14 में आंतरिक ऋण में योगदान बाजार ऋण (₹ 3,000 करोड़), राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से लिए गए ऋण (₹ 674 करोड़) तथा राष्ट्रीय लघु बचत निधि (₹ 243 करोड़) का था।

1.4.3 भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम

भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम में वर्ष 2009-14 की अवधि में निरंतर कमी आई जिससे यह वर्ष 2009-10 में ₹ 223 करोड़ से वर्ष 2013-14 में ₹ 15 करोड़ हो गया। वर्ष 2013-14 में राज्य आयोजनागत योजनाओं हेतु ₹ 12 करोड़ के ऋण एवं अग्रिम प्राप्त किया गया। वर्ष 2013-14 के दौरान केन्द्रीय आयोजनागत योजना तथा केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के लिए कोई भी नया ऋण प्राप्त नहीं किया गया था।

1.5 लोक लेखा प्राप्तियां

कुछ निश्चित लेनदेन जैसे छोटी बचत, भविष्य निधि, रक्षित निधि, जमा, उचन्त, प्रेषण आदि जिनका उल्लेख राज्य की संचित निधि में नहीं होता है, की प्राप्तियों एवं संवितरणों को, संविधान के अनुच्छेद 266(2) के तहत गठित लोक लेखा में रखा जाता है तथा यह राज्य विधानमंडल के मताधीन नहीं है। इस मामले में शासन एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। संवितरण के पश्चात् शेष राशि शासन के उपयोग के लिये उपलब्ध होती है। 2009-14 की अवधि के दौरान शुद्ध लोक लेखा प्राप्तियां एवं इसके घटक **तालिका 1.13** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.13 शुद्ध लोक लेखा प्राप्तियाँ तथा इसके घटक

(₹ करोड़ में)

विभिन्न शीर्षो के अंतर्गत संसाधन	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
शुद्ध लोक लेखा प्राप्तियाँ[8]					
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	294.37	328.97	307.76	293.47	265.40
आरक्षित निधि	344.86	21.60	208.75	530.88	402.11
उचंत तथा विविध	127.92	(-)111.03	22.40	(-)28.58	44.93
प्रेषण	(-)111.84	33.68	96.10	(-) 64.17	(-)98.03
जमा तथा अग्रिम	(-)22.46	355.25	585.95	521.18	1,818.98
रिजर्व बैंक से अन्त शेष ओवर ड्राफ्ट	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल लोक लेखा प्राप्तियाँ	**632.85**	**628.47**	**1,220.96**	**1,052.78**	**2,433.39**

(स्त्रोत संबंधित वर्षो के वित्त लेखे)

[8] शुद्ध लोक लेखा प्राप्तियां = लोक लेखा प्राप्तियां - लोक लेखा भुगतान। उचंत एवं विविध तथा आरक्षित निधि के आंकड़े निवेश के आंकड़े को छोड़कर दर्शाया गया है।

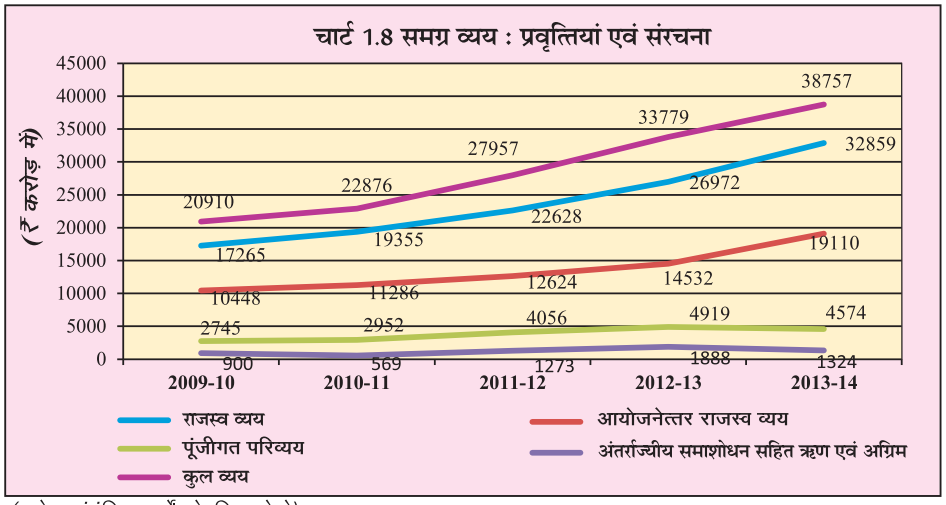
शुद्ध लोक लेखा के प्राप्तियों (लोलेप्रा) (कुल लोलेप्रा में से कुल लोक लेखा संवितरणों को घटाने के बाद) में वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान अस्थिर प्रवृति देखी गई जो कि ₹ 628 करोड़ से ₹ 2,433 करोड़ के मध्य रही। शुद्ध लोलेप्रा वर्ष 2012-13 में ₹ 1,052.78 करोड़ से ₹ 1,380.61 करोड़ बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 2,433.39 करोड़ हो गया। लोक लेखा प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यतः जमा तथा अग्रिमों, उचंत तथा विविध तथा प्रेषण में वृद्धि के कारण हुई। यद्यपि लोक लेखा प्राप्तियों में शुद्ध कमी आरक्षित निधि तथा लघु बचत निधि इत्यादि में थी।

1.6 संसाधनों का उपयोग

चूँकि राज्य शासन को व्यय करने का महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया है अतः उनके स्तर पर व्यय के आवंटन के विश्लेषण का कार्य महत्वपूर्ण हो जाता है। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान के ढाँचे के अंतर्गत घाटे अथवा उधारियों से वित्त पोषण के माध्यम से लोक व्यय को बढ़ाने में बजट संबंधी कई कठिनाइयाँ है। इसलिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि राज्य स्तर पर, जारी राजकोषीय सुधार एवं सुदृढ़ीकरण के दौरान विशेषकर विकास एवं सामाजिक सेवा उन्मुख व्यय लागत पर लागू न किया जाए।

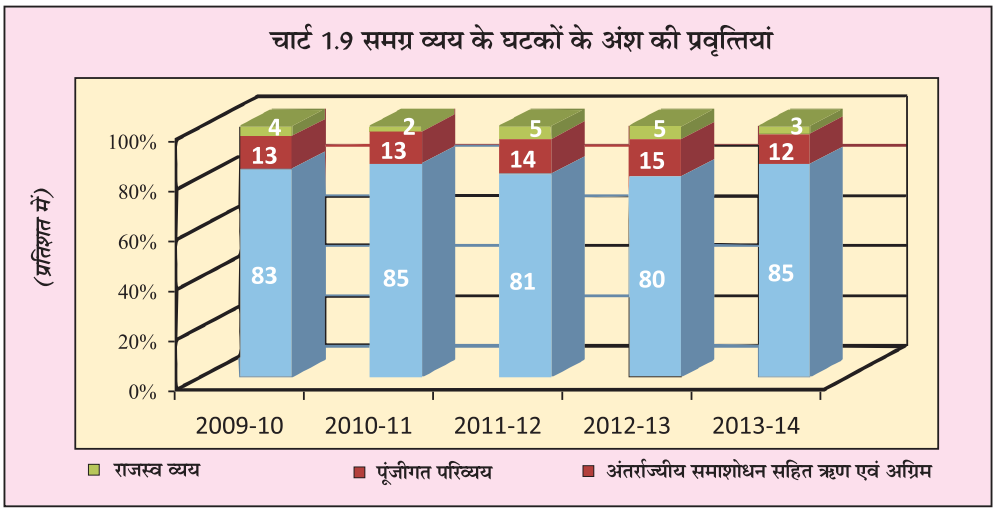
1.6.1 व्यय की संरचना एवं वृद्धि

चार्ट 1.8, विगत पाँच वर्षों (2009-14) की अवधि में किये गये कुल व्यय[9] की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करता है तथा 'आर्थिक वर्गीकरण' एवं क्रियाकलापों द्वारा व्यय इन दोनों के संदर्भ में इसकी संरचना को क्रमशः **चार्ट 1.8** तथा **चार्ट 1.9** में चित्रित किया गया है।



(स्त्रोत:संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

[9] कुल व्यय में लोक ऋण अदायगी सम्मिलित नहीं है।



(स्त्रोतः संबंधित वर्षो के वित्त लेखे)

वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान कुल व्यय एवं इसके घटक का विवरण नीचे **तालिका 1.14** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.14 कुल व्यय एवं इसके घटक

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
कुल व्यय (₹ करोड़ में)	**20,910**	**22,876**	**27,957**	**33,779**	**38,757**
वृद्धि दर (प्रतिशत में)	21.39	9.40	22.21	20.82	14.74
राजस्व व्यय (₹ करोड़ में) (कुल व्यय का प्रतिशत)	17,265 *(83)*	19,355 *(85)*	22,628 *(81)*	26,972 *(80)*	32,859 *(85)*
जिसमें आयोजनेत्तर राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	10,448	11,286	12,624	14,532	19,110
पूँजीगत व्यय (कुल व्यय का प्रतिशत)	2,745 *(13)*	2,952 *(13)*	4,056 *(14)*	4,919 *(15)*	4,574 *(12)*
ऋण एवं अग्रिम* (कुल व्यय का प्रतिशत)	900 *(04)*	569 *(02)*	1,273 *(05)*	1,888 *(05)*	1,324 *(03)*
राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	99,364	1,19,420	1,44,382[P]	1,63,461[Q]	1,85,060[A]
सकल राज्य घरेलू उत्पाद का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	2.47	20.18	20.9	13.21	13.21

(स्त्रोतः संबंधित वर्षो के वित्त लेखे) ए-एडवांस, क्यु-क्विक, पी-प्रोविजनल
*अंतर्राज्यीय समाशोधन भी शामिल है।

- कुल व्यय जिसमें राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय अंतर्राज्यीय समाशोधन सहित ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है, वर्ष 2009-10 के ₹ 20,910 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 38,757 करोड़ हो गया।
- वर्ष 2013-14 में पिछले वर्ष की तुलना में कुल व्यय में ₹ 4,978 करोड़ की वृद्धि का कारण मुख्यतः राजस्व व्यय में ₹ 5,887 करोड़ (22 प्रतिशत) की वृद्धि थी।

- यद्यपि पूँजीगत व्यय में ₹ 345 करोड़ (सात प्रतिशत) तथा अंतर्राज्यीय समाशोधन सहित ऋण एवं अग्रिमों में ₹ 564 करोड़ (30 प्रतिशत) की कमी आई।
- वर्ष 2009-14 के दौरान कुल व्यय की वृद्धि दर में अस्थिर प्रवृति देखी गई, जो नौ प्रतिशत से 22 प्रतिशत के बीच घटती-बढ़ती रही। कुल व्यय की वृद्धि दर वर्ष 2012-13 में 21 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2013-14 में 15 प्रतिशत हो गई।
- वर्ष 2013-14 के दौरान कुल व्यय, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 21 प्रतिशत रहा।
- वर्ष 2013-14 के दौरान, कुल व्यय में राजस्व व्यय 85 प्रतिशत रहा जबकि पूँजीगत व्यय 12 प्रतिशत रहा। संवितरित किए गए ऋण तथा अग्रिम, कुल व्यय का तीन प्रतिशत रहा।
- वर्ष 2012-13 में 43 प्रतिशत के तुलना में वर्ष 2013-14 में करेत्तर राजस्व व्यय कुल व्यय का 49 प्रतिशत था।

1.6.2 राजस्व व्यय

पिछले दायित्वों के भुगतान के लिए एवं सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाये रखने हेतु राजस्व व्यय किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप राज्य की बुनियादी सुविधाओं एवं सेवाओं के नेटवर्क में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं होती है।

कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय वर्ष 2009-10 में 83 प्रतिशत से बढ़कर 2010-11 में 85 प्रतिशत हो गया और इसके बाद गिरावट शुरू हुई जो 2012-13 में कम होकर 80 प्रतिशत हो गया लेकिन यह एक बार फिर वर्ष 2013-14 में बढ़कर 85 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2013-14 के दौरान राजस्व व्यय, जीएसडीपी का 18 प्रतिशत था। वर्ष 2013-14 के दौरान राजस्व व्यय ₹ 32,859 करोड़ था जिसमें ₹ 19,110 करोड़ (58 प्रतिशत) आयोजनेत्तर घटक पर एवं ₹ 13,749 करोड़ (42 प्रतिशत) आयोजना घटक पर व्यय किया गया था।

1.6.2.1 आयोजना राजस्व व्यय

वर्ष 2013-14 के दौरान, ₹ 15,546 करोड़ के बजट अनुमान के तुलना में आयोजनागत राजस्व व्यय ₹ 13,749 करोड़ था। वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान कुल राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में आयोजनागत राजस्व व्यय का हिस्सा 39 प्रतिशत से 46 प्रतिशत के बीच रहा। वर्ष 2012-13 की तुलना में 2013-14 के दौरान आयोजनागत राजस्व व्यय में 11 प्रतिशत (₹ 1,309 करोड़) की वृद्धि हुई जिसका कारण मुख्यतः शिक्षा, खेल कला एवं संस्कृति (25 प्रतिशत), समाज कल्याण एवं पोषण (62 प्रतिशत) तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (28 प्रतिशत) के अंतर्गत व्यय में वृद्धि था।

1.6.2.2 आयोजनेत्तर राजस्व व्यय

वर्ष 2013-14 के दौरान, ₹ 19,470 करोड़ के बजट अनुमान के विरूद्ध आयोजनेत्तर राजस्व व्यय ₹ 19,110 करोड़ था। वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान कुल राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में आयोजनेत्तर राजस्व व्यय का हिस्सा 54 प्रतिशत से 61 प्रतिशत के बीच रहा। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान आयोजनेत्तर

राजस्व व्यय में ₹ 4,578 करोड़ (32 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जिसमें प्रशासनिक सेवाएं (₹ 453 करोड़), पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं (₹ 340 करोड़) और परिवहन (₹ 328 करोड़) के अंतर्गत व्यय में वृद्धि था।

1.6.3 वेतन, ब्याज भुगतान, पेंशन भुगतान एवं सब्सिडी पर व्यय

राजस्व लेखे में राज्य शासन के व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदुरी पर व्यय, पेंशन एवं सब्सिडी सम्मिलित है। **तालिका 1.15** और **चार्ट 1.10**, वर्ष 2009-14 की अवधि के दौरान इन घटकों पर व्यय की प्रवृत्ति को प्रस्तुत करता है।

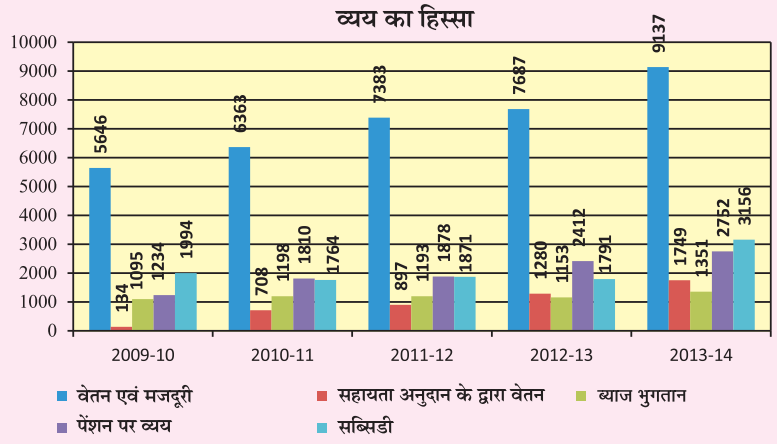
तालिका 1.15 वेतन एवं मजदूरी, सहायता अनुदान के द्वारा वेतन भुगतान, ब्याज भुगतान, पेंशन एवं सब्सिडी पर व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

घटक	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	
					बजट अनुमान	वास्तविक
वेतन एवं मजदूरी पर व्यय जिसमें	5,646.29 (31.10)	6,362.92 (28.01)	7,382.61 (28.54)	7,686.52	10,381.94	9137.19[10]
आयोजनेत्तर शीर्ष	4,016.30	4,338.28	4,893.18	5,018.01	लागू नहीं*	6,267.88
आयोजना शीर्ष **	1,629.99	2,024.64	2,489.43	2,668.51	लागू नहीं	2,869.31
सहायता अनुदान के द्वारा वेतन भुगतान	133.71 (0.74)	708.33 (3.12)	897.27 (3.47)	1,280.34	लागू नहीं	1,749.32
ब्याज भुगतान	1,094.86 (6.03)	1,198.38 (5.27)	1,193.20 (4.61)	1,153.49	1,246.43	1,350.53
पेंशन पर व्यय	1,233.76 (6.80)	1,810.33 (7.97)	1,877.87 (7.26)	2,412.14	2,504.70	2,751.87
सब्सिडी	1,994.30 (10.99)	1,763.83 (7.76)	1,870.93 (7.23)	1,790.83	2,273.44	3,155.53
कुल व्यय	**10,102.92**	**11,843.79**	**13,221.88**	**14,323.32**		**18,144.44**

(स्रोतः सम्बंधित वर्षों का वित्त लेखे)
कोष्टक में प्रदर्शित आंकड़े राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत को इंगित करते है।
* बजट प्राक्कलन में आँकड़े अलग-अलग उपलब्ध नहीं है।
** शीर्ष में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के तहत भुगतान किये गये वेतन एवं मजदूरी भी सम्मिलित है।

चार्ट 1.10 वर्ष 2009-14 के दौरान आयोजनेत्तर राजस्व में बाध्यकारी व्यय का हिस्सा



(स्रोतः सम्बंधित वर्षों का वित्त लेखे)

[10] इसमें ₹ 8,558.69 करोड़ वेतन तथा ₹ 578.50 करोड़ मजदूरी सम्मिलित है।

वर्ष 2012-13 में वेतन एवं मजदूरी, सहायता अनुदान के द्वारा वेतन भुगतान, ब्याज भुगतान, पेंशन एवं सब्सिडी पर कुल व्यय ₹ 14,323 करोड़ था जो ₹ 3,821 करोड़ बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 18,144 करोड़ हो गया तथा यह राजस्व व्यय (₹ 32,859 करोड़) का 55 प्रतिशत तथा राजस्व प्राप्तियों का (₹ 32,050 करोड़) का 57 प्रतिशत था। घटकवार विश्लेषण अनुवर्ती कंडिका में दिया गया है।

वेतन एवं मजदूरी पर व्यय

- चालू वर्ष के दौरान वेतन एवं मजदूरी पर व्यय 2012-13 में ₹ 7,687 करोड़ से ₹ 1,450 करोड़ बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 9,137 करोड़ हो गया। सहायता अनुदान[11] के माध्यम से वेतन भुगतान 2012-13 में ₹ 1,280 करोड़ से ₹ 469 करोड़ बढ़कर 2013-14 में ₹ 1,749 करोड़ हो गया।

- वर्ष 2013-14 के दौरान वेतन एवं मजदूरी पर व्यय राज्य शासन द्वारा अपने बजट अनुमान (₹ 10,382 करोड़) में किए गए आंकलन से 12 प्रतिशत (₹ 1,245 करोड़) कम था।

- वर्ष 2013-14 के दौरान वेतन एवं मजदूरी पर राजस्व व्यय (₹ 8,431 करोड़) एफआरबीएम अधिनियम (₹ 6,951 करोड़) में बनाए गए प्रावधान से 21 प्रतिशत (₹ 1,480 करोड़) अधिक हुआ।

- वर्ष 2013-14 में आयोजनेत्तर वेतन पर व्यय (₹ 6,102 करोड़), तेरहवें वित्त आयोग के अनुमान (₹ 4,578 करोड़) से 33 प्रतिशत (₹ 1,524 करोड़) अधिक हुआ था।

पेंशन पर व्यय

- पेंशन पर व्यय 2012-13 में ₹ 2,412 करोड़ से 14 प्रतिशत (₹ 340 करोड़) बढ़कर 2013-14 में ₹ 2,752 करोड़ हो गया।

- पेंशनरों की संख्या का विवरण जो कोषालय/बैंक/विभागीय प्राधिकार से आहरण कर रहे हों, जैसा कि राज्य शासन द्वारा सूचित किया गया है, निम्नानुसार है।

तालिका 1.16 वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान पेंशनरों का विवरण

पेंशनरों की श्रेणी	31 मार्च 2013 की स्थिति में कुल पेंशनरों की संख्या	31 मार्च 2014 की स्थिति में कुल पेंशनरों की संख्या	पेंशनरों की संख्या में वृद्धि (+)/कमी (-)	प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
अधिवार्षिकी पेंशनर	48,919	50,077	(+) 1,158	(+)0.02
परिवार पेंशनर	28,974	16,866	(-)12,108	(-) 42
भूतपूर्व विधायक	229	78	(-) 151	(-) 66
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश	18	10	(-) 08	(-) 44
योग	**78,140**	**67,031**[12]	**(-) 11,109**	**(-) 14**

[11] शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति, कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियाँ एवं ग्रामीण विकास के अर्न्तगत विभिन्न संस्थाओं को सहायता अनुदान के माध्यम से दिया गया वेतन भत्ता शामिल है।

[12] यह जानकारी राज्य के कुल 28 कोषालयों में से मात्र 23 के संबंध में ही है।

- पेंशन पर व्यय (₹ 2,751.87 करोड़) कुल राजस्व व्यय (₹ 32,859.57 करोड़) का आठ प्रतिशत था तथा आयोजनेत्तर राजस्व व्यय (₹ 19,109.81 करोड़) का 14 प्रतिशत था और कुल राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 32,050.26 करोड़) का 09 प्रतिशत उपभोग किया।

- 2013-14 के दौरान पेंशन पर व्यय राज्य शासन द्वारा अपने बजट अनुमान (₹ 2,504.70 करोड़) में घोषित लक्ष्य से 10 प्रतिशत (₹ 247 करोड़) अधिक था।

- तेरहवें वित्त आयोग द्वारा बनाये गये अनुमान के अनुसार 2013-14 के अन्त तक पेंशन पर व्यय ₹ 1,310 करोड़ होना था। यद्यपि 2013-14 के दौरान पेंशन पर वास्तविक व्यय ₹ 2,752 करोड़ हुआ था जो तेरहवें वित्त आयोग मापदण्ड से ₹ 1,442 करोड़ अधिक था।

ब्याज भुगतान

- ब्याज भुगतान जिसमें आंतरिक ऋण पर भारित ब्याज, लघु बचत, भविष्य निधि भारत सरकार से लिया गया ऋण तथा अन्य देयतायें शामिल है, वर्ष 2012-13 में ₹ 1,153.49 करोड़ से अत्यल्प रूप से 17 प्रतिशत (₹ 197.04 करोड़) बढ़कर 2013-14 में ₹ 1,350.53 करोड़ हो गया।

- 2013-14 के लिए ब्याज भुगतान (₹ 1,351 करोड़) 13वें वित्त आयोग (₹ 2,453 करोड़) के द्वारा बनाये गये अनुमान के अन्दर था परन्तु राज्य शासन द्वारा अपने बजट अनुमान में आंकलित लक्ष्य और एफआरबीएम प्रकटीकरण (₹ 1,246 करोड़) से ₹ 105 करोड़ (आठ प्रतिशत) अधिक था। वर्ष के दौरान ब्याज भुगतान कुल राजस्व व्यय का 4.11 प्रतिशत तथा राजस्व प्राप्तियों का 4.22 प्रतिशत था।

आर्थिक सहायता पर व्यय

- 2013-14 के दौरान, छत्तीसगढ़ शासन ने आर्थिक सहायता के रूप में ₹ 3,155.53 करोड़ का भुगतान किया।

2009-14 के दौरान राज्य शासन द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहायता का विवरण **तालिका 1.17** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.17 वर्ष 2009-14 के दौरान शासन द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहायता का विवरण

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6
सामाजिक कल्याण एवं पोषण	1,288.78	886.73	950.51	722.30	1,754.23
कृषि	41.00	40.07	46.36	75.45	300.45
मत्स्य पालन	0.47	0.75	0.60	1.30	1.36
वानिकी एवं वन्य जीव	10.00	10.00	8.10	15.05	15.03
खाद्य भंडारण एवं भंडारागार	406.61	488.65	383.67	395.24	463.71
सहकारिता	46.00	83.07	95.32	103.14	111.85

1	2	3	4	5	6
लघु सिंचाई	10.62	11.01	10.88	0.00	0.00
उर्जा	150.10	202.10	321.10	426.13	443.76
ग्रामीण एवं लघु उद्योग	39.26	37.71	52.52	44.27	41.61
उद्योग	1.46	3.72	1.87	7.95	20.41
प्रशासनिक सेवाएं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
ग्रामीण विकास	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73
योग	**1,994.30**	**1,763.81**	**1,870.93**	**1,790.83**	**3,155.53**

(स्रोतः सम्बंधित वर्षों का वित्त लेखे)

- **तालिका 1.17** से यह स्पष्ट है कि आर्थिक सहायता पर व्यय 2012-13 में ₹ 1,791 करोड़ से ₹ 1,365 करोड़ बढ़कर 2013-14 में ₹ 3,156 करोड़ हो गया। 2013-14 के दौरान आर्थिक सहायता पर व्यय कुल राजस्व प्राप्तियों का 10 प्रतिशत तथा कुल राजस्व व्यय का भी 10 प्रतिशत था। इस वर्ष के दौरान आर्थिक सहायता के भुगतान का मुख्य घटक सामाजिक कल्याण एवं पोषण (₹ 1,754 करोड़), खाद्य भण्डारण एवं भंडारागार (₹ 464 करोड़) और उर्जा (₹ 444 करोड़) था।

- वर्ष 2013-14 के दौरान शासन ने ₹ 1,742.61 करोड़ की आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना पर व्यय किया। इस योजना पर आर्थिक सहायता व्यय में ₹ 1,026.15 करोड़ की वृद्धि हुई जो पिछले वर्ष की तुलना में 143 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करता है।

- सहायता अनुदान के लागत पर (वस्तु के रूप में) मुफ्त में अप्रत्यक्ष आर्थिक सहायता **तालिका 1.18** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.18 वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये अप्रत्यक्ष आर्थिक सहायता का विस्तृत विवरण

(₹ करोड़ में)

विभाग का नाम	योजना का नाम	कुल
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण	निःशुल्क नमक प्रदाय योजना	7.00
स्कूल शिक्षा	छात्रों को निःशुल्क शाला गणवेश प्रदाय	39.87
स्कूल शिक्षा	अनुसूचित जनजाति प्राथमिक छात्राओं को निःशुल्क शाला गणवेश प्रदाय	27.12
स्कूल शिक्षा	अनुसूचित जाति प्राथमिक छात्राओं को निःशुल्क शाला गणवेश प्रदाय	3.35
स्कूल शिक्षा	हाईस्कूल की छात्राओं को निःशुल्क सायकल प्रदाय	48.30
संचार	छात्रों को निःशुल्क लैपटॉप एवं टैबलेट का प्रदाय	28.00
कृषि	वनग्रामों के पट्टाधारी कृषक को निःशुल्क प्रमार्णित बीज एवं उर्वरक वितरण	8.40
स्कूल शिक्षा	निःशुल्क शालेए पुस्तकों का प्रदाय	66.19
	योग	**228.23**

(स्रोतः वित्त लेखे 2013-14 का विवरण संख्या 8)

तालिका 1.18 से यह स्पष्ट है कि 2013-14 के दौरान शासन ने निःशुल्क पुस्तकें, स्कूल गणवेश, सायकल, लैपटाप एवं टैबलेट, विद्युत, कृषि पम्प, बीज, उर्वरक, चावल एवं नमक लक्षित हितग्राहियों को प्रदान करने के लिए ₹ 228 करोड़ का व्यय किया।

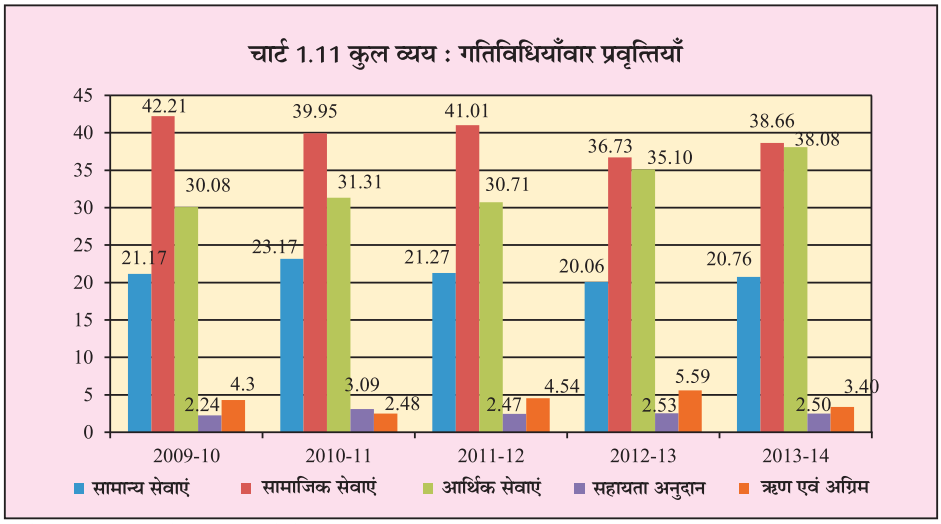
1.6.4 पूंजीगत व्यय

- पिछले वर्ष की तुलना में 2013-14 के दौरान पूंजीगत व्यय में सात प्रतिशत (₹ 345 करोड़) की कमी हुई जिसका कारण मुख्यतः विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय (में 97 प्रतिशत), शहरी विकास (में 84 प्रतिशत) तथा जलापूर्ति एवं सफाई (में 66 प्रतिशत) में व्यय की कमी थी।
- पूंजीगत परिव्यय और अंतर्राज्यीय समाशोधन सहित ऋण एवं अग्रिम कुल व्यय का क्रमशः 12 प्रतिशत तथा तीन प्रतिशत था।

1.6.5 गतिविधियों के दृष्टिकोण से व्यय की प्रवृत्ति

गतिविधियों के परिपेक्ष्य में कुल व्यय में सामान्य सेवाओं (ब्याज भुगतान सहित), सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं, सहायता अनुदान तथा ऋण एवं अग्रिम पर किया गया व्यय सम्मिलित किया जा सकता है। कुल व्यय में इन घटकों के सापेक्षिक हिस्सेदारी में होने वाली अंतर विविधाताओं को **चार्ट 1.11** में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट 1.11 कुल व्यय : गतिविधियाँवार प्रवृत्तियाँ



(स्रोतः सम्बंधित वर्षों का वित्त लेखे)

- सामान्य सेवाओं पर व्यय का प्रतिशत 2012-13 में 20.06 प्रतिशत से अत्यल्प रूप से बढ़कर 2013-14 में 20.76 प्रतिशत हो गया। सामाजिक सेवाओं पर व्यय का प्रतिशत 2012-13 में 36.73 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 में 38.66 प्रतिशत हो गया जबकि आर्थिक सेवाओं के सम्बंध में यह उसी अवधि के दौरान 35.10 प्रतिशत से बढ़कर 38.08 प्रतिशत हो गया।
- सहायक अनुदान पर व्यय का प्रतिशत 2012-13 में 2.53 प्रतिशत में अत्यल्प रूप से कम होकर 2013-14 में 2.50 प्रतिशत हो गया जबकि ऋण एवं अग्रिम उसी अवधि के दौरान 5.59 प्रतिशत से घटकर 3.40 प्रतिशत हो गया।

1.6.6 राज्य शासन द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

विगत एवं चालू वर्ष के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओ को अनुदानों तथा ऋणों के रूप में प्रदत्त वित्तीय सहायता की मात्रा **तालिका 1.19** में दर्शायी गई है।

तालिका 1.19 स्थानीय निकायों इत्यादि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
शैक्षणिक संस्थायें (सहायता प्राप्त स्कूल, सहायता प्राप्त महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि)	83.90	144.82	163.07	223.27	242.42
विद्युत/उर्जा	65.05	101.05	149.56	672.81	254.67
कृषि	26.50	37.50	56.50	71.00	77.39
स्थानीय नगरीय निकाय	577.71	905.50	1,268.53	2,055.21	2,002.56
पंचायती राज संस्थायें	1,520.71	1,835.92	2,811.71	3,897.95	4,954.99
अन्य संस्थायें	478.25	376.43	158.21	123.61	118.70
योग	**2,752.12**	**3,401.22**	**4,607.58**	**7,043.85**	**7,650.73**
राजस्व व्यय	17,265	19,355	22,628	26,972	32,859
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सहायता	15.94	17.57	20.36	26.12	23.28

(स्रोतः वित्त एवं विनियोग लेखे)

तालिका 1.19 से यह स्पष्ट है कि स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं[13] को वित्तीय सहायता 2009-10 में ₹ 2,752 करोड़ से अनवरत रूप से बढ़कर 2013-14 में ₹ 7,651 करोड़ हो गई। पिछले वर्ष की तुलना में 2013-14 में स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता में नौ प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2013-14 के दौरान, शासन द्वारा वित्तीय सहायता मुख्यतः पंचायती राज संस्थाओं (65 प्रतिशत) एवं स्थानीय नगरीय निकायों (26 प्रतिशत) को दिया गया था।

1.7 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक एवं भौतिक अधोसंरचना की उपलब्धता सामान्य रूप से उनके व्यय की गुणवत्ता को प्रतिबिम्बित करती है। व्यय की गुणवत्ता के सुधार में मुख्यतः तीन पक्ष शामिल हैं जैसे व्यय की पर्याप्तता (अर्थात जन सेवा उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त प्रावधान), व्यय के उपयोग की कुशलता तथा इसकी प्रभावकारिता (चयनित सेवाओं हेतु परिव्यय परिणाम के संबंधों का आंकलन)।

1.7.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित उत्तरदायित्व जिसे राज्य शासन को सौंपा गया है मुख्यतः राज्य के विषय हैं। मानव विकास के स्तरों के उन्नयन के लिए यह आवश्यक है कि राज्य मुख्य सामाजिक सेवाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर अपने व्यय में बढ़ोत्तरी करे। किसी क्षेत्र विशेष को निम्न राजकोषीय प्राथमिकता (किसी श्रेणी के अंतर्गत व्यय का समग्र व्यय के सापेक्ष अनुदान) दी जाती है, यदि यह संबंधित सामान्य श्रेणी के राज्य के औसत से कम है।

[13] शिक्षा संस्थाओं, ऊर्जा/कृषि, सहकारीता, अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान।

वर्ष 2010-11 को आधार वर्ष रखते हुए वर्ष 2013-14 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र व्यय तथा पूंजीगत व्यय के परिपेक्ष्य में राज्य शासन के राजकोषीय प्राथमिकता की समीक्षा **तालिका 1.20** में की गई है।

तालिका 1.20 वर्ष 2010-11 एवं 2013-14 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता	एई/जीएसडीपी	डीई/एई	एसएसई/एई	सीई/एई	शिक्षा/एई	स्वास्थ्य/एई
औसत (अनुपात) 2010-11 का						
सामान्य श्रेणी राज्य	15.78	65.09	36.88	13.49	17.48	4.37
छत्तीसगढ़	17.64	73.69	40.23	15.39	19.17	3.70
औसत (अनुपात) 2013-14 का						
सामान्य श्रेणी राज्य	15.92	66.45	37.56	13.62	17.20	4.51
छत्तीसगढ़	20.94	76.73	38.65	11.80	18.32	4.01

एईः कुल व्यय, डीई-विकास व्यय, एसएसईः सामाजिक क्षेत्र व्यय, सीईः पूंजीगत व्यय
विकास व्यय के अंतर्गत विकासात्मक राजस्व व्यय, विकासात्मक पूंजीगत व्यय एवं वितरित विकासात्मक ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है।

- छत्तीसगढ़ शासन ने कुल व्यय के रूप में अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद का, औसत सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में वर्ष 2010-11 एवं 2013-14 में अनुपातिक रूप से अधिक खर्च किया।
- वर्ष 2010-11 एवं 2013-14 के दौरान छत्तीसगढ़ में समग्र व्यय के अनुपात के रूप में विकास व्यय के साथ-साथ सामाजिक क्षेत्र का व्यय का अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से अधिक था।
- 2010-11 के दौरान छत्तीसगढ़ में समग्र व्यय का पूंजीगत व्यय के साथ अनुपात सामान्य श्रेणी राज्यों के औसत की तुलना में अधिक था लेकिन यह 2013-14 में कम था।
- यद्यपि वर्ष 2010-11 एवं 2013-14 में राज्य ने सामान्य श्रेणी राज्यों के औसत की तुलना में शिक्षा क्षेत्र को ज्यादा प्राथमिकता दिया है तथापि वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2013-14 में सकल व्यय के व्यय का अनुपात कम हुआ है।

वर्ष 2010-11 एवं 2013-14 में राज्य ने सामान्य श्रेणी राज्यों के औसत की तुलना में स्वास्थ्य क्षेत्र को कम प्राथमिकता दिया गया।

1.7.2 व्यय के उपयोग की कुशलता

सामाजिक एवं आर्थिक विकास के परिपेक्ष्य में विकास शीर्षों पर लोक व्यय की महता की दृष्टि से, राज्य शासन के लिए यह महत्वपूर्ण है कि व्यय को तर्कसंगत बनाने के

लिए समुचित उपाय करे एवं अतिआवश्यक लोक एवं महत्व की वस्तुओं[14] के लिए प्रावधान पर बल दे। विकास व्यय[15] के आवंटन में सुधार के अतिरिक्त विशेषकर अभी पिछले कुछ वर्षों में ऋण अदायगी/भुगतान में गिरावट के कारण राजकोषीय रिक्तता की दृष्टि से व्यय के उपयोग में कुशलता, कुल व्यय और/अथवा जीएसडीपी से पूंजीगत व्यय के अनुपात परिलक्षित होता है एवं राजस्व पर व्यय का अंश विद्यमान सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के संचालन एवं रखरखाव पर व्यय किया जा रहा है। कुल व्यय (या जीएसडीपी) से इन घटकों का जितना उच्च अनुपात होगा, उतनी बेहतर व्यय की गुणवत्ता होगी ।

तालिका 1.21 विगत वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान राज्य का सकल व्यय के सापेक्ष में विकास व्यय की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है।

तालिका 1.21 विकास व्यय

(₹ करोड़ में)

विकास व्यय के घटक	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**
विकास राजस्व व्यय	12,447 (60)	13,401 (59)	16,037 (57)	19,468 (58)	24,038 (62)
विकास पूंजीगत व्यय	2,668 (13)	2,899 (13)	4,014 (15)	4,794 (14)	4,392 (11)
विकास ऋण एवं अग्रिम	887 (04)	557 (02)	1,259 (05)	1,882 (06)	1,309 (03)
कुल विकास व्यय	**16,002** ***(77)***	**16,857** ***(73)***	**21,310** ***(76)***	**26,144** ***(77)***	**29,739** ***(77)***
सकल व्यय (आरई+सीई+एल और ए)	20,910	22,876	27,957	33,779	38,757
कोष्टक में दिये गये आंकड़े कुल व्यय का प्रतिशत दर्शाता है।					

(स्रोतः वित्त लेखे)

- **तालिका 1.21** से यह देखा जा सकता है कि विकास व्यय जिसमें सामाजिक आर्थिक सेवाओं के लिए राजस्व एवं पूंजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है, 2009-10 में ₹ 16,002 करोड़ से बढ़कर 2013-14 में ₹ 29,739 करोड़ हो गई।

[14] मुख्य जन सामग्री सभी नागरिक जिसका सार्वजनिक उपयोग करते हो, इस अर्थ में कि प्रत्येक व्यक्ति के ऐसे सामग्री के उपयोग से अन्य किसी व्यक्ति के उस सामग्री के उपभोग में कोई कमी नहीं आती है उदाहरण के लिए कानून एवं व्यवस्था लागू करना, हमारे अधिकारों की सुरक्षा एवं बचाव, प्रदूषण मुक्त हवा एवं वातावरण से संबंधित अन्य सामग्री एवं सड़क अद्योसंरचना इत्यादि। उच्चगुणवत्ता सामग्री उपयोग वस्तु है जिसे सार्वजनिक क्षेत्र निःशुल्क अथवा सस्ते दरों पर उपलब्ध करता है क्योंकि एक व्यक्ति या समाज के पास, सरकार को अदायगी की सम्मति एवं सामर्थ्य के बजाय कुछ जरूरत के विचार से उपलब्ध होना चाहिए एवं इसलिए उनके खपत को प्रोत्साहित करने की इच्छा करता है। ऐसे सामग्रियों के उदाहरण में पोषण आहार में सहायता हेतु गरीबो के लिए सस्ते या मुफ्त भोजन प्रावधान, जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना एवं रूग्णता को कम करने, सभी के लिए बुनियादी शिक्षा पेयजल एवं स्वच्छता आदि मुहैया कराना है।

[15] व्यय के आंकड़ों के विश्लेषण से विकास एवं गैर विकास व्यय को पृथक किया जाता है। राजस्व लेखे पूंजीगत व्यय एवं ऋणों तथा अग्रिमों से संबंधित सभी व्यय को सामाजिक सेवाएं, आर्थिक सेवाएं एवं सामान्य सेवाएं की श्रेणीयों में स्थापित करता है। स्पष्टतः सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं विकास व्यय को स्थापित करता है जबकि सामान्य सेवाओं पर व्यय गैर विकास व्यय के रूप में व्यवहार किया जाता है।

- वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान सकल व्यय के प्रतिशत के रूप में विकास व्यय में अस्थिर प्रवृत्ति देखा गया जो 73 प्रतिशत से 77 प्रतिशत के मध्य था।

- पिछले वर्ष की तुलना में 2013-14 के दौरान कुल विकास व्यय में ₹ 3,595 करोड़ (14 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जिसका कारण विकास राजस्व व्यय में ₹ 4,570 करोड़ (23 प्रतिशत) की वृद्धि था। यद्यपि, विकास पूंजीगत व्यय में ₹ 402 करोड़ (आठ प्रतिशत) तथा ऋण एवं अग्रिमों में ₹ 573 करोड़ (30 प्रतिशत) की कमी देखी गई।

1.7.3 चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय

तालिका 1.22 पूंजीगत व्यय तथा राजस्व व्यय के घटक जो चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के संधारण पर व्यय के विवरण को प्रदर्शित करता है।

तालिका 1.22 चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में व्यय के उपयोग की कुशलता

(प्रतिशत में)

सामाजिक/आर्थिक अद्योसंरचना	2012-13			2013-14		
	सीई का टीई से अनुपात	राजस्व व्यय के अंश में		सीई का टीई से अनुपात	राजस्व व्यय के अंश में	
		अनुरक्षण	वेतन एवं मजदूरी		अनुरक्षण	वेतन एवं मजदूरी
सामाजिक सेवाएं (एस एस)						
कुल सामाजिक सेवाएं जिनमें	2.81	1.69	34.82	1.79	2.23	33.34
सामान्य शिक्षा	0.51	1.70	36.71	0.65	1.35	44.78
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.51	0.66	62.42	0.33	0.66	62.14
जल आपूर्ति, स्वच्छता एवं आवास एवं शहरी विकास	1.23	2.88	9.85	0.22	4.06	10.76
आर्थिक सेवाएं (इ एस)						
कुल सामाजिक सेवाएं जिनमें	11.38	5.46	21.00	9.55	6.18	18.72
कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप	0.25	1.22	29.18	0.23	0.76	21.70
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	4.90	6.70	73.39	4.35	5.50	75.55

(स्रोतः वित्त लेखा)

टीईः संबंधित क्षेत्र में कुल व्यय; सीई; संबंधित क्षेत्र में पूंजीगत व्यय;

तालिका 1.22 से विदित है कि;

- कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय का हिस्सा 2012-13 में 2.81 प्रतिशत से घटकर 2013-14 में 1.79 प्रतिशत हो गया जिसका कारण सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय, 2012-13 में ₹ 950.62 करोड़ से घटकर 2013-14 में ₹ 691.96 करोड़ हो गया।

- जबकि सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत राजस्व व्यय में वेतन पर व्यय का अंश 34.82 प्रतिशत से घटकर 33.34 प्रतिशत हो गया तथापि वर्ष 2013-14 के दौरान संधारण व्यय 1.69 प्रतिशत से 2.23 प्रतिशत हो गया।

- कुल व्यय में आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय का हिस्सा 2012-13 में 11.38 प्रतिशत से घटकर 2013-14 में 9.55 प्रतिशत हो गया जिसके कारण आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय 2012-13 में ₹ 3,843.34 करोड़ से घटकर 2013-14 मे ₹ 3,699.81 करोड़ हो गया।

- आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय के अंतर्गत वेतन का हिस्सा 21 प्रतिशत से घटकर 18.72 प्रतिशत हो गया जबकि इस वर्ष के दौरान उसका संधारण व्यय क्रमशः 5.46 प्रतिशत के बढ़कर 6.18 प्रतिशत हो गया।

1.8 शासकीय व्यय एवं निवेश का वित्तीय विश्लेषण

राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम में राज्य से यह अपेक्षित है कि वह न केवल अपना राजकोषीय घाटे (एवं उधारियों) को न्यूनतम स्तर पर बनाये रखे अपितु पूंजीगत व्यय/निवेश (ऋणों एवं अग्रिमों सहित) संबंधित आवश्यकताओं को प्राप्त करे। इसके अतिरिक्त, बाजार आधारित संसाधानों पर पूर्ण निर्भरता की स्थिति में परिवर्तन के लिए राज्य शासन को अपने निवेश पर पर्याप्त प्रतिफल उपार्जित करने हेतु एवं उधार ली गई निधियों की लागत का भार आर्थिक सहायता के रूप में अपने बजट पर रखने के बजाय इसकी वसूली के लिए पहल करना चाहिए एवं वित्तीय संचालनों में पारदर्शिता लाने के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए। यह खण्ड विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान शासन द्वारा किये गये निवेश एवं अन्य पूंजीगत व्यय का यह अनुभाग विस्तृत वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

1.8.1 अपूर्ण परियोजनाएं

परियोजनाओं की विभागवार जानकारी (जिसकी लागत ₹ 10 करोड़ एवं उससे अधिक है) जो 31 मार्च 2014 तक पूर्ण होना नियत की गई थी, **तालिका 1.23** में दर्शाई गई है।

तालिका 1.23 विभागावार अपूर्ण परियोजनाओं की रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं			
	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	प्राकलित लागत के पुनरीक्षण के पश्चात् अपूर्ण परियोजनाओं की कुल लागत	31 मार्च 2014 को संचयी व्यय
लोक निर्माण	40	996.33	1,136.78	765.32
जल संसाधन	126	8,170.53	9,396.63	3,432.48
योग	**166**	**9,166.86**	**10,533.41**	**4,197.80**

(स्रोतः वित्त लेखे 2013-14)

अपूर्ण निर्माण कार्य पर निधियों का अवरोधन नाकारात्मक रूप से व्यय की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। सभी 166 परियोजनाओं (अनुमानित लागत ₹ 9,166.86 करोड़) को 31 मार्च 2014 तक पूर्ण किया जाना था, परन्तु उनके अपूर्ण रहने के परिणामस्वरूप इन कार्यो पर व्यय राशि ₹ 4,197.80 करोड़ अवरूद्ध हो गई। परियोजना के निर्माण कार्य के पूर्णता में विलंब से लागत वृद्धि का जोखिम बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त इन परियोजनाओं के पूर्णता में विलंब के कारण परियोजनाओं से नियत लाभ प्राप्त नहीं किये जा सके।

1.8.2 निवेश एवं प्रतिफल

31 मार्च 2014 की स्थिति में, शासन ने ₹ 1,866.44 करोड़ सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, ग्रामीण बैंको, संयुक्त पूंजी (स्टाक) कम्पनियों एवं सहकारी

समितियों एवं स्थानीय निकाय में निवेश किया (**तालिका 1.24**)। वर्ष 2013-14 के दौरान इस निवेश पर औसत प्रतिफल 0.76 प्रतिशत था जबकि शासन ने उधारियों पर 6.12 प्रतिशत का औसत ब्याज का भुगतान किया। निवेश से प्रतिफल नगण्य था। उधार ली गई निधियों का ऐसे निवेश जिनका उचित प्रतिफल प्राप्त नहीं होता है, में निरन्तर निवेश से असंतुलित वित्तीय स्थिति उत्पन्न होगी। शासन उच्च लागत निधियों मे निवेश हेतु उचित उपाय सुनिश्चित करे।

तालिका 1.24 निवेश पर प्रतिफल

निवेश/प्रतिफल/उधार की लागत	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
वर्ष के अन्त में निवेश (₹ करोड़ में)	251.67	259.92	1,194.38	1,916.18	1,866.44
निवेश पर प्रतिफल (₹ करोड़ में)	0.44	4.30	0.46	2.19	14.21
निवेश पर प्रतिफल (प्रतिशत)	0.17	1.65	0.04	0.11	0.76
शासकीय उधार पर औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	7.13	7.34	7.08	6.34	6.12
ब्याज दर एवं प्रतिफल के बीच अन्तर (प्रतिशत)	6.96	5.69	7.04	6.23	5.36

(वर्ष के अंत में निवेश मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के बीच में अविभाजित निवेश को शामिल नहीं करता है।)

वर्ष 2013-14 तक निवेशित ₹ 1,866.44 करोड़ में से ₹ 1,662.49 करोड़ शासकीय कम्पनी, ₹ 146.62 करोड़ सहकारी संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों में, ₹ 30.42 करोड़ सांविधिक निगमों में, ₹ 24.31 करोड़ ग्रामीण बैकों में तथा ₹ 2.60 करोड़ संयुक्त स्टॉक कम्पनियों में निवेश किया गया।

1.8.3 राज्य शासन द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों एवं कंपनियों में निवेशों के अतिरिक्त, शासन इनमें से बहुत से संस्थाओं/संगठनों को भी ऋण तथा अग्रिम प्रदाय करती रही है। 31 मार्च 2014 की स्थिति में बकाया ऋणों एवं अग्रिमों एवं विगत तीन वर्षों के दौरान ब्याज भुगतान की तुलना में ब्याज प्राप्तियों का विवरण **तालिका 1.25** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.25 राज्य शासन द्वारा दिये गये कर्ज पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

ऋणों की प्रमात्रा/ब्याज प्राप्तियां/उधारियों की लागत	2011-12	2012-13	2013-14
प्रारंभिक शेष	1,535.64	1,517.88	1,864.72[16]
वर्ष के दौरान दी गई अग्रिम	1,268.74	1,888.79	1,318.53
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान राशि	1,282.53	1,542.01	1,637.27
अंतशेष	**1,521.85**	**1,864.66**	**1,545.99**
ऐसे बकाया शेष जिसके लिए शर्तें तय कर ली गई है	1,094.48	1,864.66	1,544.99
निबल वृद्धि	(-)13.79	342.78	(-) 318.74
ब्याज प्राप्तियां	62.79	8.27	274.43
बकाया ऋणों तथा अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में ब्याज प्राप्ति	4.11	0.44	17.75
राज्य शासन के बकाया राजकोषीय देनदारीयों से ब्याज भुगतान का प्रतिशत	7.08	6.34	6.12
ब्याज प्राप्तियाँ एवं ब्याज भुगतान में अन्तर (प्रतिशत)	(-)2.97	(-) 5.90	11.63

(स्त्रोतः वित्त लेखे)

[16] वित्त लेखे में प्रोफर्मा समायोजन के कारण प्रारंभिक शेष बदल गया।

मार्च 2014 की स्थिति में शासन के ₹ 1,545.99 करोड़ के ऋण तथा अग्रिम बकाया थे जिसमें से ₹ 162.69 करोड़, ₹ 860.60 करोड़ एवं ₹ 532.39 करोड़ क्रमशः सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण थे। बकाया ऋण तथा अग्रिमों का समायोजन सरकारी कर्मचारियों से ₹ 9.69 करोड़ ऋण एवं अग्रिमों की वसूली कर किया गया। इन ऋणों एवं अग्रिमों के विरूद्ध प्राप्त ब्याज पिछले वर्ष 0.44 प्रतिशत (₹ आठ करोड़) के विरूद्ध 2013-14 में 17.75 प्रतिशत (₹ 274 करोड़) था।

1.8.4 रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश

रोकड़ शेष तथा वर्ष के दौरान राज्य शासन द्वारा किये निवेश को **तालिका 1.26** में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 1.26 रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश

(₹ करोड में)

	1 अप्रैल 2013 की स्थिति में प्रारंभिक शेष	31 मार्च 2014 की स्थिति में अंतिम शेष
(अ) सामान्य रोकड़ शेष		
(1) कोषालय में रोकड़	0.00	0.00
(2) रिजर्व बैंक में जमा	(-)1,767.11	(-) 46.71
(3) मार्गस्थ प्रेषण	0.00	0.00
कुल (1 + 2 + 3)	**(-)1,767.11**	**(-) 46.71**
(4) ''रोकड़ शेष निवेश लेखा'' में किया गया निवेश	2,619.56	1,527.49
योग (अ) सामान्य रोकड़ शेष (1 + 2 + 3 + 4)	852.45	1,480.78
(ब) अन्य रोकड़ शेष और निवेश		
(1) विभागीय अधिकारियों जैसे वन तथा लोक निर्माण विभाग, राज्यपाल के सैनिक सचिव के पास रोकड़	116.56	9.63
(2) विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी पेशगी राशियां	0.31	0.31
(3) विशिष्ट उद्देश्य हेतु निधियों का निवेश	1,147.62	1,244.57
कुल (ब) अन्य रोकड़ शेष और निवेश (1 + 2 + 3)	**1,264.49**	**1,254.51**
कुल (अ) तथा (ब)	**2,116.94**	**2,735.29**

(स्त्रोतः वित्त लेखे 2013-14)

वर्ष के अंत में राज्य का रोकड़ शेष ₹ 2,735 करोड़ था, जो विगत वर्ष की तुलना में 29 प्रतिशत अधिक था। वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 3,000 करोड़ के बाजार ऋण लेने के कारण मुख्यतः अतिरिक्त रोकड़ शेष रहा।

भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे जाने वाले ₹ 0.72 करोड़ के न्यूनतम आवश्यक रोकड़ शेष को शासन ने बनाये रखा। राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर अतिरिक्त रोकड़ शेष को शासन के द्वारा शासकीय कोषालय देयकों तथा प्रतिभूतियों की अल्पनिधि जमा में निवेश किया गया एवं वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 97.80 करोड़ ब्याज अर्जित किया गया जो कि विगत वर्ष की तुलना में ₹ 36.76 करोड़ कम था।

1.9 परिसम्पत्तियां एवं दायित्व

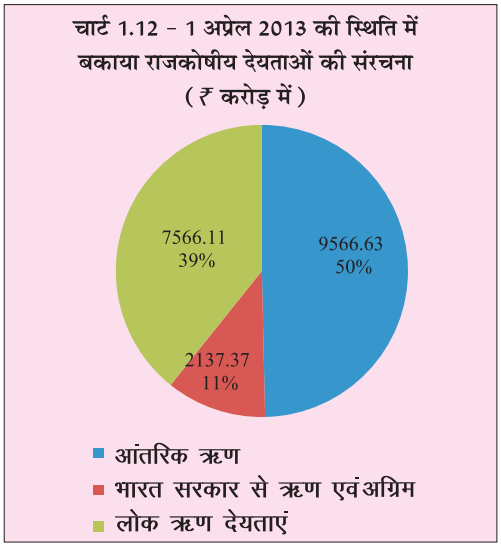
1.9.1 परिसम्पत्तियां एवं दायित्वों का वृद्धि तथा घटक

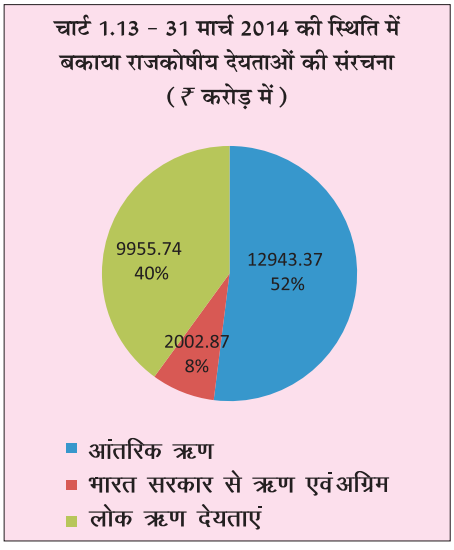
प्रचलित शासकीय लेखा प्रणाली में सरकार के स्वामित्व वाली अचल परिसम्पत्तियों जैसे भूमि और भवन का व्यापक लेखांकन नहीं किया जाता है। तथापि, सरकारी लेखे सरकार के वित्तीय दायित्वों तथा किये गये व्यय द्वारा सृजित परिसम्पतियों को समाहित करते हैं। 31 मार्च 2013, की समरूप स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2014 को ऐसे दायित्वों एवं परिसम्पत्तियों के सार को **परिशिष्ट 1.4 (भाग-ब)** प्रस्तुत करता है जबकि **परिशिष्ट 1.4 (भाग-ब)** के दायित्वों में, मुख्य रूप से आंतरिक उधारियां, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखे एवं आरक्षित निधियों से प्राप्तियां सम्मिलित हैं, परिसम्पत्तियों में मुख्य रूप से पूंजीगत व्यय, राज्य शासन द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम तथा रोकड़ शेष सम्मिलित हैं।

दायित्वों का वृद्धि दर वर्ष 2012-13 के 12.80 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 में 28.04 प्रतिशत हो गया एवं इसी अवधि में परिसम्पत्तियों का वृद्धि दर 16.92 प्रतिशत से घटकर 14.54 प्रतिशत हो गया।

1.9.2 राजकोषीय दायित्व

दायित्वों की प्रवृत्तियों को **परिशिष्ट - *1.4*** में प्रस्तुत किया गया है तथा गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान राजकोषीय दायित्वों की घटक **चार्ट 1.12** एवं **1.13** में प्रस्तुत है।





दायित्व दो प्रकार के है लोक ऋण एवं अन्य दायित्व। लोक ऋण राज्य के आंतरिक ऋण से निर्मित है जिसे समेकित निधि के अधीन पूंजीगत लेखा के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरणियों में प्रतिवेदित की जाती है। इसमें बाजार ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक के

लिए जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों एवं भारत सरकार से लिए गये ऋण एवं अग्रिम शामिल है। भारत के संविधान में वर्णित है कि राज्य, भारत की सीमा के अन्दर समेकित निधि की प्रतिभूति पर उस सीमा तक जितना की समय-समय पर विधान मंडल द्वारा पारित कानून के द्वारा निर्धारित किया गया है गारंटी दे सकता है। अन्य दायित्व अथवा राजकोषीय दायित्व जो लोक लेखे का हिस्सा है अल्प बचत योजना, भविष्य निधियां एवं अन्य जमा के तहत सम्मिलित है।

विगत वर्ष के तुलना में जहाँ आंतरिक ऋण राजकोषीय दायित्व का 50 प्रतिशत से मामूली रूप से बढ़कर 52 प्रतिशत हुआ वहीं लोक लेखा दायित्व भी मामूली रूप से बढ़कर 39 प्रतिशत से 40 प्रतिशत हुआ। यद्यपि, भारत सरकार से बकाया ऋण एवं अग्रिम 2012-13 के 11 प्रतिशत से घटकर 2013-14 में आठ प्रतिशत हो गया।

राज्य का राजकोषीय दायित्व इन दायित्वों का सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं राजस्व प्राप्तियों का अनुपात को **तालिका-1.27** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.27 राजकोषीय देयता आधारभूत मानक

	2009-10	2010-11	2011-12[17]	2012-13	2013-14
राजकोषीय देयतायें (₹ करोड़ में)	15,937	16,581	17,103	19,268	24,902
राजकोषीय देयताओ का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	7.79	4.06	3.15	12.66	29.24
राजकोषीय देयतायें/जीएसडीपी (प्रतिशत में)	16.10	13.88	11.85	11.79	13.46
राजकोषीय देयतायें/राजस्व प्राप्तियां (प्रतिशत में)	87.77	72.98	66.11	65.14	77.70
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	**99,364**	**1,19,420**	**1,44,382[P]**	**1,63,461[Q]**	**1,85,060[A]**

(स्त्रोतःवित्त लेखे) (ए=अग्रिम, क्यू=तत्काल एवं पी= अस्थायी रूप से)

- राज्य के समग्र राजकोषीय दायित्व में 56 प्रतिशत (₹ 8,965 करोड़) की वृद्धि हुई, जो 2009-10 में ₹ 15,937 करोड़ से बढ़कर 2013-14 में ₹ 24,902 करोड़ हो गई।
- दायित्वों की वृद्धि दर 2012-13 के 13 प्रतिशत के विरूद्ध 2013-14 के दौरान 29 प्रतिशत हो गया।
- 2013-14 के अंत में राजकोषीय दायित्व, वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 78 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करता है जबकि वर्ष 2012-13 में यह 65 प्रतिशत था।
- 2013-14 के दौरान बकाया ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात 13.46 प्रतिशत था जो एफआरबीएम प्रकटीकरण में दिये गये अनुमान (14.16 प्रतिशत) के अंदर था।

[17] जीएसडीपी आंकड़ें में बदलाव एवं वित्त लेखे में किये समायोजन के कारण 2011-12 के आंकड़ें बदल गये।

1.9.3 आरक्षित निधि के अंतर्गत लेनदेन

राज्य शासन के लेखे (लोक लेखे) में विशिष्ट एवं स्पष्ट रूप से परिभाषित उद्धेश्यों के प्रतिपूर्ति हेतु आरक्षित एवं आरक्षित निधियों का गठन किया गया है।

वित्त लेखे के विवरण क्रमांक 19 के अनुसार, राज्य शासन के लेखे में 16 आरक्षित निधियों का गठन एवं संधारण किया जा रहा है। 31 मार्च 2014 की स्थिति में, इन आरक्षित निधियों का अंतिम शेष ₹ 2,827.44 करोड़ था। इनमें से दो नवीन आरक्षित निधियों अधोसंरचना विकास उपकर निधि तथा पर्यावरण उपकर निधि का गठन इसी वर्ष किया गया है।

एक आरक्षित निधि ग्रामीण विकास निधि, जिसका गठन 2001-02 में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने हेतु किया गया था, का 31 मार्च 2014 की स्थिति में शेष ₹ 115.70 करोड़[18] था। इसके गठन के पश्चात् से अब तक इस निधि में कोई लेन-देन नहीं किया जा रहा है।

राज्य आपदा उन्मोचन निधि तथा समेकित निक्षेप निधि के लेन-देनों का विश्लेषण निम्नानुसार है :

राज्य आपदा राहत निधि

तेरहवें वित्त आयोग के अनुशंसा के आधार पर राज्य शासन ने वर्ष 2010-11 में एक राज्य आपदा उन्मोचन निधि का गठन किया। 2013-14 के दौरान राज्य आपदा उन्मोचन निधि में प्रारम्भिक शेष ₹ 464.89 करोड़ था इस वर्ष के दौरान निधि से प्राप्तियां एवं संवितरण क्रमशः ₹ 171.44 करोड़ एवं ₹ 135.95 करोड़ था जिससे शेष ₹ 500.38 करोड़ शेष था।

निक्षेप निधिः-

शासन ने 2006-07 के दौरान खुले बाजार ऋण के लिए एक निक्षेप निधि का गठन किया। इस निधि का उपयोग, परिशोधन के रूप में बकाया आन्तरिक ऋण एवं लोक लेखे की देनदारियों के विमोचन के लिए वर्ष 2011-12 से किया जाना था। यद्यपि 2013-14 तक शासन द्वारा राशि का उपयोग नहीं किया गया है। 2013-14 में निक्षेप निधि (निवेश लेखा) में शेष ₹ 1,246.94 करोड़ था। 2013-14 के दौरान शासन ने ₹ 96.34 करोड़ के न्यूनतम अंशदान के विपरीत ₹ 100 करोड़ का अंशदान दिया अर्थात् 2012-13 के अंत तक बकाया दायित्वों (₹ 19,268 करोड़) का 0.5 प्रतिशत।

[18] ग्रामीण विकास निधि की वर्षवार प्राप्तियां 2001-02 = ₹ 2.25 करोड़, 2002-03= ₹ 2.50 करोड़, 2003-04= ₹ 0.41 करोड़, 2004-05= ₹ 4.11 करोड़, 2005-06= ₹ 5.09 करोड़, 2006-07= ₹ 6.91 करोड़, 2007-08= ₹ 27.59 करोड़, 2008-09= ₹ 11.60 करोड़ 2009-10= ₹ (-) 7.54 करोड़, 2010-11= ₹ 12.00 करोड़, 2011-12= ₹ 15.00 करोड़, 2012-13= ₹ 17.78 करोड़, 2013-14= ₹ 18.00 करोड़।

1.9.4 प्रत्याभूति की स्थिति-आकस्मिक दायित्व

प्रत्याभूति राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक उतरदायित्व जब उधारकर्ता जिसके विरूद्ध प्रत्याभूति दी गई है के द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है। राज्य विधान मंडल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 293 के अन्तर्गत मार्च 2014 तक ऐसी कोई विधि पारित नहीं की गई थी जिससे शासन राज्य के समेकित निधि के प्रतिभूति पर प्रत्याभूति दे सके। यद्यपि राज्य के एफआरबीएम में यह प्रावधान शामिल किया गया है कि राज्य शासन कम से कम शर्तों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.5 प्रतिशत या जोखिम भारित के आधार पर 0.5 प्रतिशत जो भी कम हो से ज्यादा एक वर्ष में प्रत्याभूति नहीं देगा।

अधिकतम राशि जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति दिया गया था एवं पिछले तीन वर्षो से लंबित प्रत्याभूति **तालिका 1.28** में दिया गया है।

तालिका 1.28 छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दी गई प्रत्याभूति

(₹ करोड़ में)

गारंटी	2011-12	2012-13	2013-14
प्रत्याभूति की अधिकतम राशि	7,079.29	6,605.49	7,571.99
प्रत्याभूति की बकाया राशि	2,637.40	2,694.90	3,358.27
राजस्व प्राप्तियां	25,867.00	29,578.09	32,050.26
कुल राजस्व प्राप्तियों से अधिकतम प्रत्याभूति राशि का प्रतिशतता	27.37	22.33	23.63

(स्त्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखें)

वित्त लेखे में दर्ज विवरण संख्या 9 के अनुसार, ₹ 3,358.27 करोड़ की प्रत्याभूति मार्च 2014 के अंत तक बकाया थी। इनमें से सहकारिता (₹ 1,500.77 करोड़), उर्जा (₹ 1,667.03 करोड़), आवास एवं शहरी विकास (₹ 93.69 करोड़), राज्य वित्तीय निगम (₹ 93.02 करोड़) एवं अन्य (₹ 3.76 करोड़) को प्रत्याभूति दी गई जो 31 मार्च 2014 तक बकाया था। आकस्मिक दायित्वों के रूप में प्रत्याभूतियों की लंबित राशि राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 10 प्रतिशत था। नये प्रत्याभूतियां एफआरबीएम अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमा में थी।

राज्य सरकार को प्रत्याभूति की आकस्मिक विमुक्ति के दायित्व के निर्वाह के लिए बारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसा की गई कि राज्यों को पूर्व निर्धारित प्रत्याभूति शुल्क से एक प्रत्याभूति विमोचन निधि की स्थापना करनी चाहिए। तथापि, राज्य शासन के द्वारा उनके प्रत्याभूतियों का मूल्यांकन कम जोखिम का मानते हुए प्रत्याभूति विमोचन निधि की स्थापना नहीं करने का निर्णय लिया। वर्ष के दौरान किसी प्रत्याभूति को रद्द नहीं किया गया था।

1.9.5 सरकार द्वारा लिये गए उधार का विश्लेषण

वर्ष 2013-14 के दौरान लोक ऋण की स्थिति **तालिका 1.29** में प्रस्तुत है-

तालिका 1.29 वर्ष 2013-14 के दौरान लोक ऋण का विवरण

(₹ करोड़ में)

उधारों की प्रकृति	1 अप्रैल 2013 को प्रारंभिक शेष	प्राप्तियां	पुनर्भुगतान	31 मार्च 2014 को अंतिम शेष	निबल वृध्दि (+) कमी (-)
बाजार कर्ज	3,236.05	3,000.00	156.01	6,080.04	2,843.99
प्रतिकर तथा अन्य बंध पत्र	193.37	--	48.32	145.05	(-) 48.32
वित्तीय संस्थाओं से कर्ज	759.64	674.62[19]	94.97	1,339.29	579.65
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	5,377.57	242.68	241.26	5,378.99	1.42
केंद्र सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	2,137.37	14.59	149.09	2,002.87	(-)134.50
योग	11,704.00	3,931.89	689.65	14,946.24	3,242.24

(स्त्रोत : वित्त लेखे 2013-14)

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 3,931.89 करोड़ का उधार लिया गया तथा ₹ 689.65 करोड़ इसके पुनर्भुगतान के रूप में विमुक्त किया गया। वर्ष 2013-14 के दौरान बाजार से उधारियां एवं अन्य उधारियों का विश्लेषण निम्नानुसार है-

वित्तीय संस्थाओं से ऋण

सरकार द्वारा वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 674.62 करोड़ का उधार वित्तीय संस्थानों, जैसे राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (₹ 674.39 करोड़) एवं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (₹ 0.23 करोड़) से लिया गया तथा ₹ 94.97 करोड़ का पुनर्भुगतान किया गया। वर्ष 2013-14 के दौरान वित्तीय संस्थाओं से लिए गये ऋण के बकाया शेष में ₹ 579.65 करोड़ (76.30 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जो वर्ष 2012-13 में ₹ 759.64 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 1,339.29 करोड़ हो गया।

राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों से प्राप्त ऋण

सरकार द्वारा लघु बचत संग्रहणों से कर्ज विमुक्त करने के उद्धेश्य से वर्ष 1999-2000 राष्ट्रीय अल्प बचत निधि गठित किया गया। वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य सरकार को ₹ 242.68 करोड़ का ऋण प्राप्त हुआ तथा ₹ 241.26 करोड़ का पुनर्भुगतान किया गया। राष्ट्रीय अल्पबचत निधि के कर्जों के बकाया शेष में ₹ 1.42 करोड़ (0.03 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जो वर्ष 2012-13 में ₹ 5,377.57 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 5,378.99 करोड़ हो गया। वर्ष 2013-14 के दौरान शासन ने ₹ 481.98 करोड़ का ब्याज भुगतान किया ।

बाजार ऋण

वर्ष 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान बाजार ऋण की वर्षवार स्थिति **तालिका 1.30** में दिया गया है।

[19] इसमें राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (₹ 674.39 करोड़) तथा राष्ट्रीय सहकारिता बैंक (₹ 0.23 करोड़) से प्राप्त ऋण सम्मिलित है।

तालिका 1.30 वर्ष 2009-14 की अवधि में बाजार ऋण की समग्र स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बाजार ऋण का प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान लिए गए बाजार ऋण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान किए गए बाजार ऋण	अंतिम शेष	निबल वृध्दि (+) कमी (-)	विगत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृध्दि
2009-10	2,297.90	700.02	250.18	2,747.74	449.84	19.58
2010-11	2,747.74	0.00	235.02	2,512.72	(-)235.02	(-)08.55
2011-12	2,512.72	0.00	313.14	2,199.58	(-)313.14	(-)12.46
2012-13	2,199.58	1,500.00	463.53	3,236.05	1,036.47	47.12
2013-14	3,236.05	3,000.00	156.01	6,080.04	2,843.99	87.88

(स्त्रोत : वित्त लेखे)

तालिका 1.30 से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 में क्रमशः ₹ 1,500 करोड़ तथा ₹ 3,000 करोड़ के बाजार ऋण लिये जाने के कारण इन वर्षों के अंत तक बाजार ऋण का बकाया शेष क्रमशः ₹ 3,236.05 करोड़ तथा ₹ 6,080.04 करोड़ के उच्च स्तर पर था।

1.10 ऋण प्रबंधन

1.10.1 ऋण प्रारूप

राज्य शासन के ऋण की मात्रा के अतिरिक्त, राज्य के ऋण धारणीयता[20] को निर्धारित करने वाले विभिन्न सूचकों का विश्लेषण करना भी महत्वपूर्ण है। यह खण्ड राज्य शासन के ऋण स्थिरीकरण[21]; गैर ऋण प्राप्तियों[22] की पर्याप्तता; उधार ली गई निधियों[23] की निबल उपलब्धता; ब्याज भुगतान का भार (ब्याज भुगतान के राजस्व प्राप्तियों से अनुपात के रूप में मापा गया) तथा राज्य शासन के प्रतिभूतियों के परिपक्वता की रूपरेखा के संदर्भ में ऋण धारणीयता का मूल्यांकन करता है।

20 ऋण धारणीयता एक समयावधि में ऋण-जीएसडीपी के अनुपात को स्थिर बनाये रखने की राज्य की योग्यता के रूप में परिभाषित है और इनके ऋणों को चुकाने की क्षमता के बारे में चिंता को भी सम्मिलित करता है। अतः ऋण के धारणीयता का चालू अथवा वचनबद्ध दायित्वों को चुकाने के लिए तरल परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता और अतिरिक्त उधारों की लागत का इन उधारों के प्रतिलाभ के साथ संतुलन बनाये रखने की क्षमता से भी संबंध है। इसका तात्पर्य है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि ऋण चुकाने की क्षमता में वृद्धि के समरूप होना चाहिये।

21 स्थायित्व की आवश्यक शर्त है कि यदि आर्थिक वृद्धि दर ब्याज दर अथवा लोक उधारों की लागत से अधिक है, तो ऋण-जीएसडीपी अनुपात स्थिर रहेगा बशर्ते प्रारम्भिक अवशेष या तो शून्य अथवा धनात्मक अथवा मामूली ऋणात्मक हो। दिये गये दर विस्तार (जीएसडीपी वृद्धि पर-ब्याज पर) एवं प्रमात्रा विस्तार (ऋण दर विस्तार), ऋण धारणीयता की स्थिति यह बताती है कि यदि प्राथमिक घाटे के साथ-साथ प्रमात्रा विस्तार शून्य हो तो, ऋण-जीएसडीपी अनुपात स्थायी होगा अथवा ऋण अन्ततः स्थिर रहेगा। दूसरे रूप में, यदि प्रमात्रा विस्तार के साथ-साथ प्राथमिक घाटा ऋणात्मक होता है, ऋण-जीएसडीपी का अनुपात बढ़ेगा और यदि धनात्मक है तो ऋण-जीएसडीपी अनुपात मे तदनुसार कमी/गिरावट आयेगी।

22 राज्य के वृद्धिजन्य ब्याज दायित्वों एवं वृद्धिजन्य प्रारम्भिक व्यय की प्राप्ति के लिए वृद्धिजन्य गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता है। ऋण धारणीयता पर्याप्त रूप में सुसाध्य हो सकती है यदि वृद्धिजन्य गैर ऋण प्राप्तियों से वृद्धिजन्य ब्याज भार तथा वृद्धिजन्य प्राथमिक व्यय की पूर्ति हो सके।

23 उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता को, कुल ऋण प्राप्तियों से ऋण विमोचन मूलधन, ब्याज भुगतान के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है तथा सूचित करता है कि किस सीमा तक ऋण प्राप्तियों ऋण विमोचन के लिए उपयोग में लाई गई। यही उधार ली गई निधियों की निबल उपलब्धता दर्शाती है।

1.10.2 ऋण धारणीयता

एक समयावधि में ऋण जीएसडीपी अनुपात को स्थिर बनाए रखने की राज्य की योग्यता को ऋण धारणीयता कही जाती है। अतएव, यह राज्य के ऋण चुकाने की क्षमता को इंगित करता है।

तालिका 1.31 वर्ष 2011-12 से प्रारंभ कर के तीन वर्ष की अवधि के लिए इन सूचकों के अनुसार राज्य की ऋण धारणीयता का विश्लेषण करता है।

तालिका 1.31 ऋण धारणीयता सूचकांक एवं प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

ऋण धारणीयता के सूचकांक	2011-12	2012-13	2013-14
ऋण स्थिरीकरण (प्रमात्रा विस्तार + प्रारंभिक घाटा)	1,752	41	(-) 2,340
गैर ऋण प्राप्तियों के अभिवृध्दि की पर्याप्तता (संसाधनों की रिक्तता)	(-) 1,211	(-) 1,854	(-) 2,405
उधार निधियों की निबल उपलब्धता	(-) 672	(+) 1012	(+) 4,283
ब्याज भुगतान का भार (ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्तियां अनुपात)	4.61	3.90	4.22
राजकोषीय देयताएं/सकल राज्य घरेलु उत्पाद -(प्रतिशत में)	12.26	12.03	13.46

(स्त्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

तालिका 1.31 में प्रदर्शित प्रवृति से यह स्पष्ट है कि 2011-13 की अवधि के दौरान प्राथमिक घाटे सहित प्रमात्रा विस्तार निरन्तर सकारात्मक रहा था परन्तु यह 2013-14 के दौरान नकारात्मक हो गया। राजकोषीय दायित्वों का जीएसडीपी से अनुपात वर्ष 2012-13 में 12.03 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2013-14 में 13.46 प्रतिशत हो गया।

वर्ष 2011-12 से 2013-14 की अवधि के दौरान गैर-ऋण प्राप्तियों में अभिवृध्दि की पर्याप्तता (संसाधनों का अंतर) नकारात्मक थी, जो यह दर्शाता है कि गैर-ऋण प्राप्तियों की वृद्धि बढ़ते हुये प्रारंभिक व्यय एवं बढ़ते हुये व्यय भार को पोषित करने के लिए अपर्याप्त थी।

मूलधन एवं ब्याज के भुगतान के पश्चात् उधार ली गई निधियों की उपलब्धता वर्ष 2011-12 में (-) ₹ 672 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 4,283 करोड़ हो गई। वर्ष 2013-14 की अवधि में शासन ने ₹ 4,678 करोड़ (राशि ₹ 540 करोड़ के आंतरिक ऋण का मूलधन एवं ब्याज, भारत सरकार से ₹ 149 करोड़ का ऋण तथा अन्य देनदारियों ₹ 3,989 का भी निपटान) का पुनर्भुगतान किया जो कुल प्राप्तियों ₹ 10,310 करोड़ (आंतरिक ऋण ₹ 3,917 करोड़, भारत सरकार से ₹ 15 करोड़ का ऋण तथा अन्य देनदारियों ₹ 6,378 करोड़) से कम था, परिणामतः उत्पादक/पूंजीगत व्यय हेतु ₹ 4,283 करोड़ (कुल उधारों का 42 प्रतिशत) के निधि की शुध्द उपलब्धता थी।

राज्य द्वारा भविष्य में पुनर्भुगतान हेतु योग्य, राज्य ऋण के परिपक्वता का परिपेक्ष्य **तालिका 1.32** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.32 राज्य के ऋण की परिपक्वता

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	कुल ऋण का प्रतिशत
0-5	4,224.98	4,182.47	4,252.03	3,914.35	4,207.57	28
6-10	3,333.13	3,351.11	3,115.08	3,204.48	7,937.95	53
11-15	1,987.75	2,039.44	1,958.45	3,312.46	1,674.14	11
16-20	1,150.28	1,164.79	1,012.50	802.49	658.63	04
20 और उससे ऊपर	316.25	378.91	347.50	470.22	467.95[24]	03
योग	**11,012.39**	**11,116.72**	**10,685.56**	**11,704.00**	**14,946.24**	

(स्त्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

परिपक्वता की रूपरेखा के संदर्भ में, अगले पाँच वर्षों में शासन के ऋण परिपक्वता में 28 प्रतिशत की विमोचन होगी। अतः भविष्य के ऋण भुगतानों की अधिक जागरूकता के साथ शासन इस स्थिति में होगी कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नये ऋण का भुगतान उन वर्षों में नहीं करना पड़े जिन वर्षों में अधिकतम पुनर्भुगतान बकाया है।

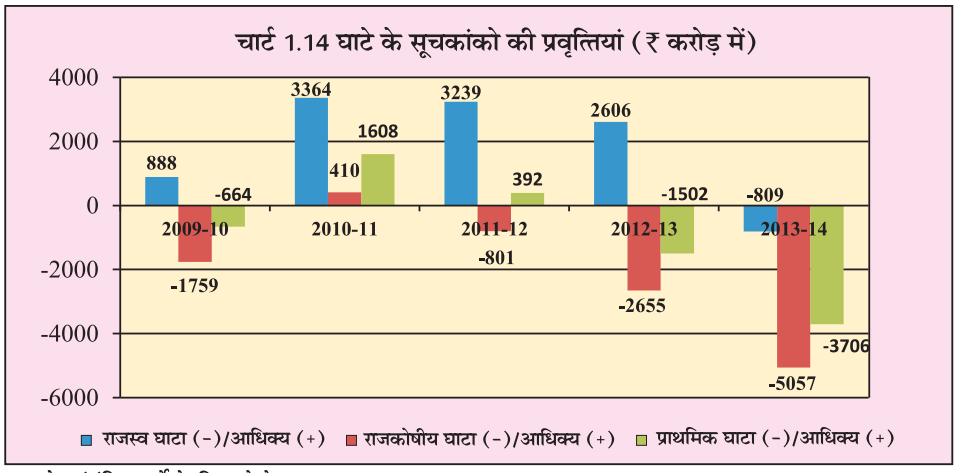
1.11 राजकोषीय अस्थिरता

तीन मुख्य राजकोषीय पैमाने राजस्व, राजकोषीय तथा प्राथमिक घाटे राज्य शासन के वित्त में एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान समग्र राजकोषीय असंतुलन की सीमा को दर्शाते हैं। शासन के लेखों में घाटा इसकी प्राप्तियों एवं व्यय के बीच के अंतर को दर्शाता है। घाटे की प्रकृति राज्य के राजकोषीय प्रबंधन की दूरदर्शिता का द्योतक है। आगे, घाटे के वित्त पोषण हेतु संसाधन की व्यवस्था एवं उपयोग के तरीके राजकोषीय स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण सूचक है। यह खण्ड घाटे के पोषण की प्रवृति, प्रकृति, आकार तथा तरीके एवं एफआरबीएम अधिनियम/नियम के अधीन वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए निर्धारित किये गये लक्ष्य के विरूद्ध वास्तविक राजस्व एवं राजकोषीय घाटे के स्तर के आंकलन को प्रस्तुत करता है।

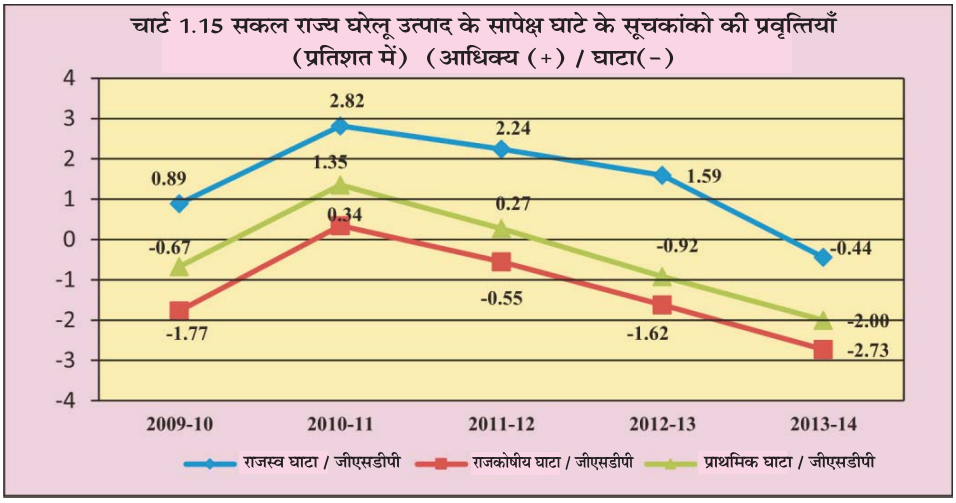
1.11.1 घाटे की प्रवृत्तियाँ

चार्ट 1.14,1.15 एवं तालिका 1.33 वर्ष 2009-14 की अवधि के लिए घाटे के सूचकांकों की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करता है।

[24] इसमें ₹ 310.23 करोड़ के वे ऋण सम्मिलित है जिनकी परिपक्वता वर्ष का विवरण उपलब्ध नहीं था तथा उन्हें मध्य प्रदेश को आबंटित परन्तु छत्तीसगढ़ द्वारा पुर्नभुगतान किया गया ।



(स्त्रोत संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)



(स्त्रोत संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

तालिका 1.33 घाटे की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)	(+)888	(+)3,364	(+)3,239	(+)2,606	(-) 809
राजकोषीय घाटा (-)/आधिक्य (+)	(-)1,759	(+)410	(-)801	(-)2,655	(-) 5,057
प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य (+)	(-)664	(+)1,608	(+)392	(-)1,502	(-) 3,706

चालू वर्ष (2013-14) में राज्य का राजस्व घाटा ₹ 809 करोड़ रहा, जबकि 2009-13 की अवधि में अंतर विचलन के साथ राजस्व आधिक्य रहा। राजस्व आधिक्य का पतन वर्ष 2011-12 में 4 प्रतिशत (₹ 125 करोड़) के कमी के साथ शुरू हुआ जो आगे वर्ष 2012-13 में 20 प्रतिशत (₹ 633 करोड़) घटकर ₹ 2,606 करोड़ हो गया। 131 प्रतिशत (₹ 3,415 करोड़), की तीक्ष्ण गिरावट के साथ विगत वर्ष का राजस्व आधिक्य, वर्ष 2013-14 की अवधि में ₹ 809 करोड़ का राजस्व घाटा में परिवर्तित हो गया। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व आधिक्य/घाटा वर्ष 2012-13 के 1.59 के तुलना में वर्ष 2013-14 में (-)0.44 घट गया।

राजकोषीय घाटा, जो शासन के कुल उधारियों तथा इसके कुल संसाधन के मध्य अंतर को दर्शाता है, वर्ष 2009-10 में ₹ 1,759 करोड़ था परन्तु वर्ष 2010-11 के दौरान यह ₹ 410 करोड़ के राजकोषीय आधिक्य में बदल गया। उसके बाद यह पुनः वर्ष 2011-12 में ₹ 801 करोड़ के राजस्व घाटे में बदल गया जो वर्ष 2012-13 में बढ़कर ₹ 2,655 करोड़ हो गया तथा पुनः वर्ष 2013-14 में बढ़कर ₹ 5,057 करोड़ हो गया। राजकोषीय घाटे एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात 2.73 प्रतिशत था जो कि तेरहवें वित्त आयोग तथा एफआरबीएम अधिनियम में उल्लेखित तीन प्रतिशत के सीमा के अंदर था।

राजकोषीय घाटा में 90 प्रतिशत तथा ब्याज अदायगियों में 17 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्राथमिक घाटा वर्ष 2012-13 में ₹ 1,502 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 3,706 करोड़ हो गया।

1.11.2 राजकोषीय घाटे का घटक तथा इसके वित्त पोषण की संरचना

राजकोषीय घाटा राज्य द्वारा लिये जाने वाले कुल उधारियों की आवश्यकता है तथा यह राजस्व एवं गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों से राजस्व व्यय एवं ऋण एवं अग्रिम सहित पूंजीगत व्यय की अधिकता है। राजकोषीय घाटे का विभाजन यह प्रकट करता है कि राज्य द्वारा अपने राजस्व एवं गैर ऋण प्राप्तियों के अतिरिक्त निधियों की अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किस सीमा तक विभिन्न उधारियों का सहारा लिया गया। राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण प्रणाली **तालिका -1.34** में प्रदर्शित की गई है।

तालिका 1.34 राजकोषीय घाटा के घटक एवं वित्तीय संरचना

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6
राजकोषीय घाटे का विभाजन					
राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)	888.22	3,363.79	3,239.33	2,606.25	(-) 809.31
निबल पूंजीगत व्यय	(-)2,742.61	(-)2,948.95	(-)4,052.47	(-)4,916.94	(-)4,566.55
निबल ऋण एवं अग्रिम[25]	95.39	(-) 5.08	11.97	(-)344.45	318.58
योग	**(-)1,759.00**	**409.76**	**(-)801.17**	**(-)2,655.14**	**(-)5,057.28**
राजकोषीय घाटे का वित्तीय संरचना*					
बाजार से उधार	449.85	(-)235.03	(-)313.14	1,036.47	2,843.99
भारत सरकार से उधार	106.83	67.38	(-)85.15	(-)152.37	(-)134.50
एन.एस.एस.एफ. को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ	146.33	373.47	13.00	15	1.42
वित्तीय संस्थाओं से ऋण	(-)67.36	(-)101.49	(-)45.86	119.34	531.33
अल्प बचत, भविष्य निधि इत्यादि	294.37	328.97	307.76	293.47	265.40
जमा एवं अग्रिम	(-)22.47	355.26	585.94	521.18	1,818.98
उचन्त एवं विविध	512.00	(-)2,129.58	1,758.77	(-)1,107.52	(-)1,243.93
प्रेषण	(-)111.83	33.68	96.10	(-)264.11	(-) 98.03
अन्य[26]	244.91	(-) 28.08	58.90	332.15	305.16
योग	**1,552.63**	**(-)1,335.42**	**2,376.32**	**793.61**	**4,289.82**
समग्र आधिक्य (+)/घाटा (-)	**(-)206.37**	**(-)925.66**	**1,575.15**	**(-)1,861.53**	**(-)767.46**
योग	**1,759.00**	**(-)409.76**	**801.17**	**2,655.14**	**5,057.28**
***ये सभी आँकडें वर्ष के दौरान निबल संवितरण/बाह्य प्रवाही है।**					

(स्त्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

[25] इसमें अंतर्राज्यीय समाशोधन सम्मिलित है।

[26] इसमें आकस्मिकता निधि एवं आरक्षित निधि सम्मिलित है।

यह स्पष्ट है कि वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य शासन द्वारा बाजार ऋण से राजकोषीय घाटे को अधिक से अधिक वित्त पोषित किया गया। विगत वर्ष के 39 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2013-14 में राजकोषीय घाटा वित्त पोषण में इसका हिस्सा 56 प्रतिशत था।

1.11.3 घाटा/आधिक्य की गुणवता

राजस्व घाटे का राजकोषीय घाटे से अनुपात तथा प्राथमिक घाटे का प्राथमिक राजस्व घाटे[27] एवं पूंजीगत व्यय (ऋण एवं अग्रिमों सहित) में अपघटन, राज्य के वित्त पोषण में घाटा गुणवत्ता की कमी को प्रदर्शित करता है। राजस्व घाटे का राजकोषीय घाटे से अनुपात उधार ली गई निधियों का वर्तमान में किस सीमा तक उपभोग किया गया है, को दर्शाता है।

प्राथमिक घाटे का विभाजन **(तालिका -1.35)** यह दर्शाता है कि किस सीमा तक घाटे के कारण पूंजीगत व्यय में वृद्धि रहा है, जो कि राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में सुधार लाने के लिए वांछनीय है।

तालिका 1.35 प्राथमिक घाटा/आधिक्य- कारकों का विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर-ऋण प्राप्तियां	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा (-)/ आधिक्य (+)	प्राथमिक घाटा (-) / आधिक्य (+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2009-10	19,151	16,170	2,745	900	19,815	(+) 2,981	(-) 664
2010-11	23,286	18,157	2,952	569	21,678	(+) 5,129	(+) 1,608
2011-12	27,156	21,435	4,056	1,273	26,764	(+) 5,721	(+) 392
2012-13	31,124	25,819	4,919	1,888	32,626	(+) 5,305	(+) 1,502
2013-14	33,699	31,508	4,574	1,318	37,408	(+) 2,191	(+) 3,709

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

- वर्ष 2009-14 की अवधि के दौरान, गैर-ऋण प्राप्तियों में ₹ 14,548 करोड़ (76 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जो कि वर्ष 2009-10 में ₹ 19,151 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 33,699 करोड़ हो गया जबकि इसी अवधि में प्राथमिक राजस्व व्यय ₹ 16,170 करोड़ से बढ़कर ₹ 31,508 करोड़ हो गया (95 प्रतिशत)।

- वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान राज्य के पास प्राथमिक आधिक्य था। जबकि 2012-13 के दौरान यह राशि ₹ 1,502 करोड़ के प्राथमिक घाटे में परिवर्तित हो गया जो कि 2013-14 में बढ़कर ₹ 3,709 करोड़ हो गया। दूसरे शब्दों में, वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान राजस्व लेखा में प्राथमिक व्यय की आवश्यकताओ की पूर्ति हेतु राज्य के गैर-ऋण प्राप्तियां पर्याप्त नहीं थी।

[27] प्राथमिक राजस्व घाटा को राज्य के गैर ब्याज राजस्व व्यय तथा गैर ऋण प्राप्तियों के मध्य अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है। यह राज्य के राजस्व खाते के अंतर्गत प्राथमिक व्यय के प्रतिपूर्ति हेतु गैर ऋण प्राप्तियों की सीमा को इंगित करता है।

1.12 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

- वर्ष 2013-14 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि, तेरहवें वित्त आयोग के 12.50 प्रतिशत के मानक के विरूद्ध 13.21 प्रतिशत थी।

 शासन को तेरहवें वित्त आयोग के मानकों की प्राप्ति सुनिश्चित करना चाहिए।

- राज्य के राजकोषीय स्थिति के प्रमुख मानदण्डों में गिरावट आई है। तेरहवें वित्त आयोग तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार राज्य को वर्ष के दौरान शून्य राजस्व घाटा बनाए रखना था। तथापि विगत वर्ष का राजस्व आधिक्य वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 809 करोड़ के राजस्व घाटा में परिवर्तित हो गया।

- वर्ष 2013-14 के दौरान राजकोषीय घाटा बढ़कर ₹ 5,057 करोड़ हो गया। यद्यपि सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2.73 प्रतिशत) के सापेक्ष राजकोषीय घाटा को राज्य तेरहवें वित्त आयोग (तीन प्रतिशत) तथा एफआरबीएम अधिनियम (तीन प्रतिशत) द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अंदर बनाए रखने में सक्षम रहा।

 शासन को तेरहवें वित्त आयोग तथा एफआरबीएम अधिनियम द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अंदर राजस्व घाटा को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए।

राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को निधि का अंतरण

- वर्ष 2013-14 के दौरान भारत सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को ₹ 4,046.30 करोड़ का सीधे अंतरण किया गया। राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को भारत सरकार की निधि का राज्य बजट के बाहर सीधे अंतरण किये जाने के कारण वार्षिक लेखे में राज्य के संसाधनों का पूर्णरूपेण चित्रण नहीं हो पाता है।

 भारत सरकार द्वारा राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरित किए गए निधि के यथोचित लेखांकन एवं निधि के उपयोग की निगरानी को सुनिश्चित करने हेतु एक प्रणाली विकसित की जानी चाहिए।

संसाधन की गतिशीलता

- चालू वर्ष के दौरान राज्य का स्वयं का कर राजस्व (₹ 14,343 करोड़) बजट अनुमान (₹ 15,300 करोड़) से कम था। करेत्तर राजस्व भी बजट अनुमान से ₹ 971 करोड़ कम था।

 शासन को बजट दस्तावेज में प्राप्तियों के स्वयं के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।

व्यय प्रबंधन तथा राजकोषीय प्राथमिकताएँ

- वर्ष 2013-14 के दौरान राजस्व व्यय निरंतर रूप से (85 *प्रतिशत*) कुल व्यय का प्रभावकारी घटक रहा। वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय कुल व्यय का 12 प्रतिशत रहा तथा विगत वर्ष की तुलना में सात प्रतिशत (₹ 345 करोड़) कम हो गया।

 राज्य कुल व्यय के अनुपात में पूंजीगत व्यय को बढ़ाने पर विचार करे जिससे वृद्धि को उत्प्रेरित करने के लिए परिसंपत्तियाँ निर्मित की जा सके।

- मार्च 2014 के अंत तक राज्य सरकार ने ₹ 1,866.44 करोड़ का निवेश किया तथा ₹ 1,545.99 करोड़ बकाया ऋण तथा अग्रिमों की वसूली शेष थी। वर्ष 2013-14 के दौरान सरकारी निवेश तथा बकाया ऋणों पर औसत प्रतिफल क्रमशः 0.76 प्रतिशत तथा 17.75 प्रतिशत मात्र था जबकि सरकार ने अपनी उधारियों पर 6.12 प्रतिशत की औसत ब्याज दर से भुगतान किया।

 शासन को मूलधन एवं उस पर लगने वाले ब्याज का पुर्नभुगतान न करने वाले संस्थानों/संगठनों से बकाया ऋण की वसूली के लिए उचित कदम उठाना चाहिए।

अपूर्ण परियोजनाएँ

- 31 मार्च 2014 तक लोक निर्माण तथा जल संसाधन विभाग के 166 अपूर्ण परियोजनाओं पर ₹ 4,198 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

 शासन को अपूर्ण परियोजनाओं को समय पर पूर्ण करने के लिए पहल करना चाहिए जिससे कि समय एवं लागत के बढ़ने से बचा जा सके।

दायित्वों का प्रबंधन

- चालू वर्ष के अंत में राजकोषीय दायित्व ₹ 24,902 करोड़ था जो पिछले वर्ष के ₹ 19,268 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 11.79 प्रतिशत) की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 13.46 प्रतिशत था।

 शासन को भविष्य में राजकोषीय दायित्वों का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात एक निर्धारित स्तर पर बनाए रखना चाहिए।

द्वितीय अध्याय

वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

2.1.1 विनियोग लेखे सरकार के प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु दत्तमत एवं प्रभारित व्यय के लेखे हैं, जिनकी तुलना विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में विशेष रूप से यथा उल्लेखित विभिन्न उद्देश्यों के लिए दत्तमत अनुदानों एवं प्रभारित विनियोगों की राशियों से की जाती है। इन लेखाओं में मूल बजट अनुमान, अनुपूरक अनुदानों, समर्पण तथा पुनर्विनियोजन स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध किये जाते हैं, और ये लेखे बजट के प्रभारित एवं दत्तमत दोनों मदों के संबंध में विनियोग अधिनियम द्वारा अधिकृत व्यय की तुलना में वास्तविक पूंजीगत तथा राजस्व व्यय इंगित करते हैं। इस प्रकार विनियोग लेखे वित्तीय व्यवस्था के प्रबंधन और बजटीय प्रावधानों की निगरानी को सुविधाजनक बनाते हैं और इसलिए यह वित्त लेखे के संपूरक हैं।

2.1.2 विनियोग की लेखापरीक्षा यह जाँच करने का प्रयास करती है कि क्या व्यय विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत वास्तविक रूप से किया गया जो विनियोग अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये प्राधिकार के अनुरूप है और जब भी व्यय, संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत भारित किया जाना चाहिए तब भारित किया गया है। यह भी सुनिश्चित करती है कि इस प्रकार किया गया व्यय विधि संबंधित नियमों, विनियोगों एवं अनुदेशों के अनुरूप है।

2.2 बजट प्रबंधन हेतु प्रक्रिया

मध्य प्रदेश के बजट नियमावली (छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा यथा अंगीकृत) के अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्य के बजट प्राक्कलन प्रत्येक विभाग के प्रमुख या नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त के पूर्व तैयार किया जाता है। वित्त विभाग द्वारा प्रदाय प्रपत्र में बजट नियमावली के अनुच्छेद 61 के अनुसार वित्त विभाग को प्रत्येक वर्ष विधायिका के समक्ष आंकलित राजस्व एवं व्यय का विवरण तैयार कर प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बजट नियमावली के अनुच्छेद 91 के अनुसार सभी अनुमानित बचतों को यदि उनका अनुमान किया गया हो तथा वे अन्य किसी ईकाई या ईकाइयों के आधिक्य को समाहित करने हेतु आवश्यक न हो, सरकार को तुरंत समर्पित कर देना चाहिए, किसी बचत को भविष्य के संभावित व्यय हेतु नहीं रखा जाना चाहिए। आगे, बजट नियमावली के अनुच्छेद 116 के अनुसार प्रत्येक संवितरण अधिकारी उनके आधिपत्य में रखे आवंटन के लिए उत्तरदायी है वह विनियोजन की प्रत्येक इकाई में हुए व्यय की प्रगति पर कड़ी निगरानी रखता है तथा उसके अधीनस्थ को पर्याप्त समय में अतिरिक्त व्यय की संभावना को समय पर नियंत्रण अधिकारी को सूचित कर अतिरिक्त निधि प्राप्त कर संभावित अतिरिक्त व्यय से बचता है।

हमने वर्ष 2013-14 के दौरान अनुदानों में अत्यधिक बचत एंव आधिक्यों को देखा, जो बजट प्रबंधन में कमियों को दर्शाता है जिसे आगे की कंडिका में दर्शाया गया है।

2.3 विनियोग लेखे के सारांश

वर्ष 2013-14 के दौरान 73 अनुदानों/विनियोगों के विरूद्ध वास्तविक व्यय के सारांश की स्थिति **तालिका 2.1** में दर्शायी गई है।

तालिका 2.1 मूल/अनुपूरक प्रावधान की तुलना में वास्तविक व्यय की स्थिति का सारांश

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ अधिक्य (+)
दत्तमत	I राजस्व	34,190.79	3,301.51	37,492.30	31,649.77	(-)5,842.53
	II पूंजीगत	7,310.38	350.10	7,660.48	4,660.92	(-)2,999.56
	III ऋण तथा अग्रिम	1,923.83	132.00	2,055.83	1,323.83	(-)732.00
कुल दत्तमत		**43,425.00**	**3,783.61**	**47,208.61**	**37,634.52**	**(-)9,574.09**
भारित	IV राजस्व	1,736.45	197.66	1,934.11	1,761.40	(-)172.71
	V पूंजीगत	3.16	0.50	3.66	1.15	(-)2.51
	VI लोक ऋण पुर्नभुगतान	933.14	0.00	933.14	689.65	(-)243.49
कुल भारित		**2,672.75**	**198.16**	**2,870.91**	**2,452.20**	**(-)418.71**
आकस्मिक निधि में विनियोग		**46,097.75**	**3,981.77**	**50,079.52**	**40,086.72**	**(-)9,992.80**

(स्रोतः विनियोग लेखे 2013-14)

वर्ष 2013-14 के दौरान राजस्व अनुभाग के अधीन 66 अनुदानों एवं 43 विनियोगों, पूंजीगत अनुभाग के अधीन 48 अनुदानों एवं पाँच विनियोगों एवं ऋण अनुभाग के अधीन एक विनियोग (लोक ऋण) में कुल ₹ 10,171.76 करोड़ की बचत में से राजस्व अनुभाग के अधीन पाँच अनुदानों के ₹ 178.96 करोड़ व्यय आधिक्य के समायोजन के परिणामस्वरूप ₹ 9,992.80 करोड़ की कुल बचत हुई।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छत्तीसगढ़ द्वारा मासिक सिविल लेखों एवं विनियोग लेखों के माध्यम से शीर्षवार व्यय की स्थिति राज्य सरकार को उपलब्ध कराई गई। इसके बावजूद, अधिक बचत एवं अनुदानों पर आधिक्य व्यय से बचने हेतु सरकार द्वारा कोई उपयुक्त कदम नहीं उठाए गए।

2.4 वित्तीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन

2.4.1 विनियोग की तुलना में आबंटनीय प्राथमिकतायें

विनियोग लेखापरीक्षा का परिणाम यह दर्शाता है कि 49 प्रकरणों से संबंधित 40 अनुदानों एवं दो विनियोग के प्रत्येक प्रकरण में बचत ₹ 10 करोड़ या अधिक एवं कुल प्रावधानों के भी 20 प्रतिशत और उसके अधिक की सकल बचत ₹ 6,920.56 करोड़ है, जिसे **परिशिष्ट 2.1 (अ)** में दर्शाया गया है।

आगे, ₹ 10,171.76 करोड़ की कुल बचत के विरूद्ध 24 अनुदानों एवं एक विनियोग से संबंधित मामलों में बचत ₹ 8,274.57 करोड़ (81 प्रतिशत) हुई जैसा की **तालिका 2.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2 ₹ 100 करोड़ एवं उससे अधिक बचत वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	अनुदान क्र.	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत	प्रतिशत
क- राजस्व दत्तमत						
1	03	पुलिस	2,199.93	2,066.49	133.44	6.07
2	08	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	567.48	441.48	126.00	22.20
3	13	कृषि	725.57	551.87	173.70	23.94
4	24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	1,079.96	951.70	128.26	11.88
5	27	स्कूल शिक्षा	2,895.96	2,175.55	720.41	24.88
6	30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	778.20	566.74	211.46	27.17
7	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	3,571.23	3,355.64	215.59	6.04
8	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	4,702.43	3,629.46	1,072.97	22.82
9	44	उच्च शिक्षा	530.65	390.16	140.49	26.48
10	48	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान	462.53	319.98	142.55	30.82
11	55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	651.79	535.93	115.86	17.78
12	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	602.88	398.10	204.78	33.97
13	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	1,478.54	1,079.58	398.96	26.98
14	69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण	541.88	194.77	347.11	64.06
15	80	त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	3,029.70	2,542.42	487.28	16.08
16	82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	1,635.76	1,320.98	314.78	19.24
		योग	**25,454.49**	**20,520.85**	**4,933.64**	
खः पूंजीगत दत्तमत						
17	12	उर्जा विभाग से संबंधित व्यय	457.00	22.00	435.00	95.11
18	13	कृषि	210.20	85.27	124.93	59.43
19	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	282.80	53.24	229.56	81.17
20	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2,021.34	1,394.61	626.73	31.00
21	42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	453.72	268.69	185.03	40.78
22	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	630.20	505.18	125.02	19.84
23	48	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान	368.81	67.80	301.01	81.62
24	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	967.19	670.92	296.27	30.63
25	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	397.16	272.85	124.31	31.30

26	76	लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	300.00	00.92	299.08	99.69
27	81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	217.50	0.00	217.50	100
28	83	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत नगरीय निकायें को वित्तीय सहायता	133.00	0.00	133.00	100
		योग	**6,438.92**	**3,341.48**	**3,097.44**	
गः पूंजीगत भारित						
29	--	लोक ऋण	933.14	689.65	243.49	26.09
		योग	**933.14**	**689.65**	**243.49**	
			32,826.55	**24,551.98**	**8,274.57**	

(स्रोतः विनियोग लेखे 2013-14)

सात अनुदानों के अन्तर्गत 31 उपशीर्षों/योजनाओं में (प्रत्येक मामले में ₹ 20 करोड़ एवं उससे अधिक) बचत पाया गया। विनियोग लेखे 2013-14 में बचत एवं उनके कारण सहित ब्यौरे **परिशिष्ट 2.1 (ब)** में दर्शाया गया है।

2.4.2 परिहार्य/अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान

वर्ष 2013-14 के दौरान 50 मामलों में (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या अधिक) प्राप्त कुल ₹ 2,191.88 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं था जैसा कि **परिशिष्ट 2.2** में दर्शाया गया है। इन सभी मामलों में यह देखा गया कि कुछ उप-शीर्षों के अंतर्गत मूल आवंटन व्यय नहीं किये गये थे और इन उपशीर्षों के अंतर्गत अधिक बचत हुई।

2.4.3 निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

अनुदान के निधियों का पुनर्विनियोजन, विनियोजन की एक इकाई जहाँ बचत पुर्वानुमानित है से दूसरी ईकाई जहाँ अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है, में निधि का अंतरण है।

हमने देखा कि पुनर्विनियोजन के पश्चात् भी बचत/आधिक्य ₹ एक करोड़ या उससे अधिक था, जिसमें से नौ योजनाओं में बचत/आधिक्य ₹ 20 करोड़ से भी अधिक था जैसा कि **परिशिष्ट 2.3** में वर्णित है, जो यह इंगित करता है कि अनुमानों का उचित आंकलन नहीं किया गया, पुनर्विनियोजन के माध्यम से निधियों के वापसी/संवर्धन के उपरांत भी अनुदानों में अंततः बचत/आधिक्य था।

2.4.4 सारभूत समपर्ण/पुनर्विनियोजन

योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित न करने या मंद गति से लागू किये जाने के कारण कुल 320 योजनाओं के अन्तर्गत सारभूत समर्पण/पुनर्विनियोजन (कुल प्रावधान के 50 प्रतिशत से अधिक) किया गया। इन योजनाओं में ₹ 5,485.50 करोड़ के कुल प्रावधान में से ₹ 4,221.32 करोड़ (76.85 प्रतिशत) समर्पित किया गया था। आगे, 320 योजनाओं में से 136 योजनाओं में (₹ 1,827.96 करोड़) सम्पूर्ण राशि का समर्पण किया गया। जो यह इंगित करता है कि बजट यथोचित दूरदर्शिता के साथ नहीं बनाया गया था। विवरण **परिशिष्ट 2.4** में दिया गया है।

2.4.5 वास्तविक बचत से अधिक का समर्पण

सत्रह प्रकरणों में समर्पित राशि (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 लाख या अधिक) वास्तविक बचत से अधिक था, जो इन विभागों में अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण को इंगित करता है। बचत राशि ₹ 1,513.10 करोड़ के विरूद्ध ₹ 1,895.53 करोड़ के समर्पण के परिणामस्वरूप ₹ 382.43 करोड़ का अधिक समर्पण किया गया। विवरण **परिशिष्ट 2.5** में दिया गया है। संबंधित विभागों द्वारा समर्पण का कारण/स्पष्टीकरण विनियोग लेखे 2013-14 को अंतिम रूप देने तक प्रस्तुत नहीं किये गये (जुलाई 2014)।

2.4.6 समर्पित न की गई प्रत्याशित बचत

वर्ष 2013-14 की समाप्ति पर सभी अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत कुल बचत ₹ 10,171.76 करोड़ में से केवल ₹ 7,588.33 करोड़ की राशि समर्पित की गई थी, परिणामस्वरूप संबंधित विभागों द्वारा कुल ₹ 2,583.43 करोड़ (कुल बचत की 25.40 प्रतिशत) की बचतों का समर्पण नहीं किया गया।

उसमें 11 अनुदानों एवं दो विनियोगों के अंतर्गत राशि एक करोड़ या इससे अधिक की बचत हुई परन्तु विभाग द्वारा इसका कोई भी अंश समर्पित नहीं की गई थी। इन प्रकरणों में कुल ₹ 1,805.41 करोड़ (कुल बचत ₹ 10,171.76 करोड़ का 17.74 प्रतिशत) सम्मलित था जैसा कि **परिशिष्ट 2.6** में दर्शाया गया है।

इसी प्रकार 19 अनुदानों एवं एक विनियोग के अधीन ₹ 4,478.90 करोड़ की कुल बचत में से (समर्पण के पश्चात् प्रत्येक अनुदानों में ₹ एक करोड़ या इससे अधिक की बचत) प्रावधानित राशि ₹ 1,157.19 करोड़ (उपरोक्त बचत का 25.84 प्रतिशत) समर्पित नहीं किया गया, जैसा कि विवरण **परिशिष्ट 2.7** में दर्शाया गया है।

इसके अतिरिक्त, कुल 58 प्रकरणों में (प्रत्येक प्रकरणों में निधियों का समर्पण ₹ 10 करोड़ से अधिक) ₹ 6,944.85 करोड़ का समर्पण मार्च 2014 के अंतिम दिवस को किया गया था, जैसा की **परिशिष्ट 2.8** में वर्णित है। यह अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण एवं परिणामस्वरूप निधियों के अवरूद्ध होने से विकास के अन्य उद्देश्यों के लिए निधियों का अनुपलब्धता का द्योतक है। विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस को बचत समर्पण किये जाने के संबंध में कोई कारण/स्पष्टीकरण वर्ष 2013-14 के विनियोग लेखे पूर्ण किये जाने तक (जुलाई 2014) प्रस्तुत नहीं किया गया था।

2.4.7 अविवेकपूर्ण समर्पण

दो अनुदानों (अनुदानों संख्या 06 एवं 12) में ₹ 3,026.04 करोड़ के मूल प्रावधान के विरूद्ध ₹ 3,199.04 करोड़ का व्यय किया गया, परिणामतः ₹ 173 करोड़ का अधिक व्यय हुआ। इसके बावजूद, इन अनुदानों के अधीन राशि ₹ 68.07 करोड़ का समर्पण किया गया जो अविवेकपूर्ण था, विवरण **तालिका 2.3** में दर्शाया गया है।

तालिका -2.3: अविवेकपूर्ण समर्पण

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	कुल प्रावधान	व्यय	आधिक्य व्यय	समर्पित राशि
राजस्व दत्तमत						
1	06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	2,637.09	2,805.88	168.79	52.26
2	12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	388.95	393.16	4.21	15.81
योग			**3,026.04**	**3,199.04**	**173.00**	**68.07**

(स्रोतः विनियोग लेखे 2013-14)

2.4.8 सतत् बचत

अवधि 2009-10 से 2013-14 के दौरान, 11 प्रकरणों (10 अनुदानों) में प्रत्येक में ₹ 10 करोड़ से अधिक का लगातार बचत था जैसा कि **तालिका 2.4** में दर्शाया गया है, यह बचत वर्ष 2013-14 में कुल संबंधित अनुदानों के 10 से 41 प्रतिशत के मध्य रहा जो दर्शाता है कि बजटीय प्रक्रिया यथार्थ से परे था।

तालिका 2.4 2009-2014 के दौरान सतत् बचत वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	कुल प्रावधान 2013-14	बचत 2013-14	कुल प्रावधान का बचत प्रतिशत	पिछले वर्षों का बचत			
						2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
राजस्व दत्तमत									
1	10	वन	732.56	73.09	10	23.62	34.10	12.01	73.40
2	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	323.72	54.68	17	16.82	18.10	13.16	30.78
3	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	4702.43	1072.97	23	212.90	295.37	78.74	629.07
4	44	उच्च शिक्षा	530.65	140.49	26	100.21	34.35	139.25	146.54
5	55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	651.79	115.87	18	151.19	165.61	42.91	156.44
6	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	1,478.54	398.96	27	60.64	117.25	37.19	284.43
7	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	326.28	84.63	26	39.77	48.81	60.89	56.11
पूंजीगत दत्तमत									
8	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2021.34	626.73	31	117.83	33.22	30.98	734.34
9	42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	453.72	185.03	41	133.50	115.70	232.71	234.80
10	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	397.16	124.31	31	52.14	57.55	263.62	149.14
11	68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन	184.70	67.02	36	73.92	38.92	57.10	74.24

(स्रोतः संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि बड़ी बचत वर्षों से निरंतर जारी रही जो अनुदानों के अंतर्गत अनुचित आंकलन को इंगित करती है। आगे दो अनुदानों यथा अनुसूचित

जातियों के लिए विशेष घटक योजना एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बंधित व्यय के अंतर्गत कुछ मुख्य योजनाओं में बचत की ब्यौरों की चर्चा नीचे की गई है:-

अनुदान संख्या 64 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बचत का ब्यौरा नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 2.5- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के अंतर्गत बड़ी बचत

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	योजना/शीर्ष का नाम	2011-12		2012-13		2013-14	
		बजट	बचत	बजट	बचत	बजट	बचत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम (2202-01-789-112-0703)	8.08	0.02	22.17	4.00	20.63	4.89
2	सूचना एवं संचार तकनीकी (2202-02-789-109-0703)	0	0	7.67	7.10	4.27	3.91
3	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छात्राओं को निःशुल्क सायकल वितरण (2202-02-789-109-0103)	0	0	10.38	1.53	11.28	1.82
4	ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र एवं औषधालय (2210-03-789-103-0103)	4.03	0.82	4.20	1.30	4.83	1.95
5	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (2210-03-789-197-0103)	6.63	2.70	6.57	2.48	8.50	2.68
6	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (मूलभूत सेवाएं) (2210-03-789-198-0103)	21.40	3.35	22.59	8.19	25.84	2.68
7	उप स्वास्थ्य केन्द्र (2211-789-101-0803)	0	0	14.12	8.88	13.59	2.34
8	वृहद पुलों का निर्माण (5054-03-789-101-0103)	22.00	2.42	36.00	15.52	31.50	19.67
9	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना (5054-03-789-101-0103)	0	0	14.52	1.19	54.00	3.00
10	मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना (5054-04-789-337-0313)	0	0	3.85	1.42	30.00	5.01
11	नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण (6408-02-789-190-0311)	0	0	21.99	5.66	3.99	1.32

(स्रोतः संबंधित वर्ष के विनियोग लेखे)

विनियोग लेखे 2013-14 के अंतिम रूप देने तक (जुलाई 2014) बचत के संबंध में विभाग द्वारा कोई कारण सूचित नहीं किया गया था।

अनुदान संख्या 79 चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बचत का ब्यौरा नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 2.6 चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित बचत

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	योजना/शीर्ष का नाम	2011-12		2012-13		2013-14	
		बजट	बचत	बजट	बचत	बजट	बचत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सेवानिवृत कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा (2071-01-800-5499)	1.80	1.80	2.50	2.50	2.50	2.50
2	चिकित्सा महाविद्यालय बिलासपुर (2210-01-110-0101-6967)	13.81	1.15	18.24	3.67	20.24	5.24
3	चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़ संबंध चिकित्सालय (2210-01-110-0101-6997)	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.76

1	2	3	4	5	6	7	8
4	आयुर्वेदिक चिकित्सालय और औषधालय (2210-02-101-460)	9.96	2.94	6.97	2.01	7.45	1.53
5	चिकित्सा महाविद्यालय (2210-05-105-0101-1352)	27.65	2.29	9.86	4.50	10.94	4.80
6	दंत महाविद्यालय (2210-05-105-0101-1915)	11.83	2.25	13.90	2.79	17.47	6.97
7	नर्सिंग के बुनियादी पाठयक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण (4210-04-112-0101-2216)	1.50	1.50	6.75	3.89	2.88	0.90

(स्रोतः संबंधित वर्ष के विनियोग लेखे)

विनियोग लेखे 2013-14 के अंतिम रूप देने तक (जुलाई 2014) बचत के संबंध में विभाग द्वारा कोई कारण सूचित नहीं किया गया है।

2.4.9 वर्ष 2013-14 के दौरान प्रावधान से अधिक व्यय का वांछित नियमितीकरण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार, राज्य शासन के लिए यह बाध्यकारी है कि अनुदान/विनियोग का व्यय आधिक्य को राज्य विधान मण्डल से अनुमोदन प्राप्त कर नियमित करा लिया जाये, वर्ष 2013-14 के दौरान पाँच अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत प्रावधान से अधिक किया गया व्यय ₹ 178.96 करोड़ जो कि संविधान के धारा 205 के अंतर्गत नियमित किया जाना आवश्यक है, का सारांश **तालिका 2.7** में दिया गया है।

तालिका 2.7 वर्ष 2013-14 के दौरान प्रावधान से अधिक व्यय का वांछित नियमितीकरण

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	अनुदान सं.	अनुदान/विभागों का नाम	कुल अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य व्यय राशि जिसका नियमितीकरण वांछित है।
राजस्व दत्तमत					
1	06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	2,637.09	2,805.88	168.79
2	12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	388.95	393.16	4.21
राजस्व भारित					
3	06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	0.16	0.65	0.50
4	14	पशु पालन विभाग से संबंधित व्यय	0.002	0.006	0.004
5	27	स्कूल शिक्षा विभाग संबंधित व्यय	0.032	0.056	0.024
पूंजीगत दत्तमत					
6	06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	0.00	5.30	5.30
7	60	जिला परियोजनाओं से संबधित व्यय	52.04	52.18	0.13
योग			**3,078.27**	**3,257.23**	**178.96**

(स्रोतः विनियोग लेखे 2013-14)

2.4.10 विगत वर्षों (2000-01 से 2012-13) से संबंधित प्रावधान से अधिक व्यय का वांछित नियमितीकरण

वर्ष 2000-01 से वर्ष 2012-13 तक आधिक्य व्यय ₹ 2,134.43 करोड़ की राशि नियमित किया जाना है जिसे **परिशिष्ट 2.9** में दर्शाया गया है। वर्ष दर वर्ष अनुदानों/विनियोगों के आधिक्य का नियमितीकरण न किया जाना विनियोगों पर विधायी नियंत्रण का उल्लंघन है।

2.4.11 व्यय का अतिवेग

मध्यप्रदेश बजट नियमावली (छत्तीसगढ़ शासन द्वारा यथा अंगीकृत) के परिच्छेद 92 के अनुसार, वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय की तीव्रता से बचना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बजटीय नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकताओं का रख-रखाव किया जाता है व्यय का समरूप प्रवाह आवश्यक है। इसके विपरीत 36 मुख्य शीर्षो में (₹ 3,028.38 करोड़) वर्ष के अंतिम तिमाही के दौरान व्यय वर्ष के कुल व्यय (₹4,620.39 करोड़) के 65 प्रतिशत से अधिक हुआ जबकि 12 प्रकरणों में वित्तीय वर्ष के अंतिम माह के दौरान किया गया व्यय (₹1,299.63 करोड़) वित्तीय वर्ष 2013-14 के कुल व्यय (₹1,926.16 करोड़) के 50 प्रतिशत से भी अधिक रहा। जैसा कि **परिशिष्ट 2.10** में दर्शाया गया है।

2.5 आकस्मिक निधि से अग्रिम

छत्तीसगढ़ आकस्मिक निधि अधिनियम 2001 के अनुसार अदृष्ट व्यय की पूर्ति के उद्देश्य से जिस व्यय का राज्य विधान मण्डल से विनियोग नियमों के अंतर्गत अधिकृत किया जाना लंबित है, के अतिरिक्त निधि से कोई अग्रिम नहीं दिया जायेगा। निधि का प्रचालन एक पेशगी के रूप में किया जाता है, इसके संग्रह सीमा ₹ 40 करोड़ की है। उपरोक्त अधिनियम में दी गई प्रक्रिया के प्रतिकूल आकस्मिक निधि से ₹ 32.84 करोड़ के आहरण के ब्यौरा **तालिका 2.8** में दिये गये है।

तालिका 2.8 राज्य की आकस्मिकता निधि से व्यय

(₹ लाख में)

सं. क्र.	विभाग	आकस्मिक निधि से अग्रिम आहरण की प्रकृति	आहरण का माह	अग्रिम राशि
1	2	3	4	5
1	विधि विभाग	नये वाहनों का क्रय	अप्रैल 2013	36.00
2	सामान्य प्रशासन विभाग	विकास यात्रा 2013	अप्रैल 2013	225.00
3	सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग	मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम	मई 2013	100.00
4	खेल एवं युवक कल्याण विभाग	मुख्यमंत्री युवा भारत दर्शन योजना	मई 2013	500.00
5	उच्च शिक्षा विभाग	चिकित्सा महाविद्यालय के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते	मई 2013	100.00
6	सामान्य प्रशासन विभाग	प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन	अगस्त 2013	25.00
7	राजस्व विभाग	नवीन राजस्व संभाग के संचालन	अगस्त 2013	35.00
8	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन	अगस्त 2013	17.50
9	सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग	निःशुल्क लैपटॉप एवं टेबलेट का प्रदाय	अगस्त 2013	2,000.00
10	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	नये चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना	सितम्बर 2013	100.00
11	विधि और विधायी कार्य विभाग	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण की खरीदी	सितम्बर 2013	70.00
12	ग्रामोद्योग विभाग	कंबल प्रोसेसिंग यूनिट का संचालन	सितम्बर 2013	70.00
13	सामान्य प्रशासन विभाग	नये वाहनों का क्रय	अक्टूबर 2013	6.00
	योग			**3,284.50**

उपरोक्त वर्णित व्यय से विदित है कि आकस्मिकता निधि से व्यय न तो अप्रत्याशित थे न ही आकस्मिक प्रकृति के थे। अतएव, ये व्यय राज्य विधान मण्डल द्वारा प्राधिकृत किये जाने तक स्थगित किया जाना चाहिए था।

2.6 चयनित अनुदानों की समीक्षा

विधानसभा में अनुदानों की मांगों पर मतदान होने के उपरांत राज्य की समेकित निधि से सभी प्रकार के धन के विनियोग हेतू एक विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाता है जो (क) विधानसभा द्वारा दी गई अनुदानों और (ख) समेकित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति करता है। विनियोग विधेयक पर राज्यपाल की सहमति प्राप्त करने के उपरांत, विनियोग अधिनियम और संलग्न अनुसूचियों में दर्शाई गई राशियाँ, विभिन्न मांगों में व्यय के लिए स्वीकृत अनुदान मानी जाती है।

हमने वर्ष 2013-14 में अनुदान संख्या-03 पुलिस एवं अनुदान संख्या-30 पंचायत एवं ग्रामीण विकास से संबंधित बजट प्रक्रिया एवं व्यय के नियंत्रण पर समीक्षा की। अनुदानों की समीक्षा विनियोग लेखा एवं बजट नियंत्रण अधिकारी-महानिदेशक पुलिस (अनुदान अनुदान संख्या-03 का बजट नियंत्रण अधिकारी) एवं निदेशक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा विकास आयुक्त (अनुदान संख्या 30 का नियंत्रण अधिकारी) के लेखाओं की नमूना जाँच के आधार पर की गई।

2.6.1 सारांशीकृत स्थिति

अनुदान संख्या 03 एवं अनुदान संख्या-30 के अंतर्गत बजट, व्यय और बचतों की राशियों के सारांशीकृत ब्यौरे **तालिका 2.9** में संक्षेपित है।

तालिका 2.9 अनुदान संख्या 03 एवं 30 का संक्षेपित विनियोजन

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	विभाग	मूल बजट	अतिरिक्त बजट	योग	वास्तविक व्यय	बचत प्रतिशत कुल अनुदान पर
03	राजस्व (मतदेय)	2,076.92	123.01	2,199.93	2,066.49	133.44 *(06)*
	पूंजी (मतदेय)	46.25	0.00	46.25	35.08	11.17 *(24)*
30	राजस्व (मतदेय)	560.69	217.51	778.20	566.74	211.46 *(27)*
	पूंजी (मतदेय)	390.45	टोकन	390.45	369.83	20.62 *(05)*
योग		**3,074.31**	**340.52**	**3,414.83**	**3,038.14**	**376.69 (11.03)**

(स्रोतः विनियोग लेखा वर्ष 2013-14)

2.6.2 तदर्थ आधार पर बजट तैयार किया जाना

मध्यप्रदेश बजट नियमावली की कंडिका 31 के अनुसार, बजट आंकलन में एकमुश्त प्रावधान नियम के तौर पर नहीं किया जाना चाहिए। हमने देखा कि अनुदान संख्या 03 के दो उपशीर्षो में राशि ₹ 4.90 करोड़ एवं अनुदान संख्या 30 के पांच उपशीर्ष में राशि ₹ 19.01 करोड़ बिना व्यय किये शासन को संपूर्ण राशि समर्पित की गई, जैसे **तालिका 2.10** में दिया गया है।

तालिका 2.10: वर्ष 2013-14 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अनुपयोगित प्रावधान

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	अनुदान संख्या	शीर्ष का विवरण	कुल प्रावधान	व्यय	बचत	बचत के कारण
1	2	3	4	5	6	7
1	03	2070-5544- नगर सैनिकों का आधुनिकीकरण	1.90	शून्य	1.90	विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया कि बजट प्रावधान पुलिस शीर्ष के अधीन किया गया था अतः होमगार्ड आधुनिकीकरण की राशि वर्ष 2013-14 में समर्पित की गई।
2		2055-003-0801-8917- काउन्टर इसरजेंसी एण्ड टेरोरिस्ट स्कूल	3.00	शून्य	3.00	संपूर्ण प्रावधानित राशि ₹ 3 करोड़ अनुमानित के बचत के कारणों से अवगत नहीं कराया गया (जुलाई 2014)।
3	30	2235-60-196-8968 अटल खेतीहर मजदूर बीमा योजना	0.31	शून्य	0.31	योजना माह दिसम्बर 2013 से शुरू की गई थी। लाभान्वित की सूची एल.आई.सी. द्वारा विभाग को उपलब्ध नहीं कराने से राशि समर्पित की गई।
4		2505-60-101-6768 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार	0.25	शून्य	0.25	जिला पंचायत से आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप अव्यतित राशि समर्पित की गई।
5	30	4515-101-0101-3064 भवन निर्माण	0.40	शून्य	0.40	नये जिला पंचायतों का गठन नहीं होने के कारण भवन निर्माण की राशि समर्पित की गई।
6		4515-102-0101-3064 भवन निर्माण	0.05	शून्य	0.05	विभागीय भवनों में लघु कार्य नहीं किये जाने के कारण राशि समर्पित की गई।
7		5054-04-101-4871 ग्राम व लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	18.00	शून्य	18.00	राज्य में विधान सभा चुनाव के फलस्वरूप आचार संहिता लागू होने के कारण निविदा प्रक्रिया बाधित होने से व्यय नहीं किया गया।
योग			**23.91**	शून्य	**23.91**	

जो यह इंगित करता है कि योजनाओं पर किया गया संपूर्ण बजट प्रावधान जो तालिका 2.10 में दर्शाया गया है, अनावश्यक था बजट अनुमान हेतु मांग तदर्थ आधार पर तैयार किये जाने को इंगित करता है।

2.6.3 बजट प्राक्कलन से अधिक व्यय किया जाना

मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिका 91 के अनुसार, बजट नियंत्रण अधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि वह उसके नियंत्रण के अधीन लोक सेवाओं पर हुए व्यय पर निगरानी के साथ व्यय को स्वीकृत आवंटन के अधीन रखे।

अनुदान संख्या-03 के सात उपशीर्षों में ₹ 1,347.01 करोड़ के बजट प्रावधान राशि के विरूद्ध ₹ 1,373.31 करोड़ का व्यय हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 26.30 करोड़ का अधिक व्यय हुआ। उसी प्रकार अनुदान संख्या 30 के छह उपशीर्षों में राशि ₹ 330.83 करोड़ बजट प्रावधान के विरूद्ध ₹ 399.35 करोड़ का व्यय हुआ। जिसके परिणाम-स्वरूप राशि ₹ 68.52 करोड़ का अधिक व्यय हुआ जिसे **तालिका 2.11** में दर्शाया गया है। बजट प्रावधान से अधिक राशि का व्यय होना बजटीय नियंत्रण में कमी को दर्शाता है।

तालिका 2.11 बजट प्राक्कलन से अधिक व्यय

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	अनुदान संख्या	लेखाओं के शीर्ष	वर्ष के दौरान कुल प्रावधान	व्यय	आधिक्य व्यय
1	2	3	4	5	6
1	03	2055-001-3680 राज्य मुख्यालय	39.39	47.02	7.63
2		2055-003-195 अन्य पुलिस प्रशिक्षण शालाएँ	25.01	32.54	7.53
3		2055-0801-7307 विशेष अधोसंरचना विकास योजना	29.17	29.19	0.02
4		2055-109-4491 सामान्य व्यय (जिला स्थापना)	1,048.29	1,054.02	5.73
5		2055-109-6717 प्रतिपूर्ति योग्य सुरक्षा संबंधी व्यय	95.14	99.83	4.69
6		2070-107-2710 प्रधान सेनानी का कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालय	12.70	12.88	0.18
7		2070-107-492- आव्हान पर होने वाला व्यय	97.31	97.83	0.52
योग			**1,347.01**	**1,373.31**	**26.50**
8	30	2515-101-2474 पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित प्रभार	5.55	60.13	54.58
9		5054-04-337-0311-7475 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना	174.99	180.93	5.94
10		2515-0101-1033 विकास खण्ड कार्यालय	25.79	28.34	2.55
11		2515-800-1208 ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	7.92	10.49	2.57
12		2216-03-1050-701-6549 इंदिरा आवास योजना	83.15	85.68	2.53
13		2515-800-4855 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	33.43	33.78	0.35
		योग	**330.83**	**399.35**	**68.52**

(स्रोतः विनियोग लेखा वर्ष 2013-14)

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर महानिदेशक पुलिस द्वारा स्पष्ट किया गया कि वर्ष 2013-14 में बजट प्रावधान की राशि ₹ 1,288.71 करोड़ के विरूद्ध राशि ₹ 1,256.87 करोड़ का व्यय किया गया था एवं शेष राशि ₹ 59.15 करोड़ शासन को समर्पित की गई। संचालक, नगर सैनिक एवं नागरिक सुरक्षा द्वारा स्पष्ट किया गया कि अनुपूरक अनुदान राज्य शासन द्वारा नये जिलों में संस्थाओं की स्थापना हेतु प्राप्त किया गया था।

निदेशक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा विकास आयुक्त द्वारा स्पष्ट किया गया कि बजट प्रावधान से अधिक व्यय नहीं किया गया।

बजट नियंत्रक अधिकारियों द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विनियोग लेखों के अनुसार स्पष्ट है की उक्त शीर्षों में अधिक व्यय हुआ।

2.6.4 अनावश्यक अनुपूरक बजट प्रावधान

मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिका 133 के अनुसार अनुपूरक बजट अनुमान की आवश्यकता प्रमाणित किये बिना विधानमंडल के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए।

अनुदान संख्या 30 के तहत शीर्ष 3054-04-105-4855 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में मूल बजट आवंटन राशि ₹ 125 करोड़ थी तथा विभाग द्वारा अनुपूरक प्रावधान राशि ₹ 100 करोड़ भविष्य में आवश्यकता को पूर्वमान के आधार पर प्राप्त किया गया, अंतिम व्यय (₹ 122.50 करोड़) मूल आवंटन विनोयोग से कम था। इस प्रकार अनुपूरक अनुदान बिना वास्तविक आवश्यकता के ही प्राप्त किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा स्पष्ट किया गया कि राशि ₹ 102.50 करोड़ वित्त विभाग द्वारा अनुमति प्राप्त नहीं होने एवं कोषालय द्वारा राशि मुक्त नहीं होने के कारण व्यय नहीं किया गया था।

2.6.5 असंगत समर्पण/पुनर्विनियोजन के फलस्वरूप व्यय का अधिक/बचत होना

राशियों का पुनर्विनियोजन, अनुदान के एक ईकाई से जहां बचत अनुमानित है से अन्य ईकाई जहाँ अतिरिक्त राशियों की आवश्यकता है, में हस्तांतरण है।

अनुदान संख्या-30 के तहत पुनर्विनियोजन अविवेकपूर्ण रूप से किया गया कारणवश अंतिम व्यय में अधिक/बचत प्रदर्शित हुई है जो निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 2.12 राशियों का आंशिक/अनावश्यक/अपर्याप्त विनियोजन

(₹ लाख में)

लेखाओं के शीर्ष	बजट प्रावधान				व्यय	अधिक (+) बचत (-)
	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन/ समर्पण	कुल प्रावधान		
2515-101-2474 पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित प्रभार	7,100.70	0.00	(-) 6,545.57	555.13	6,013.28	5,458.15
2515-0101-1208 ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	3,197.50	0.00	(-) 298.96	2,898.54	2,338.29	(-) 560.25
5054-04-337-7475 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना	22,500.00	0.002	(-) 5,001.03	17,498.97	18,092.81	593.84
5054-04-337-8650 मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना	12,500.00	0.00	4,900.06	17,400.06	16,690.52	(-) 709.54

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर संचालक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास ने स्पष्ट किया कि उपशीर्ष 2474 के तहत रिक्त पदों पर भर्ती नहीं होने के कारण राशि समर्पित की गई। विकास आयुक्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास द्वारा स्पष्ट किया गया कि उपशीर्ष 7475 एवं 8650 में बजट आवंटन से अधिक व्यय नहीं किया गया।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विनियोजन लेखाओं से स्पष्ट है कि उपरोक्त उपशीर्ष में अधिक व्यय हुआ है।

2.6.6 समर्पण/पुनर्विनियोजन प्रस्ताव भेजने मे विलम्ब

मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिका 61 के अनुसार पुनर्विनियोजन/समर्पण प्रस्ताव वित्तीय वर्ष में 15 मार्च के पश्चात् वित्त विभाग को नहीं भेजा जाना है।

वर्ष 2013-14 के दौरान अनुदान संख्या 03 के तहत कुल राशि ₹ 156.03 करोड़ का समर्पण किया गया, उसमें से विभिन्न मदों की राशि ₹ 117.77 करोड़ का समर्पण दिनांक 31 मार्च 2014 को किया गया।

वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन को बड़ी मात्रा में राशियों का समर्पण किये जाने से स्पष्ट है कि समर्पित राशि को किसी अन्य अनुदान/विनियोजन के तहत आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोग नहीं किया गया था।

2.6.7 अंतिम तिमाही में व्यय का तीव्र प्रवाह

बजट नियमावली की कंडिका 92 के अनुसार, वित्तीय वर्ष के विशेषकर अंतिम माह में व्यय के तीव्र प्रवाह से बचा जाना चाहिये।

हमने देखा कि वित्तीय वर्ष 2013-14 के अंतिम तिमाही में अनुदान संख्या 03 के आठ योजनाओं में व्यय, कुल व्यय का 50 से 100 प्रतिशत तक किया गया। उसी प्रकार

अनुदान 30 के नौ योजनाओं में वर्ष के अंतिम तिमाही में कुल व्यय का 74 से 100 प्रतिशत रहा। विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 2.11** में दर्ज है।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा स्पष्ट किया गया है कि भारत शासन द्वारा अंतिम तिमाही में राशि को विमुक्त किये जाने के कारण व्यय हुआ।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि वर्ष के अंत में होने वाले व्यय की तीव्रता वित्तीय प्रबंधन की कमी को दर्शाता है।

2.6.8 विभागीय आंकड़ों का मिलान न किया जाना

वित्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश (अप्रैल 2013) के अनुसार सभी विभाग विभिन्न शीर्ष के अर्न्तगत किये गये व्यय का मिलान त्रैमासिक रूप से महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के लेखाओं से करेगा।

विभाग द्वारा अनुदान संख्या-30 के तहत 22 उपशीर्षो में राशि ₹ 717.91 करोड़ का व्यय दर्ज किया गया। जबकि, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के लेखाओं में उक्त राशि ₹ 770.51 करोड़ दर्ज था। परिणामस्वरूप राशि ₹ 52.60 करोड़ कुल अंतर था। मिलान न किये गये उपशीर्ष का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 2.12** में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर विकास आयुक्त ने स्पष्ट किया (सितम्बर 2014) कि समय-समय पर आंकड़ों का मिलान किया गया था। संचालक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास ने स्पष्ट किया कि लेखापाल के पद न भरे जाने से आंकड़ो का मिलान नहीं किया गया था।

2.6.9 बीमा प्रीमियम राशि ₹ 19.74 करोड़ का अनियमित समायोजन

गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सुरक्षा संबंधी व्यय के लिए (एस.आर.ई.) जारी दिशा निर्देश के अनुसार नक्सल विरोधी अभियान में लगे पुलिस कर्मियों के बीमा की राशि की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार को अधिकतम ₹ 1000/- प्रति पुलिस कर्मी के दर से प्रतिवर्ष शत प्रतिशत की जाएगी।

पुलिस मुख्यालय, रायपुर के अभिलेखों की जांच के दौरान देखा गया कि, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस.आर.ई. के तहत नक्सल विरोधी अभियान में लगे पुलिस कर्मियों के बीमा प्रीमियम भुगतान पर व्यय की प्रतिपूर्ति की जा रही थी जो **तालिका 2.13** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.13: बीमा प्रीमियम का भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	भारत सरकार द्वारा बीमा प्रीमियम राशि की प्रतिपूर्ति
2008-09	3.18
2009-10	3.34
2010-11	4.36
2011-12	5.33
2012-13	3.53
2013-14	जानकारी उपलब्ध नहीं
योग	**19.74**

लेखापरीक्षा जांच से स्पष्ट था कि, उपरोक्त प्रतिपूर्ति का दावा ''छत्तीसगढ़ राज्य नक्सल प्रभावित क्षेत्र-सामूहिक बीमा विकल्प विशेष अनुदान योजना 2008'' के तहत किए गए

व्यय के विरूद्ध किया गया था। राज्य शासन द्वारा वर्ष 2008-09 से 2013-14 तक की अवधि में नक्सल विरोधी अभियान में लगे पुलिस कर्मियों के लिए बीमा प्रीमियम के भुगतान पर व्यय नहीं किया गया। यद्यपि, राशि ₹ 19.74 करोड़ गृह मंत्रालय भारत सरकार से बीमा प्रीमियम के रूप में प्रतिपूर्ति प्राप्त किया था।

2.7 निष्कर्ष तथा अनुशंसाएँ

असंगत बजट अनुमान के फलस्वरूप अधिक बचत

- वर्ष 2013-14 के दौरान कुल बजट प्रावधान ₹ 50,079.52 करोड़ के विरूद्ध ₹ 9,992.80 करोड़ (20 प्रतिशत) की बचत अनुचित बजट अनुमान को इंगित करता है। विभिन्न योजनाओं/उपशीर्षो में बड़ी बचत राज्य के विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। सामाजिक और आर्थिक सेवाओं से संबंधित 10 अनुदानों में पिछले पांच वर्षों से बचत देखा जा रहा है।

 शासकीय विभागों में बजटीय नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ किया जाना चाहिए ताकि भारी बचत, विशेषकर जहां लगातार बचत हो रही हो तथा अनुपूरक अनुदान अप्रयुक्त रहे हो को रोका जा सकें।

आकस्मिकता निधि से अग्रिम

- वर्ष 2013-14 में 13 मौको पर आकस्मिक निधि से ₹ 32.84 करोड़ अग्रिम राशि आकस्मिक एवं अप्रत्याशित प्रकृति के नहीं होने के बावजूद निकाली गई।

 आकस्मिकता निधि से अग्रिम केवल अप्रत्याशित और आकस्मिक प्रकृत्ति के व्यय को पूरा करने के लिये दिया जाना चाहिए।

वर्ष 2013-14 के दौरान प्रावधानों से अधिक व्यय को नियमितीकरण की आवश्यकता

- आधिक्य व्यय राशि ₹ 178.96 करोड़ को भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के तहत नियमितीकरण की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2001-2013 के दौरान हुये आधिक्य व्यय को नियमित किया जाना था।

 चालू वर्ष तथा पिछले वर्षों में हुये आधिक्य व्यय के नियमितीकरण को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए।

गृह एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभागों में बजटीय नियंत्रण में कमी

- गृह तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभागों के बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा बजट नियमावली का पालन नहीं किये जाने से बजट नियंत्रण के कमी को दर्शाता है।

 गृह तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बजट नियमावली के प्रावधानों का पालन करना चाहिए।

तृतीय अध्याय

वित्तीय प्रतिवेदन

एक प्रभावी आंतरिक वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली तथा प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचना की उपलब्धता राज्य सरकार द्वारा एक कुशल एवं प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान करती है। वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निर्देशों के अनुपालन के साथ-साथ अनुपालन की स्थिति पर प्रतिवेदन की गुणवत्ता, अच्छे प्रशासन के लक्ष्यों में से एक है। यदि अनुपालन एवं नियंत्रण पर प्रतिवेदन प्रभावी एवं क्रियात्मक हो तो वे राज्य सरकार को मूलभूत जिम्मेदारियों को निभाने में, जिसमें योजना की रणनीति एवं निर्णय लेने की क्षमता सम्मिलित है, सहायक होता है। यह अध्याय वर्ष 2013-14 के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देश सहित राज्य सरकार द्वारा अनुपालन के विहंगावलोकन एवं स्थिति को प्रस्तुत करता है।

3.1 उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब

राज्य सरकार एजेंसियों, निकायों और संस्थाओं जैसे विश्वविद्यालय, अस्पताल, सहकारी संस्थाओं तथा अन्य को सहायक अनुदान वितरित करता है। इस तरह जारी किए गए अनुदान इन एजेंसियों, निकायों तथा संस्थाओं के दिन प्रतिदिन के परिचालन व्यय को पूरा करने और पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए उपयोग किया जाता है।

छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-I नियम 182 के अनुसार वार्षिक या गैर आवर्ती सशर्त अनुदान के मामलों में विभागीय अधिकारी जिसके हस्ताक्षर या प्रतिहस्ताक्षर से सहायक अनुदान आहरित की गई हो, को उस वर्ष के 30 सितम्बर या उससे पहले जिस वर्ष से अनुदान संबंधित है, का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार को भेजा जाना चाहिए।

वर्ष 2012-13 (सितम्बर 2012 तक) विभिन्न विभागों को दिए गए सहायक अनुदान के विरूद्ध लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति **तालिका 3.1** में दिया गया है।

तालिका 3.1 उपयोगिता प्रमाण पत्र का विवरण

वर्ष	31 मार्च 2014 तक अप्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र	
	संख्या	*राशि (₹ करोड़ में)*
2010-11 तक	8347	4,792.30
2011-12	3976	2,187.01
2012-13 (09/2012 तक)	2579	1,885.07
योग	**14902**	**8,864.38**

(स्रोतः वित्त लेखे वर्ष 2013-14)

तालिका 3.1 से देखा जा सकता है कि 14902 उपयोगिता प्रमाण पत्र जिसकी कुल राशि ₹ 8,864.38 करोड़ थी जिसके प्रमाण पत्र 31 मार्च 2014 तक बकाया थे। विवरण **परिशिष्ट 3.1** में दर्शाया गया है। निर्दिष्ट अवधि के उपरांत भी उपयोगिता प्रमाण पत्रों का लंबित होना अनुदान के उपयोग पर आश्वासन के अभाव को इंगित करता है।

उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने में देरी मुख्यतः स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और आवंटन (₹ 3,287.79 करोड़), अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (₹ 828.90 करोड़), शहरी विकास (₹ 856.30 करोड़), सामान्य शिक्षा (₹ 540.12 करोड़), फसल कृषि (₹ 463.70 करोड़) और सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (₹ 403.33 करोड़) से संबंधित है।

3.2 स्वायत्त निकायों, प्राधिकरणों एवं अनुदानग्राही संस्थानों का लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

3.2.1 नियंत्रक महालेखापरीक्षक (डी.पी.सी.) अधिनियम 1971 की धारा 14 और 15 के अंतर्गत लेखापरीक्षा

नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां व सेवा शर्ते) अधिनियम 1971 की धारा 14 एवं 15 के अंतर्गत लेखापरीक्षा किए जाने वाले संस्थानों/संगठनों को चिन्हित करने के क्रम में विभिन्न संस्थाओं को प्रदान किये गये वित्तीय सहायता, सहायता के उद्देश्य एवं संस्थानों के कुल व्यय का एक विस्तृत विवरण सरकार/विभागाध्यक्ष को प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत करना आवश्यक है। आगे, लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियम 2007 में उल्लेख है कि सरकार तथा विभागाध्यक्ष जो संस्थाओं या प्राधिकरणों को अनुदान तथा/अथवा ऋण संस्वीकृत करते है, को प्रत्येक वर्ष जुलाई तक (क) सहायता की राशि (ख) उद्देश्य जिसके लिए सहायता स्वीकृत की गई थी एवं (ग) निकाय/प्राधिकरण के कुल व्यय को इंगित करते हुए उन निकायों/प्राधिकरणों जिन्हें ₹ 10 लाख या अधिक के अनुदानों तथा/या ऋणों का भुगतान किया गया हो, कि एक विवरण लेखापरीक्षा कार्यालय को भेजेगा।

छत्तीसगढ़ शासन के किसी भी विभाग ने वर्ष 2013-14 के लिए ऐसा कोई भी विवरण प्रस्तुत नहीं किया। इस प्रकरण को जुलाई 2014 में वित्त विभाग के संज्ञान में लाया गया था। अक्टूबर 2014 तक उत्तर प्रतिक्षित था।

राज्य के वार्षिक लेखों 2013-14 से एकत्रित जानकारी के आधार पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (डी.पी.सी) अधिनियम 1971 की धारा 14 एवं 15 के अंतर्गत लेखापरीक्षा द्वारा चिन्हित किये गये 41 निकायों/संस्थानों में से तीन निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा दिसम्बर 2014 तक विभिन्न अवधियों में की गई, जैसा कि **परिशिष्ट 3.2** में दर्शाया गया है।

ऐसे निकायों/प्राधिकरणों को सरकार द्वारा दिये गए वित्तीय सहायता, प्रदत्त सहायता के उद्देश्य और कुल व्यय संबंधी सूचनाओं के प्रस्तुत न किये जाने के कारण विधानमंडल/सरकार को अनुदान के उपयोग के संबंध में जिसके लिए अनुदान स्वीकृत/भुगतान किया गया था, आश्वासन प्रदान करना संभव नहीं था। यह सरकारी व्यय पद्धति में नियंत्रण को कमजोर बनाता है।

3.2.2 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के अधीन लेखापरीक्षा

राज्य सरकार द्वारा 30 स्वायत्त निकायों को विभिन्न क्षेत्र में जैसे की कृषि, कानूनी, आवास और ग्रामीण विकास इत्यादि में प्रतिस्थापित किया गया है। राज्य की दो स्वायत्त निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रण-महालेखापरीक्षक को सौंपा गया है

और उनकी लेखापरीक्षा उनके लेनदेन, परिचालन गतिविधियाँ, वार्षिक खाता, प्रणालियों के नियामक/अनुपालन लेखापरीक्षा, आंतरिक प्रबंधन और वित्तीय नियंत्रण की समीक्षा, कार्य प्रणाली और प्रक्रियाओं की समीक्षा के आधार पर संपादन किया जाता है। सौंपे गये लेखापरीक्षा की स्थिति, लेखाओं का प्रतिपादन की स्थिति, स्वतंत्र लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को राज्य विधायिका में प्रस्तुत करने की जानकारी **तालिका 3.2** में दिया गया है।

तालिका 3.2 लेखाओं की प्रस्तुत करने की स्थिति

सं. क्र.	निकायों के नाम	लेखापरीक्षा सौंपने की अवधि	लेखाओं की प्रस्तुति की अवधि	एस.ए.आर. जारी करने की अवधि	राज्य विधायक में एस.ए.आर. की प्रस्तुति
1	छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, बिलासपुर	लोक सभा के विधेयक के तहत सौंपा गया	2007-08 से 2011-12	2007-08	जुलाई 2013 को एस.ए.आर. जारी किया गया। एस.ए.आर. को विधान सभा के पटल में प्रस्तुति की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुआ। संबंधित विभाग को स्मरणपत्र जारी किया गया। (अक्टूबर 2014)।
2	छत्तीसगढ़ राज्य गृह निर्माण मंडल, रायपुर	2007-08 से 2011-12	2007-08 से 2009-10	-	वर्ष 2007-08 से 2009-10 तक के ईकाई की लेखा फरवरी 2014 में प्राप्त हुआ। इस लेखाओं के लेखापरीक्षा की गई, एस.ए.आर. तैयार की जा रही है।

तालिका 3.2 में दर्शाये अनुसार लेखाओं के प्रस्तुत करने और विधान सभा के पटल में एस.ए.आर. को प्रस्तुत करने में अत्यधिक विलंब हुआ जिसके परिणामस्वरूप स्वायत्त निकायें जहाँ सरकारी राशि निवेशित है के वित्तीय अनियमितताओं पर आवश्यक सुधारात्मक कारवाई शुरू करने एवं उस निकायों के कामकाज के जांच में देरी हो रही थी।

3.3 असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक देयक

छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता (छ.को.सं.) के नियम 313 के अनुसार, प्रत्येक आहरण एवं संवितरण अधिकारी को चालू माह के प्रथम देयक में यह प्रमाणित करना होता है कि उनके द्वारा आहरित पूर्व माह के सभी संक्षिप्त देयकों के लिए विस्तृत देयकों को संबंधित नियंत्रण अधिकारी को प्रतिहस्ताक्षर कर महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को प्रेषित करने हेतु अग्रेषित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के पूरक नियम 327 के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी को अगले माह के 5 तारीख के अंदर आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ मासिक विस्तृत आकस्मिक देयक को नियंत्रण अधिकारी के पास जमा करना चाहिए। नियंत्रण अधिकारी को महालेखाकार के पास पारित विस्तृत आकस्मिक देयक जमा करना चाहिए ताकि यह महालेखाकार कार्यालय में प्रत्येक माह के 25 तारीख के अंदर प्राप्त हो जाए। वर्षवार विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित देयकों के जमा करने में विलम्ब की जानकारी **तालिका 3.3** में दिया गया है।

तालिका 3.3 संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के विरूद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयकों की स्थिति।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान आहरित ए.सी. देयक		वर्ष के दौरान जमा किए गए डी.सी. देयक		बकाया ए.सी. देयक	
	देयकों की संख्या	राशि	देयकों की संख्या	राशि	देयकों की संख्या	राशि	देयकों की संख्या	राशि
वर्ष 2012-13 तक	0	0	206	6.22	106	1.93	100	4.29
2013-14	100	4.29	378	472.25	391	413.41	87	63.13

(स्रोतः वित्त लेखे वर्ष 2013-14 तथा कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.) द्वारा सम्मिलित जानकारी)

राशि ₹ 63.13 करोड़ के 87 लंबित संक्षिप्त आकस्मिक देयकों में अधिकांशतः सहकारिता (₹ 52.97 करोड़), वन तथा वन्य प्राणी (₹ 6.02 करोड़), उद्योग (₹ 1.93 करोड़) तथा ग्राम एवं लघु उद्योग (₹ 1.82 करोड़) से संबंधित थे। संक्षिप्त आकस्मिक देयकों जिनके विस्तृत देयक 31 मार्च 2014 तक लंबित थे, का मुख्य शीर्षवार विवरण **परिशिष्ट 3.3** में दिया गया है।

3.4 हानि तथा गबन के प्रकरणों का प्रतिवेदन

छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-I के नियम 22 एवं 23 में प्रावधान है कि लोक धन की हानि, गबन एवं दुर्विनियोजन के प्रत्येक प्रकरण महालेखाकार को प्रतिवेदित की जानी चाहिए। संहिता के नियम 24 में प्रावधान है कि अचल संपत्ति जैसे भवन, सड़क एवं पुलिया की अग्नि, बाढ़, तूफान, भूकंप अथवा अन्य प्राकृतिक कारणों से हुई हानि को भी महालेखाकार को प्रतिवेदित की जानी चाहिए। इसके अनुसरण में विभागों को विस्तृत जाँच करके हानि के कारणों तथा पुनरावृत्ति रोकने के उपायों/कार्यवाही से अवगत कराना चाहिए।

राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा प्रतिवेदित 1,679 लंबित प्रकरणों में ₹ 18.93 करोड़ शासकीय धन का मार्च 2014 के अंत तक निर्णयात्मक जाँच एवं निपटारा अपेक्षित था। ऐसे लंबित प्रकरणों का विभागवार तथा श्रेणीवार स्थिति **परिशिष्ट 3.4** में दर्शाया गया है। प्रकरणों का वर्षवार विश्लेषण **परिशिष्ट 3.5** में दर्शाया गया है। लंबित प्रकरणों की अवधिवार स्थिति एवं प्रत्येक श्रेणी जैसे चोरी एवं हानि के लंबित प्रकरण को **तालिका 3.4** में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 3.4 हानियों एवं गबनों आदि की स्थिति

(₹ लाख में)

लंबित प्रकरणों की अवधि		
श्रेणी (वर्षों में)	प्रकरणों की संख्या	राशि
0 - 5	264	440.29
5 - 10	336	490.34
10 - 15	203	339.14
15 - 20	220	288.26
20 - 25	230	139.99
25 एवं उससे अधिक	426	194.93
योग	**1,679**	**1,892.95**

लंबित प्रकरणों की प्रकृत्ति		
प्रकरण की प्रकृत्ति	प्रकरणों की संख्या	राशि
चोरी	132	51.12
संपत्ति/सामग्रियों की हानि	1,483	1,759.30
गबन	64	82.53
कुल लंबित प्रकरण	**1,679**	**1,892.95**

(स्रोतः राज्य शासन के विभागों द्वारा प्रेषित प्रकरण)

आगे विश्लेषण दर्शाता है कि जिन कारणों से प्रकरण लंबित है उनको **तालिका 3.5** में पाँच श्रेणीयों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

तालिका 3.5 हानि एवं गबन आदि के प्रकरणों के लंबित रहने के कारण

(₹ लाख में)

सं. क्र.	प्रकरण विलम्ब/लंबित होने के कारण	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	विभागीय एवं फौजदारी अनुसंधान की अपेक्षा में लंबित	343	710.83
2	विभागीय कार्यवाही प्रारंभ लेकिन अंतिम तौर पर निर्णित नहीं	188	204.39
3	फौजदारी कार्यवाही निर्णित लेकिन राशि की वसूली संबंधी कार्यवाही लंबित	37	28.40
4	वसूली/अपलेखन के आदेश अपेक्षित	1,082	933.13
5	न्यायालय में प्रकरण लंबित	29	16.20
	योग	**1,679**	**1,892.95**

(स्रोतः राज्य शासन के विभागों द्वारा प्रतिवेदित प्रकरण)

उपरोक्त तालिका यह दर्शाता है कि 1,679 लंबित प्रकरणों में 1,082 प्रकरण (64 प्रतिशत) जिसका मूल्य ₹ 933.13 लाख था, विभागों/शासन द्वारा वसूली अथवा अपलेखन आदेश न जारी किए जाने के फलस्वरूप लंबित था। यह इंगित करता है कि विभागों/शासन के द्वारा विलंब से कार्यवाही के परिणामस्वरूप शासकीय धन की वसूली या प्रकरणों का निराकरण नहीं हो पाया।

3.5 व्यक्तिगत निक्षेप खाते

व्यक्तिगत निक्षेप खातें ऐसा जमा खातें है, जो कोषालय में लेखाओं के प्रशासक के नाम से रखा जाता है। इस राशि को 8443- सिविल जमा 106- व्यक्तिगत जमा के अंतर्गत रखा जाता है। राशि समेकित निधि से (लेखे के अंतिम शीर्ष से विकलित कर) आहरित कर विशेष उदेश्य के लिय उपयोग की जाती है।

छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता, भाग-1 के नियम 543 के व्यक्तिगत निक्षेप खातों के रखरखाव के लिए निर्मित प्रावधानानुसार व्यक्तिगत निक्षेप खाते जो राज्य के समेकित निधि को विकलित कर खोले जाते है उन्हें वित्तीय वर्ष के समाप्ति पर उसे संबंधित सेवा शीर्ष में ऋणात्मक जमा कर बंद कर दिया जाना चाहिए। वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन ने भी मार्च 2013 में व्यक्तिगत निक्षेप खातों को वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बंद करने को कहा है।

राज्य मे व्यक्तिगत निक्षेप खातें का विवरण **तालिका 3.6** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.6 व्यक्तिगत निक्षेप खाते का विवरण

(₹ करोड़ में)

खाते की संख्या तथा राशि 1 अप्रैल 2013 तक		वर्ष के दौरान खोले गए खाते		वर्ष के दौरान बंद किए गए खाते		लेन-देन की राशि (शुद्ध) वर्ष के दौरान	31 मार्च 2014 की स्थिति में लेखा की संख्या एवं राशि	
137	605.79	209	722.39	24	6.15	1,059.83	322	1,665.62

(स्रोतः वित्त लेखे)

व्यक्तिगत खाते में अंतिम शेष यह इंगित करता है कि प्रशासकों ने नियमानुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर संबंधित सेवा शीर्ष को ऋणात्मक विकलन नहीं किया। चूँकि व्यक्तिगत खाते में हस्तांतरित राशि राज्य के संचित निधि में अंतिम व्यय के रूप में

दिखाया जाता है, अतः वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर व्यक्तिगत निक्षेप खाते बंद न किये जाने से उस वर्ष संचित निधि के अंतर्गत व्यय अधिक प्रदर्शित होता है।

वर्ष 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान व्यक्तिगत जमा खातों में कुल शेष राशि का विवरण **तालिका 3.7** में दर्शाया गया है

तालिका 3.7 व्यक्तिगत निक्षेप खाते में निधि

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक राशि	प्राप्तियां/जमा	आहरण	अंतिम शेष
2009-10	434.40	400.62	337.41	497.60
2010-11	497.60	590.36	591.61	496.34
2011-12	496.34	669.96	437.08	729.22
2012-13	729.22	224.76	348.19	605.79
2013-14	605.79	1,388.51	328.68	1,665.62

(स्रोतः संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)

राज्य कोषालय संहिता भाग-I के सहायक नियम 584 से 590 के अधीन राज्य सरकार के निर्देशानुसार संबंधित व्यक्तिगत जमा खाता के प्रशासक इस आशय का एक वार्षिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि प्रशासक की लेखा पुस्तिका में दर्ज शेषों का मिलान मार्च माह के धन ऋण पत्रक में दर्ज शेषों से हो रहा है। 31 मार्च 2014 के स्थिति में 322 में से 268 प्रशासकों के व्यक्तिगत निक्षेप खातें में दर्शाए ₹ 1,513.12 करोड़ के शेषों का मिलान नहीं किया गया था। व्यक्तिगत निक्षेप खातों का कोषालय खातों से समय-समय पर मिलान करने की जिम्मेदारी प्रशासकों की होती है। आगे देखा गया कि एक व्यक्तिगत निक्षेप खाता जिसमें राशि ₹ 5.11 लाख था वर्ष के दौरान संचालित नहीं था।

3.6 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

अनुदान के विरूद्ध लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र

- विभिन्न विभागों द्वारा 2012-13 तक जारी सहायक अनुदान के विरूद्ध ₹ 8,864.38 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र 31 मार्च 2014 तक लंबित थे। सहायता अनुदान के विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न होना यह इंगित करता है कि समय पर निर्धारित उपयोग के लिए दिये गये अनुदान का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करने में विभागीय अधिकारी विफल रहे।

 यह अनुशंसा की जाती है कि राज्य सरकार द्वारा जिस उद्देश्य के लिए अनुदान दिया गया है उसका समय पर उपयोग सुनिश्चित करें एवं उसके विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्रों को जमा करे।

स्वायत्त निकायों प्राधिकरणों और अनुदान प्राप्त संस्थाओं की लेखाओं का जमा करना तथा लेखापरीक्षा करना

- सरकारी विभाग द्वारा समय पर अनुदानित संस्थाओं के लेखे महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रस्तुत नहीं किया गया है। विभाग द्वारा स्वायत्त निकायों के स्वतंत्र लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को विधान सभा में प्रस्तुत किए जाने की वस्तुस्थिति महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को सूचित नहीं किया गया।

 यह अनुशंसा की जाती है कि सरकारी विभाग स्वायत्त निकाय के लेखे समय पर महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को जमा करना सुनिश्चित करे।

संक्षिप्त आकस्मिक देयक से राशि का आहरण

- वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान ₹ 63.13 करोड़ का आहरण संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के माध्यम से किया गया जो कि मार्च 2014 तक विस्तृत आकस्मिक देयक के जमा न करने के कारण लंबित थे।

 यह अनुशंसा की जाती है कि राज्य सरकार को नियम तथा प्रावधानों के अनुसार विस्तृत आकस्मिक देयकों का समय पर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए।

हानि तथा गबन के प्रकरण

- विभिन्न विभागों के ₹ 18.93 करोड़ के 1,679 हानि प्रकरण 31 मार्च 2014 तक लंबित थे। विभाग द्वारा कार्यवाही में विलंब के कारण शासकीय राशि की वसूली नहीं हो रही थी।

 यह अनुशंसा की जाती है कि सरकारी विभाग को लंबित हानि प्रकरण के निपटान के लिए शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए।

व्यक्तिगत निक्षेप खातों में जमा राशि

- वित्तीय वर्ष के समाप्ति के बाद भी व्यक्तिगत निक्षेप खातों को संचालित रखना छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के प्रावधानों का उल्लघंन था। मार्च 2014 के समाप्ति पर व्यक्तिगत निक्षेप खाते में एक बड़ी राशि ₹ 1,665.62 करोड़ का अंतिम शेष था।

विभाग को वित्तीय वर्ष के समाप्ति पर व्यक्तिगत निक्षेप खातों को बंद किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए एवं शेष को राज्य की संचित निधि में आंतरित किया जाना चाहिए।

रायपुर
दिनांक

(बिजय कुमार मोहन्ती)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट-1.1(अ)

(संदर्भः कंडिका-छत्तीसगढ़ का पार्श्व दृश्य पृष्ठ-1)

छत्तीसगढ़ राज्य की रूपरेखा

अ. सामान्य आंकड़े

स. क्र.	विवरण		आंकड़े
1	क्षेत्र		1,35,191 वर्ग कि.मी.
2	जनसंख्या		
	अ	2001 की जनगणना के अनुसार	2.08 करोड़
	ब	2011 की जनगणना के अनुसार	2.55 करोड़
3	अ	जनसंख्या का घनत्व (2001 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत घनत्व = 325 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी.)	154 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी.
	ब	जनसंख्या का घनत्व (2011 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत घनत्व = 382 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी.)	189 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी.
4	गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या[1] (बी.पी.एल.) (राष्ट्रीय औसत =21.92 प्रतिशत)		39.93 प्रतिशत
5	अ	साक्षरता (2001 की जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत = 64.8 प्रतिशत)	64.66 प्रतिशत
	ब	साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत = 74.0 प्रतिशत)	71.04 प्रतिशत
6	शिशु मृत्यु दर[2] (प्रति 1000 जीवित बच्चों पर). (राष्ट्रीय औसत = 42 प्रति 1000 जीवित बच्चे)		47 प्रति 1000 जीवित बच्चे
7	गिनी कोएफीशियेन्ट[3]		
	अ	ग्रामीण (राष्ट्रीय= 0.29)	0.28
	ब	शहरी (राष्ट्रीय = 0.38)	0.33
8	सकल राज्य घरेलू उत्पाद[4] (जीएसडीपी) 2013-14 के वर्तमान मूल्य के अनुसार		₹ 1,85,060.17 करोड़
9	प्रति व्यक्ति जीएसडीपी सीएजीआर (2004-05 से 2013-14)	**अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों में**	14.88
		छत्तीसगढ़	14.38
10	जीएसडीपी सीएजीआर (2004-05 से 2013-14)	**अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों में**	15.49
		छत्तीसगढ़	16.21
11	जनसंख्या वृद्धि (2004-05 से 2013-14)	**अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों में**	12.94
		छत्तीसगढ़	15.84

ब. वित्तीय आंकड़े

विवरण				
	सीएजीआर	2004-05 से 2012-13		2004-05 से 2013-14
		सामान्य श्रेणी राज्य	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़
		(आंकड़े प्रतिशत में)		
अ	राजस्व प्राप्तियों का	16.93	19.22	17.94
ब	स्वयं के कर राजस्व का	16.42	18.80	18.00
स	कर भिन्न राजस्व का	12.49	17.81	16.96
द	कुल व्यय का	15.37	18.83	18.35
क	पूंजीगत व्यय का	17.01	23.24	18.47
ख	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	17.44	21.75	22.06
ग	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	16.50	19.04	19.94
घ	वेतन एवं मजदूरी का	14.73	17.48	17.61
प	पेंशन का	18.34	20.58	19.82

(स्रोतः वित्तीय आंकड़ें वित्त लेखों पर आधारित है।)

[1] योजना आयोग के जुलाई 2013 के बीपीएल 2011-12 के प्रेस नोट के अनुसार, तेंदुलकर विधि द्वारा गरीबी रेखा के नीचे।

[2] शिशु मृत्यु दर (एसआरएस बुलेटिन 2013)

[3] गिनी कोएफिशियेन्ट जनसंख्या में आय की असमानता का एक माप है। मूल्य दर शून्य से एक शून्य के निकट असमानता कम है, एक के निकट असमानता अधिक है (योजना आयोग के अशासकीय प्राक्कलन एवं राष्ट्रीय प्रादर्श सर्वेक्षण संगठन के आंकड़े 61वां चक्र 2009-10- यूआरपी)

[4] आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन

परिशिष्ट-1.1(ब)

(संदर्भः कंडिका-1.1; पृष्ठ-1,2)

सरकारी लेखों की संरचना एवं प्रारूप

सरकार के लेखे की संरचनाः राज्य शासन के लेखे तीन भागों (I) समेकित निधि (II) आकस्मिकता निधि और (III) लोक लेखा में रखे जाते हैं।

भाग (I) समेकित निधिः राज्य शासन द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, विनिमय पत्र द्वारा प्राप्त समस्त ऋण आंतरिक और बाहय ऋण, और ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए सरकार द्वारा प्राप्त समस्त धन एक समेकित निधि का निर्माण करते है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत यह निधि राज्य की समेकित निधि के नाम से स्थापित की गई है।

भाग (II) आकस्मिकता निधिः भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के अंतर्गत राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना की गई। यह अग्रिम के रूप में होती है, इसे अत्यावश्यक अनपेक्षित व्यय हेतु अग्रिम प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए राज्यपाल के अधीन रखा जाता है, इस व्यय को बाद में विधायिका द्वारा अधिकृत किया जाता है बाद में विधान मंडल द्वारा ऐसे व्यय का अनुमोदन और समान राशि समेकित निधि से आहरण करने की अनुमति प्राप्त की जाती है। तब आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिमों की इस निधि (समेकित) द्वारा भरपाई की जाती है।

भाग (III) लोक लेखाः कुछ लेन-देनों जैसे लघु बचतें, भविष्य निधियाँ, आरक्षित निधियाँ, निक्षेप, उचंत, प्रेषण आदि से संबंधित प्राप्तियाँ एवं संवितरण जो समेकित निधि के हिस्से नहीं है, इस प्रकार प्राप्त लोक धन संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा के अंतर्गत रखा जाता है एवं जो विधान मंडल के द्वारा वोट के अधीन नहीं है।

भाग-स : वित्त लेखों की रूपरेखा

वित्त लेखों को दो भागों में विभाजित किया गया है।

खण्ड-1 - सारांशीय विवरणी	
विवरण क्र. 1	वित्तीय स्थिति का विवरण- वर्ष के अंत में परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों की संचयित आंकड़े।
विवरण क्र. 2	प्राप्तियों एवं संवितरण का विवरण- वर्ष के दौरान शासन द्वारा सरकारी लेखे में तीन भागों में रखे गये प्राप्तियाँ एवं संवितरण।
विवरण क्र. 3	समेकित निधि में प्राप्तियों का विवरण- शासन की राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियाँ एवं शासन द्वारा उधार से प्राप्तियों का विवरण।
विवरण क्र. 4	समेकित निधि में व्यय का विवरण- कार्यकलाप एवं क्रियाकलाप अनुसार व्यय का विवरण।
खण्ड-2	
विवरण क्र. 5	प्रगामी पूंजीगत परिव्यय का विवरण- पूंजीगत व्यय का प्रगामी जोड़ 2013-14 तक का सारांशी विवरण।
विवरण क्र. 6	उधारों तथा अन्य दायित्वों का विवरण- शासन के उधारों का सारांशी विवरण जिसमें आंतरिक ऋण भारत शासन से प्राप्त कर्जे, अन्य दायित्व एवं ऋणों की सेवायें।
विवरण क्र. 7	सरकार द्वारा दिये गये कर्जे तथा पेशगियों का विवरण- राज्य शासन द्वारा वर्ष के दौरान दिये गये ऋणों और अग्रिमों, किये गये पुर्नभुगतान और वसूलियों का बकाया इत्यादि।
विवरण क्र. 8	राज्य शासन द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान का विवरण।
विवरण क्र. 9	शासन द्वारा दिए गए गारंटियों का विवरण- सांविधिक निगमों, स्थानीय निगमों एवं अन्य संस्थाओं द्वारा लिए गए ऋणों आदि के पुनर्भुगतान हेतु सरकार द्वारा दी गई गारंटी।
विवरण क्र. 10	प्रभारित एवं दत्तमत व्यय का विवरण-वर्ष के दौरान किए गए व्यय के भारित एवं दत्तमत व्यय के मध्य वितरण।
विवरण क्र. 11	राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघुशीर्षवार विस्तृत विवरण- राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत लेखा एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विवरण।
विवरण क्र. 12	राजस्व व्यय का लघुशीर्षवार विस्तृत विवरण-आयोजना एवं आयोजनेत्तर के अधीन राजस्व व्यय का लेखा लघुशीर्षवार एवं पूंजीगत व्यय का मुख्य शीर्षवार लेखा।
विवरण क्र. 13	पूजीगत व्यय विस्तृत शीर्षवार विवरण-2013-14 के दौरान और इसके अंत तक किए गए पूंजीगत व्यय एवं गत वर्ष के आकड़े के साथ तुलनात्मक विवरण।
विवरण क्र. 14	सरकार द्वारा किये गए निवेशों का विस्तृत विवरण- 2013-14 के अंत तक सांविधिक निगमों शासकीय कम्पनियों अन्य संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी बैंको और समितियों इत्यादि में राज्य शासन के निवेश का विवरण।
विवरण क्र. 15	उधारों तथा अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण ।
विवरण क्र. 16	सरकार द्वारा दिए गए कर्जों तथा उधारों का ब्यौरेवार विवरण।
विवरण क्र. 17	राजस्व लेखे के अतिरिक्त व्यय के लिए अन्य निधियों के स्त्रोतों एवं उपयोग का विस्तृत विवरण
विवरण क्र. 18	आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखे संव्यवहारों का विस्तृत विवरण
विवरण क्र. 19	चिन्हित आरक्षित निधियों के शेषों का विवरण।

परिशिष्ट-1.2

(संदर्भः कंडिका-छत्तीसगढ़ का पार्श्व दृश्य पृष्ठ-1)

राजकोषीय स्थिति के आंकलन हेतु अपनाई गई कार्यविधि

यह मानकर कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य की अर्थव्यवस्था के कार्य निष्पादन का अच्छा सूचक है, वृहत्त राजकोषीय कुल योग जैसे कर एवं कर भिन्न राजस्व, राजस्व एवं पूंजीगत व्यय, आंतरिक ऋण तथा राजस्व एवं राजकोषीय घाटे को प्रचलित बाजार मूल्य से सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रतिनिधित्व वाले आधार के संदर्भ में संगत राजकोषीय अस्थिर अंक के सह दक्षता सहित उत्प्लावकता की संगणना यह आंकलन करने के लिए की गई है कि संसाधनों का संग्रह व्यय की रीति इत्यादि आधार में परिवर्तन के साथ कदम से कदम मिला रहा है अथवा इन राजकोषीय कुल योग पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अलावा अन्य तत्वों द्वारा प्रभावित होता है।

विगत पांच वर्षो में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रवृत्तियाँ निम्नानुसार सूचित किया जाता हैः

जीएसडीपी का क्षेत्रवार विवरण

(₹ करोड़ में)

	2009-10	2010-11	2011-12(P)	2012-13(Q)	2013-14(A)
प्राथमिक क्षेत्र	29,339.36	37,820.66	45,886.55	50,650.32	54,789.43
द्वितीय क्षेत्र	33,532.56	36,551.67	44,678.71	49,469.07	55,375.00
तृतीय क्षेत्र	36,492.34	45,047.43	53,816.96	63,341.46	74,895.75
सकल घरेलू राज्य उत्पाद (जीएसडीपी)	99,364.26	1,19,419.76	1,44,382.22	1,63,460.85	1,85,060.17
जीएसडीपी का विकास दर (प्रतिशत में)	2.47	20.18	20.90	13.21	13.21

(स्त्रोतः- छत्तीतगढ़ शासन के आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग वर्ष 2013-14)

नोटः- ए (एडवांस) क्यू (क्विक) पी (प्रोविजनल)

प्राथमिक क्षेत्र - कृषि (पशुपालन सहित) वन, मत्स्य पालन, खनिज एवं उत्खन्न

द्वितीय क्षेत्र -उत्पादन (पंजीकृत एवं अपंजीकृत), निर्माण, विद्युत, गैस, एवं जल वितरण

तृतीय क्षेत्र -रेल परिवहन अन्य साधन द्वारा, भंडारण, संचार, व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेन्ट, बैंक, बीमा एवं रियल स्टेट, मालिकाना हक एवं व्यापार सेवायें, सामूदायिक एवं वैयक्तिक, अन्य सेवायें

राजकोषीय समूहों के नमूने एवं प्रचलनों के आंकलन में उपयोग में लाये गये कुछ चयनित शब्दों की परिभाषा नीचे दी गई है:

शब्द	संगणना के आधार
उत्प्लावकता का माप सूचक	मापसूचक की वृद्धि दर/सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर
मापसूचक की उत्प्लावकता (X) अन्य मापसूचक के संदर्भ में (Y)	मापसूचक (X) की वृद्धि दर/ मापसूचक (Y) की वृद्धि दर
वृद्धि की दर (आरओजी)	[(चालू वर्ष की राशि/ पिछले वर्ष की राशि)- 1]* 100
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएँ + आर्थिक सेवाएँ
राज्य द्वारा औसत ब्याज भुगतान	ब्याज भुगतान/[(पूर्व वर्ष की राजकोषीय देयताओं की राशि + चालू वर्ष की राजकोषीय देयताओं)/2]* 100
ब्याज विस्तार	सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि - औसत ब्याज दर
प्रमात्रा विस्तार	ऋण स्टाक* ब्याज विस्तार
दिये गये बकाया ऋणों पर प्राप्त ब्याज का प्रतिशत	ब्याज प्राप्ति/[(प्रारंभिक शेष + ऋण एवं अग्रिमों का अंतिम शेष)/2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्ति - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम- राजस्व प्राप्तियाँ- विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ
प्रारंभिक घाटा	राजकोषीय घाटा-ब्याज भुगतान
चालू राजस्व से शेष (बीसीआर)	राजस्व प्राप्तियाँ से घटायें सभी योजना अनुदानों एवं आयोजनेत्तर राजस्व व्यय मुख्य शीर्ष 2048 में दर्ज व्यय को छोड़कर ऋण परिहार को कम करने के लिए विनियोग
संसाधनों का अंतर	क्रमिक गैर ऋण प्राप्तियां- क्रमिक प्राथमिक राजस्व व्यय + क्रमिक ब्याज भुगतान

परिशिष्ट- 1.3

(संदर्भः कंडिका-1.1, 1.3, 1.4; पृष्ठ- 2, 11 एवं 19)

राज्य शासन के वित्त का अवधिवार आंकड़ा विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
भाग - अ प्राप्तियां					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	**18,154(89)**	**22,720(94)**	**25,867(94)**	**29,578(89)**	**32,050(85)**
(i) कर राजस्व	**7,123(39)**	**9,005(40)**	**10,712(41)**	**13,034(44)**	**14,343(45)**
कृषि आय पर कर	0	0	0	0	0
विक्रय, व्यापार आदि पर कर	3,712(52)	4,841(54)	6,006 (56)	6,929(53)	7,930(55)
राज्य आबकारी	1,188(17)	1,506(17)	1,597(15)	2,486(19)	2,549(18)
वाहन पर कर	352(5)	428(5)	502(5)	592(5)	651(4)
मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	583(8)	786(9)	846(8)	952(7)	990(7)
भूमि राजस्व	160(2)	247(3)	271(3)	234(2)	226(2)
सामग्री एवं यात्रियों पर कर	696(10)	675(7)	826(7)	954(7)	945(7)
अन्य कर	433(6)	522(6)	665(6)	887(7)	1,052(7)
(ii) कर भिन्न राजस्व	**3,043(17)**	**3,836(17)**	**4,058(16)**	**4,616(16)**	**5,101(16)**
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों मे राज्य का अंश	**4,381(24)**	**5,425(24)**	**6,320(24)**	**7,218(24)**	**7,880(24)**
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	**3,607(20)**	**4,454(20)**	**4,776(18)**	**4,710(16)**	**4,726(15)**
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	**02**	**02**	**04**	**02**	**08**
3. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	**992(5)**	**561(2)**	**1,283(5)**	**1,542(5)**	**1,637(4)**
3 (अ) अंतर्राज्यीय समाशोधन	**03**	**03**	**02**	**02**	**05**
4. कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ (1+ 2+ 3)	**19,151**	**23,286**	**27,156**	**31,124**	**33,700**
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	**1,287(6)**	**795(3)**	**421(2)**	**2,058(6)**	**3,932(10)**
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष को छोड़कर)	1,064 (83)	592 (74)	365	2,041	3,917
अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अधीन निवल लेनदेन	--	--	-	--	--
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	223 (17)	203 (26)	57	16.70	14.59
6. संचित निधि में प्राप्तियाँ (4+5)	**20,438**	**24,081**	**27,577**	**33,182**	**37,632**
7.आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	**0**	**01**	**0**	**0**	**0**
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	**24,512**	**27,524**	**34,161**	**39,579**	**45,868**
9. राज्य शासन की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	**44,951**	**51,605**	**61,739**	**72,761**	**83,500**
भाग - ब व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	**17,265(83)**	**19,355(85)**	**22,628(81)**	**26,972(80)**	**32,859(85)**
आयोजना	6,817(39)	8,069(42)	10,004(44)	12,440(46)	13,749(42)
आयोजनेत्तर	10,448(61)	11,286(58)	12,624(56)	14,532(54)	19,110(58)
सामान्य सेवायें (ब्याज भुगतान सहित)	4,350(25)	5,247(27)	5,904(26)	6,649(25)	7,851(24)
सामाजिक सेवायें	8,024(46)	8,310(43)	10,477(46)	11,456(42)	14,282(43)
आर्थिक सेवायें	4,423(26)	5,091(26)	5,560(25)	8,012(30)	9,756(30)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	468(3)	707(4)	687(3)	854(3)	970(3)
11. पूंजीगत व्यय	**2,745(13)**	**2,952(13)**	**4,056(14)**	**4,919(15)**	**4,574(12)**
आयोजना	2,745(100)	2,951(100)	4,055(100)	4,914(100)	4,575
आयोजनेत्तर	0	01	01	05	(-) 01
सामान्य सेवायें	77(2)	53(2)	42(2)	125(2)	182
सामाजिक सेवायें	802(24)	828(24)	989(24)	951(24)	692
आर्थिक सेवायें	1,866(74)	2,071(74)	3,025(74)	3,843(74)	3,700
12. ऋण एवं अग्रिमों से वितरण	**897(4)**	**567(2)**	**1,269(5)**	**1,889(6)**	**1,319(3)**
12. (अ) अंतर्राज्यीय समायोजन	**03**	**02**	**04**	**-1**	**05**
13. योग (10+ 11+ 12+ 12अ)	**20,910**	**22,876**	**27,957**	**33,779**	**38,757**
14. लोक ऋण की अदायगी	**652(3)**	**691(3)**	**853(3)**	**1,039(3)**	**690(2)**
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष को छोड़कर)	536(82)	555(80)	711(83)	870(84)	541(78)
अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अधीन निवल लेनदेन	0	0	0	0	0
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	116(18)	135(20)	142(17)	169(16)	149(22)
15. आकस्मिकता निधि से विनियोजन	..	..	..	..	..
16. संचित निधि से संवितरण (13 +14 +15)	**21,562**	**23,567**	**28,810**	**34,818**	**39,447**
17. आकस्मिकता निधि से संवितरण	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

18. लोक लेखा संवितरण	**23,879**	**26,896**	**32,940**	**38,527**	**43,434**
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	**45,441**	**50,463**	**61,750**	**73,345**	**82,881**
भाग - स - घाटा					
20. राजस्व घाटा (-)आधिक्य (+) (1-10)	(+) **888**	(+) **3,364**	(+) **3,239**	(+) **2,606**	(-) **809**
21. राजकोषीय घाटा(-)/ आधिक्य (+) (4-13)	(-) **1,759**	(+) **410**	(-) **801**	(-) **2,655**	(-) **5,057**
22. प्राथमिक घाटा (-) / प्राथमिक आधिक्य (+) (21+23)	(-) **664**	(+) **1,608**	(+) **392**	(-) **1,502**	(-) **3,706**
भाग - द - अन्य आंकड़े					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	**1,095**	**1,198**	**1,193**	**1,153**	**1351**
24. स्थानीय निकायों आदि को आर्थिक सहायता	**2,889**	**3,401**	**4,607**	**7,044**	**7,651**
25. अर्थोपाय अग्रिमों/ अधिविकर्ष	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
लिए गए अर्थोपाय अग्रिम (दिनों में)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
लिए गए अधिविकर्ष (दिनों में)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. अर्थोपाय अग्रिमों/अधिविकर्ष पर ब्याज	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)	**99,364**	**1,19,420**	**1,44,382**	**1,63,461**	**1,85,060**
28. बकाया ऋण (वर्षांत)	**15,937**	**16,581**	**17,103**	**19,268**	**24,902**
29. बकाया प्रतिभूति (वर्षांत)	**3,338**	**2,849**	**2,637**	**2,695**	**3,358**
30. प्रतिभूति दी गई अधिकतम राशि (वर्षांत)	**4,401**	**5,054**	**7,079**	**6,605**	**7,572**
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	**159**	**77**	**137**	**146**	**166**
32. अपूर्ण परियोजनाआं में अवरूद्ध पूंजी	**1,115**	**887**	**2,042**	**3,110**	**4,198**
भाग - इ - राजकोषीय स्वास्थ्य सूचक					
1. संसाधनों का प्रचलन					
स्वयं का कर राजस्व/जीएसडीपी (अनुपात)	0.07	0.19	0.18	0.18	0.17
स्वंय का कर भिन्न राजस्व/जीएसडीपी (अनुपात)	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
केन्द्रीय अंतरण/जीएसडीपी (अनुपात)	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07
2. व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/जीएसडीपी (अनुपात)	0.21	0.19	0.19	0.21	0.21
कुल व्यय/ राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात)	1.15	1.01	1.08	1.14	1.21
राजस्व व्यय/कुल व्यय (अनुपात)	0.83	0.85	0.81	0.8	0.85
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय (अनुपात)	0.13	0.13	0.15	0.15	0.12
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय/कुल व्यय (अनुपात)	0.13	0.13	0.14	0.14	0.11
3. राजकोषीय असंतुलनों का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/जीएसडीपी (अनुपात)	0.01	0.03	0.02	0.02	0.00
राजकोषीय घाटा/ आधिक्य /जीएसडीपी (अनुपात)	(-) 0.02	0.00	(-) 0.01	(-) 0.02	(-) 0.03
प्रारंभिक घाटा /आधिक्य/जीएसडीपी (अनुपात)	(-) 0.01	(+) 0.01	0.00	(-) 0.01	(-) 0.02
राजस्व घाटा/ आधिक्य/राजकोषीय घाटा (अनुपात)	(+) 0.5	(+) 8.20	(-) 4.04	(-) 0.98	(+) 0.16
4. राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन					
राजकोषीय देनदारियाँ/जीएसडीपी (अनुपात)	0.16	0.14	0.12	0.12	0.13
राजकोषीय देनदारियाँ/आरआर (अनुपात)	0.88	0.73	0.66	0.65	0.78
प्रमात्रा विस्तार की तुलना में प्राथमिक घाटा (अनुपात)	(-)0.73	0.93	0.29	1.72	2.71
5. अन्य राजकोषीय सूचक					
निवेश पर प्रतिफल (वापसी)	0.44	4.30	0.04	0.11	0.76
चालू राजस्व से शेष (₹ करोड़ में)	5,682	8,377	10,113	11,763	9,730
वित्तीय परिसंपत्तियाँ/देनदारियाँ (अनुपात)	1.25	1.43	1.60	1.66	1.48

नोटः- *1. जीएसडीपी आंकड़ों में बदलाव के कारण आकड़े में बदलाव के कारण*

2. ए (एडवांस) क्यू (क्विक) पी (प्राविजनल)

3. एन.ए.- उपलब्ध नहीं

परिशिष्ट-1.4 (अ)

(संदर्भः कंडिका-1.1.1 एवं 1.9.2: पृष्ठ 2 एवं 36)

(वर्ष 2013-14 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार)

(₹ करोड़ में)

2012-13		प्राप्तियाँ	2013-14			2012-13		संवितरण	2013-14		
									आयोजनेत्तर	आयोजना	योग
29,578.09		राजस्व प्राप्तियाँ		**32,050.26**		**26,971.84**		**राजस्व व्यय**	**19,109.80**	**13,749.76**	**32,859.58**
	13,034.21	**कर राजस्व**	14,342.71				6,649.31	**सामान्य सेवायें**	**7,773.26**	**77.89**	**7,851.15**
	4,615.95	**कर भिन्न राजस्व**	5,101.17				11,456.42	**सामाजिक सेवायें**	**4,553.35**	**9,728.75**	**14,282.10**
	7,217.60	संघीय करों में राज्यांश	7,880.22				5,486.76	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	2,679.89	4,165.55	6,845.46
	1,227.29	आयोजनेत्तर अनुदान	1,415.78				1,119.37	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	499.40	929.17	1,428.57
	2,112.69	राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	2,121.47				1,190.90	जल प्रदाय स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	313.01	1,121.7	1,434.71
	1,370.35	केन्द्रीय एवं केन्द प्रवर्तित योजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	1,188.91				50.59	सूचना एवं प्रसारण	66.73	2.76	69.49
							1,257.57	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/ अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण	344.16	370.67	714.83
							94.05	श्रम एवं श्रमिक कल्याण	63.31	77.47	140.78
							2,243.42	सामाजिक कल्याण एवं पोषण	575.70	3,057.88	3,633.58
							13.77	अन्य	11.14	3.54	14.68
						8,011.66		**आर्थिक सेवायें**	**5,812.80**	**3,943.13**	**9,755.93**
							3,279.73	कृषि एवं संबंद्ध क्रियाकलाप	3,388.72	1,763.43	5,152.15
							2,060.92	ग्रामीण विकास	920.06	1,169.95	2,090.01
							0.00	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00
							74.58	संचार	0.00	46.00	46.00
							377.9	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	220.88	195.45	416.33
							1,041.36	उर्जा	0.00	495.46	495.46
							429.18	उद्योग एवं खनिज	246.73	220.74	467.47
							660.93	परिवहन	987.99	1.00	988.99
							8.19	विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	2.00	9.14	11.14
							78.87	सामान्य आर्थिक सेवायें	46.43	41.96	88.39
							854.45	**सहायता अनुदान एवं अंशदान**	970.39	0.00	970.39
29,578.09		**कुल राजस्व प्राप्तियाँ**		32,050.26			2,6971.84	**कुल राजस्व व्यय**	19,109.81	13,749.76	32,859.57
0	**II**	**अनुभाग ब में अग्रेषित राजस्व घाटा**		809.31			2,606.25	**अनुभाग ब में अग्रेषित राजस्व आधिक्य**			0.00
		योग		**32,859.57**				**योग**			**32,859.57**

2012-13		प्राप्तियाँ	2013-14			2012-13		संवितरण	2013-14		
									आयोजनेत्तर	आयोजना	योग
2,700.86	**III**	**स्थायी अग्रिमों तथा रोकड़ शेष निवेश सहित प्रारंभिक रोकड़ शेष**		**2,116.94**		0.00		**भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारंभिक अधिविकर्षण**	0.00	0.00	0.00
2.39	**IV**	**विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ**		**7.64**		**4,919.33**		**पूंजीगत व्यय**	**(-)0.74**	**4,574.93**	**4,574.19**
						125.37		**सामान्य सेवायें**	**0.00**	**182.42**	**182.42**
						950.63		**सामाजिक सेवायें**	**0.00**	**691.96**	**691.96**
							173.18	शिक्षा, खेलकूद कला एवं संस्कृति	0.00	253.34	253.34
							173.55	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.00	126.99	126.99
							414.97	जल प्रदाय स्वच्छता आवास एवं शहरी विकास	0.00	84.95	84.95
							0.02	सूचना एवं प्रसारण	0.00	0.00	0.00
							111.4	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति पिछड़ा वर्ग कल्याण	0.00	81.93	81.93
							53.46	सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार	0.00	106.27	106.27
							24.05	अन्य	0.00	38.48	38.48
						3,443.33		**आर्थिक सेवायें**	**(-)0.74**	**3,700.55**	**3,699.81**
							83.64	कृषि एवं संबंद्ध क्रियाकलाप	**(-)0.74**	89.63	88.89
							90.47	ग्रामीण विकास	0.00	90.71	90.71
							1,655.32	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	0.00	1,684.35	1,684.35
							704.00	उर्जा	0.00	22.00	22.00
							28.35	उद्योग एवं खनिज	0.00	8.11	8.11
							1,273.55	परिवहन	0.00	1,801.35	1,801.35
							8.00	सामान्य आर्थिक सेवायें	0.00	4.40	4.40
						4,919.33		**योग पूंजीगत व्यय**	**(-)0.74**	**4,574.93**	**4,574.19**
1.53	**V**	**अंतर्राज्यीय समाशोधन**		**5.14**			(-)0.80	**अंतर्राज्यीय समाशोधन**			**5.30**
1,542.01	**VI**	**ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ**		**1,637.27**			1,888.79	**ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण**	**9.58**	**1,308.95**	**1,318.53**
	73.17	विद्युत परियोजनाओं से	58.35				0.00	विद्युत परियोजनाओं हेतु			0.00
	(-) 0.25	सरकारी सेवकों से	(-) 0.09				0.00	सरकारी सेवकों को			0.00
	1469.10	अन्य से	1,579.01				1,888.79	अन्य को			1,318.53
2,606.25	**VII**	**लाया गया राजस्व आधिक्य**		**0.00**		0.00		**लाया गया राजस्व घाटा**			**809.31**
2,057.73	**VIII**	**लोक ऋणों प्राप्तियाँ**		**3,931.89**		1,039.29		**लोक ऋणों का पुनर्भुगतान**			**689.65**
0.00		बाह्य ऋण		0.00		0.00		बाह्य ऋण			0.00
2,041.03		अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्षण के अलावा आंतरिक ऋण		3,917.31		870.22		अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्षण के अलावा आंतरिक ऋण			540.56

2012-13		प्राप्तियाँ	2013-14			2012-13		संवितरण	2013-14		
									आयोजनेत्तर	आयोजना	योग
0.00		अर्थोपाय अग्रिमों के अधीन निवल लेनदेन		0.00			0.00	अर्थोपाय अग्रिमों के अधीन निवल लेनदेन			0.00
0.00		अधिविकर्षण के अधीन निवल लेनदेन		0.00							
16.70		भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम		14.59			169.07	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिमों का पुनर्भुगतान			149.09
	IX	आकस्मिकता निधि से विनियोग		0.00			0.00	आकस्मिकता निधि से विनियोग			0.00
0.00	X	आकस्मिकता निधि को स्थानांतरित		0.00			**0.00**	**आकस्मिकता निधि से व्यय**			**0.00**
39,579.4	XI	**लोक लेखा प्राप्तियाँ**		**45,867.54**		**38,526.62**		**लोक लेखा संवितरण**			**43,434.15**
	823.12	लघु बचतें एवं भविष्य निधियाँ	882.41				529.65	लघु बचतें एवं भविष्य निधियाँ			617.01
	711.57	आरक्षित निधियाँ	824.49				180.69	आरक्षित निधियाँ			422.38
	26,218.44	उचन्त एवं विविध	29,816.41				26,247.02	उचन्त एवं विविध			29,771.48
	8,003.09	प्रेषण	9,105.44				8,267.26	प्रेषण			9,203.47
	3,823.18	निक्षेप एवं अग्रिम	5,238.79				3,302	निक्षेप एवं अग्रिम			3,419.81
0.00	XII	भारतीय रिजर्व बैंक से अंत में अधिविकर्षण	**0.00**			**2,116.94**		**वर्ष के अंत में रोकड़ शेष**			**2,735.29**
							0.00	कोषालय में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण			0.00
							(-)1,767.11	रिजर्व बैंक के पास निक्षेप			(-)46.71
							116.87	स्थायी अग्रिम सहित विभागीय रोकड़ शेष			9.94
							3,767.18	रोकड़ शेष निवेश			2,772.06
48,490.17		**योग ब**		**53,566.42**		**48,490.17**		**योग ब**			**53,566.42**

परिशिष्ट-1.4 (निरंतर)

(संदर्भः कंडिका-1.1.1, 1.9.1; पृष्ठ-2 एवं 36)

भाग बः छत्तीसगढ़ शासन की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति का सारांश

(₹ करोड़ में)

31.03.2013 की स्थिति	दायित्व		31.03.2014 की स्थिति में
9,566.63	**आंतरिक ऋण**		**12,943.37**
3,233.94	ब्याज सहित बाजार ऋण	6,077.93	
2.11	ब्याज रहित बाजार ऋण	2.11	
20.29	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	20.29	
6,310.29	अन्य संस्थाओं से ऋण	6,843.04	
0.00	अर्थोपाय अग्रिम	0.00	
0.00	भारतीय रिजर्व बैंक से अधिविकर्षण	0.00	
2,137.37	**केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम**		**2,002.87**
0.68	1984-85 से पूर्व के ऋण	0.68	
4.51	आयोजनेत्तर ऋण	5.88	
2,132.22	राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	1,996.35	
0.19	केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	0.19	
(-)0.23	केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए ऋण	(-)0.23	
40.00	**आकस्मिकता निधि**		**40.00**
2,935.59	**लघु बचत, भविष्य निधियाँ आदि**		**3,202.62**
3,351.18	**निक्षेप**		**5,170.24**
2,425.33	**आरक्षित निधियाँ**		**2,827.44**
138.77	**उंचत एवं विविध शेष**		**183.69**
20,594.87	**योग**		**26,370.23**
29,715.13	**अचल परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत व्यय**		**34,281.67**
1,916.18	कम्पनियाँ निगमों इत्यादि में निवेश	1,866.44	
27,798.95	अन्य पूंजीगत व्यय	32,415.23	
1,864.67	**ऋण एवं अग्रिम**		**1,545.98**
240.23	विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	181.88	
1,481.11	अन्य विकास ऋण	1,211.10	
143.33	सरकारी सेवकों को ऋण एवं विविध ऋण	153.00	
1,147.62	**आरक्षित निधि में निवेश**		**1,244.57**
1.87	**अग्रिम**		**1.96**
440.27	**प्रेषण शेष**		**538.30**
0.00	**आकस्मिकता निधि**		**0.00**
969.32	**नगदी**		**1,490.72**
0.00	कोषालय में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	0.00	
(-)1,767.11	रिजर्व बैंक में निक्षेप	(-)46.71	
116.56	विभागीय नगदी शेष **अचल**	9.63	
0.31	स्थायी अग्रिम	0.31	
2,619.56	नगदी शेष निवेश	1,527.49	
(-)13,544.01	**सरकारी लेखे में घाटा**		**(-)12,732.97**
(-)2,606.25	(1) घटाइये चालू वर्ष के राजस्व आधिक्य	809.31	
(-)3.91	(2) प्रारूप सुधार एवं अन्य समायोजन	1.73	
(-)10,933.85	**वर्ष के प्रारंभ में संचयित घाटा**	(-)13,544.01	
20,594.87	**योग**		**26,370.23**

परिशिष्ट-1.5

(संदर्भः कंडिका-1.1.3; पृष्ठ-5)

वर्ष 2013-14 के बजट आंकलन के विरूद्ध वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	बजट आकलन 2013-14	वास्तविक आंकड़े	वृद्धि (+) कमी (-)	वृद्धि एवं कमी का प्रतिशत
राजस्व प्राप्तियाँ	**37,444.52**	**32,050.26**	(-)5,394.26	(-)14.41
कर राजस्व	**15,300.29**	**14,342.71**	(-)957.58	(-)6.26
विक्रय, व्यापार आदि पर कर	8,436.00	7,929.51	(-)506.49	(-)6.00
राज्य आबकारी	2,575.00	2,549.14	(-)25.86	(-)1.00
वाहन पर कर	731.38	651.07	(-)80.31	(-)10.98
मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	1,150.00	990.24	(-)159.76	(-)13.89
सामाग्री एवं यात्रियों पर कर	1,192.00	945.44	(-)246.56	(-)20.68
भूमि कर	376.00	226.06	(-)149.94	(-)39.88
शुल्कों एवं विद्युत पर कर	820.00	1,020.43	200.43	24.44
अन्य कर	19.91	30.82	10.91	54.80
कर भिन्न राजस्व	**6,072.00**	**5,101.17**	(-)970.83	(-)15.99
संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश	**8,593.33**	**7,880.22**	(-)713.11	(-)8.3
भारत सरकार से सहायता अनुदान	**7,478.90**	**4,726.16**	(-)2,752.74	(-)36.81
राजस्व व्यय	**35,015.84**	**32,859.57**	(-)2,156.27	(-)6.16
सामान्य सेवा	**7,617.54**	**7,851.15**	233.61	3.07
राज्य के अंग	361.33	293.42	(-)67.91	(-)18.79
राजकोषीय सेवायें	764.51	647.33	(-)117.18	(-)15.33
ब्याज भुगतान एवं ऋण शोधन	1,346.43	1,450.53	104.10	7.73
प्रशासनिक सेवायें	2,640.33	2,707.83	67.50	2.56
पेंशन एवं विविध सामान्य सेवायें	2,504.94	2,752.04	247.10	9.86
सामाजिक सेवायें	**15,806.10**	**14,282.10**	(-)1,524.00	(-)9.64
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	8,433.63	6,845.46	(-)1,588.17	(-)18.83
समाज कल्याण तथा पोषण	2,872.96	3,633.58	760.62	26.48
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	768.51	714.83	(-)53.68	(-)6.98
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	1,657.32	1,428.57	(-)228.75	(-)13.8
जल पूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	1,787.60	1,434.71	(-)352.89	(-)19.74
सूचना एवं प्रोद्यौगिकी	61.96	69.49	7.53	12.15
श्रमिक तथा श्रम कल्याण	207.11	140.78	(-)66.33	(-)32.03
अन्य	17.01	14.68	(-)2.33	(-)13.70
आर्थिक सेवायें	**10,736.20**	**9,755.93**	(-)980.27	(-)9.13
कृषि एवं संबंद्ध क्रियाकलाप	5,400.00	5,152.15	(-)247.85	(-)4.59
ग्राम विकास	2,627.16	2,089.99	(-)537.17	(-)20.45
संचार	28.57	46.01	17.44	61.04
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	288.47	416.33	127.86	44.32
ऊर्जा	459.36	495.46	36.10	7.86
उद्योग एवं खनिज	501.26	467.47	(-)33.79	(-)6.74
परिवहन	1,305.96	988.99	(-)316.97	(-)24.27
विज्ञान, प्रोद्यौगिकी एवं पर्यावरण	16.95	11.14	(-)5.81	(-)34.28
सामान्य आर्थिक सेवायें	108.47	88.39	(-)20.08	(-)18.51
सहायता अनुदान एवं अंशदान	**856.00**	**970.39**	**114.39**	**13.36**
पूंजीगत व्यय जिसमें	**7,229.51**	**4,574.19**	**(-)2,655.32**	**(-)36.73**
सामान्य सेवायें	**223.00**	**182.42**	**(-)40.58**	**(-)18.20**
सामाजिक सेवायें	**1,527.02**	**691.96**	**(-)835.06**	**(-)54.69**
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	412.39	253.34	(-)159.05	(-)38.57

विवरण	बजट आंकलन 2013-14	वास्तविक आंकड़े	वृद्धि (+) कमी (-)	वृद्धि एवं कमी का प्रतिशत
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	291.22	126.99	(-)164.23	(-)56.39
जल पूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	553.99	84.95	(-)469.04	(-)84.67
सूचना तथा प्रचार	0.02	0.00	(-)0.02	(-)100
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	132.24	81.93	(-)50.31	(-)38.04
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	98.16	106.27	8.11	8.26
अन्य सामाजिक सेवाएं	39.00	38.48	(-)0.52	(-)1.33
आर्थिक सेवायें	**5,479.49**	**3,699.81**	(-)1,779.68	(-)32.48
कृषि एवं संबंद्ध क्रियाकलाप	136.81	88.89	(-)47.92	(-)35.03
ग्रामीण विकास	91.95	90.71	(-)1.24	(-)1.35
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	2,200.79	1,684.35	(-)516.44	(-)23.47
ऊर्जा	435.00	22.00	(-)413	(-)94.94
उद्योग एवं खनिज	44.16	8.11	(-)36.05	(-)81.63
परिवहन	2,540.18	1,801.35	(-)738.83	(-)29.09
सामान्य आर्थिक सेवायें	30.60	4.40	(-)26.20	(-)85.62
राजस्व आधिक्य (+)/घाटा (-)	2,428.68	**(-)809.31**	(-)3,237.99	(-)133.32
राजकोषीय घाटा (-)	(-)5,145.28	**(-)5,057.00**	88.28	(-)1.72
प्राथमिक आधिक्य (+)/ घाटा (-)	(-)3,898.85	**(-)3,706.00**	192.85	(-)4.95

परिशिष्ट-1.6

(संदर्भः कंडिका-1.1.4; पृष्ठ-7)

वर्ष 2013-14 के दौरान महिलाओं के लिए बजट प्रावधान एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

स. क्रं.	योजनाओं के नाम	बजट अनुमान (जेंडर बजट)	विनियोग लेखे के अनुसार कुल प्रावधान	व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
1.	महिला खेलकूद प्रतियोगिता	1.10	0.08	0.08	0.00
2	कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना	94.00	9.40	4.87	(-) 4.53
3	छात्राओं के लिए शाला गणवेश	57.52	46.89	46.89	0.00
4.	हाई स्कूल छात्राओं को निःशुल्क साईकिल प्रदाय	48.87	71.19	68.38	(-) 2.81
5.	एनपीईजीईएल[5]	5.65	5.80	0.00	(-) 5.80
6	इंदिरा आवास योजना	66.50	145.24	85.68	(-) 59.56
7	छत्तीसगढ़ ग्रामीण निर्मल योजना	50.00	103.98	103.98	0.00
8	मुख्यमंत्री ग्राम उत्कर्ष योजना	105.00	100.75	100.75	0.00
9	छत्तीसगढ़ गौरव एवं हमारा छत्तीसगढ़ योजना	25.00	24.79	24.79	0.00
10	ग्राम विकास योजना	25.00	24.95	24.95	0.00
11	कन्या शिक्षा परिसर	5.10	4.80	4.88	0.08
12	निःशुल्क पाठय-पुस्तकों का प्रदाय	93.00	71.13	66.18	(-) 4.95
13	छत्तीसगढ़ किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत संस्थाएं	0.08	2.99	2.81	(-) 0.18
14	अंध, मूक एवं बधिरों के लिए स्कूल एवं संस्थाएं	8.18	8.91	8.92	0.01
15	इंदिरा गांधि राष्ट्रीय विधवा पेंशन	27.11	34.32	30.60	(-) 3.72
16	गैस कनेक्शन के लिए महिलाओं को आर्थिक सहायता	0.02	0.07	0.07	0.00
17	निर्धन युवक-युवतियों के विवाह	13.00	7.59	12.35	4.76
18	आयुष्मति योजना	0.75	0.07	0.23	0.16
19	महिला जागृति शिविर	2.95	1.31	2.25	0.94
20	सबला योजना	3.34	21.27	52.50	31.23
21	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार	25.74	112.25	228.43	116.18
22	एकीकृत बाल विकास योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण	7.10	5.74	8.94	3.20
23	राज्य स्तरीय संसाधन केंद्र	1.90	0.86	0.66	(-) 0.20
24	क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण केंद्र	1.08	0.56	0.56	0.00
	योग	**667.99**	**804.94**	**879.75**	

[5] बालिकाओं के बुनियादी स्तर पर शिक्षण का राष्ट्रीय कार्यक्रम।

परिशिष्ट-2.1 (अ)

(संदर्भः कंडिका-2.4.1; पृष्ठ- 50)

विवरण जहाँ प्रत्येक में बचत ₹ 10 करोड़ से अधिक एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था

(₹ करोड़ में)

सं.क्र	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान/विनियोग का नाम	बचत	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
(अ)-राजस्व दत्तमत					
1	1	सामान्य प्रशासन	127.81	27.98	21.89
2	8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	567.48	126.00	22.20
3	11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	111.00	26.12	23.52
4	13	कृषि	725.57	173.70	23.94
5	14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	293.98	70.54	23.99
6	15	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनांतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	232.66	56.42	24.25
7	18	श्रम	98.12	33.63	34.27
8	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	96.34	43.07	44.70
9	27	स्कूल शिक्षा	2,895.96	720.41	24.88
10	28	राज्य विधान मंडल	34.18	11.63	34.03
11	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	266.74	70.29	26.35
12	30	पंचायत एवं ग्रामीण विभाग से संबंधित व्यय	778.20	211.47	27.17
13	31	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय	47.91	15.99	33.38
14	34	समाज कल्याण	61.34	12.78	20.83
15	36	परिवहन	43.87	16.90	38.52
16	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	4,702.43	1,072.97	22.82
17	43	खेल एवं युवा कल्याण	60.02	40.50	67.48
18	44	उच्च शिक्षा	530.65	140.49	26.48
19	47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	187.14	60.76	32.47
20	48	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला अनुदान	462.53	142.55	30.82
21	54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय	102.00	24.61	24.13
22	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	602.88	204.78	33.97
23	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	1,478.54	398.96	26.98
24	69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नगरीय कल्याण	541.88	347.11	64.06
25	71	सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी	58.00	11.99	20.68
26	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	326.28	84.63	25.93
योग (अ)			**15,433.51**	**4,146.28**	

1	2	3	4	5	6
(ब) पूंजीगत दत्तमत					
27	03	पुलिस	46.25	11.17	24.15
28	10	वन	20.00	10.26	51.30
29	11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	42.80	35.47	82.87
30	13	कृषि	210.20	124.83	59.43
31	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	51.15	44.72	87.42
32	23	जल संसाधन विभाग	420.86	94.01	22.34
33	37	पर्यटन	30.60	26.20	85.62
34	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2,021.34	626.73	31.00
35	42	आदिवासी उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	453.72	185.03	40.78
36	47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	41.50	37.21	89.66
37	48	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला अनुदान	368.81	301.01	81.62
38	53	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	43.50	43.50	100.00
39	55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	83.18	18.00	21.64
40	57	जल संसाधन विकास से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	23.00	20.18	87.74
41	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	967.19	296.27	30.63
42	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	397.16	124.31	31.30
43	68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन	184.70	67.02	36.29
44	75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नार्बाड सहायता प्राप्त परियोजनाएं	150.20	88.84	59.15
45	76	लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	300.00	299.08	99.69
46	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	36.20	27.81	76.82
47	81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	217.50	217.50	100.00
योग (ब)			**6,109.86**	**2,698.85**	
(स) राजस्व भारित					
48	12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	180.00	63.00	35.00
49	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	37.11	12.03	32.42
योग (स)			**217.11**	**75.03**	
कुल योग (अ+ब+स)			**21,760.48**	**6,920.56**	

परिशिष्ट-2.1 (ब)

(संदर्भः कंडिका-2.4.1; पृष्ठ-50)

वर्ष 2013-14 के दौरान बहुत अधिक बचत (₹20 करोड़ एवं उससे अधिक) का उप-शीर्षवार विवरण

(₹ करोड़ में)

सं.क्र	मुख्य शीर्ष	योजनाओं का नाम	बचत	कारण
27-स्कूल शिक्षा				
1	2202-सामान्य शिक्षा	माध्यमिक शालाएं	34.83	सूचना अप्राप्त (जुलाई - 2014)
2		शासकीय प्राथमिक शालाएं	37.95	सूचना अप्राप्त (जुलाई - 2014)
3		माध्यमिक शालाएं	110.77	सूचना अप्राप्त (जुलाई - 2014)
4		शासकीय प्राथमिक शालाएं	75.69	सूचना अप्राप्त (जुलाई - 2014)
5		अशासकीय विद्यालयों को अनुदान	21.78	सूचना अप्राप्त (जुलाई - 2014)
6		सर्व शिक्षा अभियान	112.87	सूचना अप्राप्त (जुलाई - 2014)
7		इमारतों का अनुरक्षण लघु निर्माण कार्य एवं मरम्मत	34.33	सूचना अप्राप्त (जुलाई - 2014)
8		उच्चतर माध्यमिक शालाएं	34.49	सूचना अप्राप्त (जुलाई - 2014)
9		उच्चतर माध्यमिक शालाएं	98.53	सूचना अप्राप्त (जुलाई - 2014)
10		यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त अनुदान	23.90	सूचना अप्राप्त (जुलाई - 2014)
39- खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय				
11	2408- खाद्य भण्डारण तथा भण्डागार	पीली मटर दाल वितरण योजना	41.87	सूचना अप्राप्त (जुलाई - 2014)
12	4408- खाद्य भण्डारण तथा भण्डागार पर पूंजीगत परिव्यय	नगरीय क्षेत्रों में उचित मूल्य दुकान सह गोदाम निर्माण हेतु	25.00	सूचना अप्राप्त (जुलाई - 2014)
41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना				
13	2202- सामान्य शिक्षा	सर्व शिक्षा अभियान	137.30	सूचना अप्राप्त (जुलाई - 2014)
14	2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	31.72	सूचना अप्राप्त (जुलाई - 2014)
15	2403- पशु-पालन	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	20.17	सूचना अप्राप्त (जुलाई - 2014)
16	2505- मछली -पालन	महात्मा गाधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना	44.34	सूचना अप्राप्त (जुलाई - 2014)
17	5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परीव्यय	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना	22.00	सूचना अप्राप्त (जुलाई - 2014)
18		मुख्य मंत्री ग्राम गौरवपथ योजना	25.08	सूचना अप्राप्त (जुलाई - 2014)
42-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल				
19	5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	वृहद पुलों का निर्माण	63.37	सूचना अप्राप्त (जुलाई - 2014)
20		न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम	57.22	सूचना अप्राप्त (जुलाई - 2014)
21		मुख्य जिला कार्यक्रम	32.37	सूचना अप्राप्त (जुलाई - 2014)

सं.क्र	मुख्य शीर्ष	योजनाओं का नाम	बचत	कारण
64- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना				
22	2202-सामान्य शिक्षा	सर्व शिक्षा अभियान	112.87	सूचना अप्राप्त (जुलाई - 2014)
23	5054- सड़कों और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	नाबार्ड ऋण सहायता के अंतर्गत ग्रामीण मार्गो का निर्माण	28.73	सूचना अप्राप्त (जुलाई - 2014)
76- लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं				
24	5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेवलपमेन्ट सेक्टर प्रोजेक्ट-फेज-II	60.35	सूचना अप्राप्त (जुलाई - 2014)
25		छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेवलपमेन्ट सेक्टर प्रोजेक्ट-फेज-II (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)	114.00	सूचना अप्राप्त (जुलाई - 2014)
26		छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेवलपमेन्ट सेक्टर प्रोजेक्ट- फेज-II	124.73	सूचना अप्राप्त (जुलाई - 2014)
80- त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता				
27	2202-सामान्य शिक्षा	विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम	29.98	सूचना अप्राप्त (जुलाई - 2014)
28		शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	34.76	सूचना अप्राप्त (जुलाई - 2014)
29		शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	68.35	सूचना अप्राप्त (जुलाई - 2014)
30		शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	48.11	सूचना अप्राप्त (जुलाई - 2014)
31		राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	48.58	सूचना अप्राप्त (जुलाई - 2014)

परिशिष्ट-2.2

(संदर्भः कंडिका- 2.4.2; पृष्ठ- 52)

प्रकरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 लाख या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

सं.क्र	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान से बचत	अनुपूरक अनुदान
1	2	3	4	5	6	7
(अ) राजस्व दत्तमत						
1	1	सामान्य प्रशासन	119.97	99.83	20.14	7.85
2	2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	18.35	17.08	1.27	2.01
3	3	पुलिस	2,076.92	2,066.49	10.43	123.01
4	4	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	17.86	15.43	2.43	1.95
5	5	जेल	86.89	76.47	10.42	6.05
6	8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	566.69	441.48	125.21	0.79
7	9	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	10.31	8.30	2.01	1.13
8	10	वन	730.57	659.48	71.09	1.99
9	11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	95.64	84.88	10.76	15.36
10	13	कृषि	705.57	551.88	153.69	20.00
11	14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	283.89	223.44	60.45	10.09
12	15	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनांतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	224.20	176.24	47.96	8.47
13	16	मछली पालन	37.22	36.19	1.03	3.15
14	17	सहकारिता	170.04	139.19	30.85	1.00
15	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	735.88	712.60	23.28	66.03
16	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	321.90	269.04	52.86	1.82
17	26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	20.16	17.47	2.69	0.54
18	27	स्कूल शिक्षा	2,880.11	2,175.55	704.56	15.85
19	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	235.85	196.45	39.40	30.89
20	33	आदिम जाति कल्याण	1,257.08	1,252.34	4.74	4.00
21	34	समाज कल्याण	58.34	48.56	9.78	3.00
22	36	परिवहन	42.71	26.97	15.74	1.16
23	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	3,945.01	3,629.46	315.55	757.42
24	43	खेल एवं युवा कल्याण	55.02	19.52	35.50	5.00
25	44	उच्च शिक्षा	507.55	390.16	117.39	23.10
26	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	48.65	47.59	1.06	0.99
27	47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	180.14	126.37	53.77	7.00
28	48	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला अनुदान	441.63	319.98	121.65	20.90
29	54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय	94.50	77.39	17.11	7.50
30	55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	649.22	535.93	113.29	2.58
31	56	ग्रामोद्योग	64.33	59.30	5.03	1.40

1	2	3	4	5	6	7
32	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	414.08	398.11	15.97	188.81
33	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	1,228.28	1,079.58	148.70	250.26
34	65	विमानन विभाग	19.53	15.31	4.22	1.36
35	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	361.33	354.28	7.05	9.14
36	69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नगरीय कल्याण	470.33	194.77	275.56	71.54
37	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	315.57	241.66	73.91	10.72
38	80	त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2,878.87	2,542.42	336.45	150.83
39	82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	1,573.40	1,320.98	252.42	62.36
कुल अ			**23,943.59**	**20,648.17**	**3,295.42**	**1,897.05**
(ब) पूंजीगत दत्तमत						
40	12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	435.00	22.00	413.00	22.00
41	13	कृषि	200.20	85.27	114.93	20.00
42	23	जल संसाधन विभाग	410.82	326.85	83.97	10.04
43	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	1,958.27	1,394.61	563.66	63.06
44	42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	448.52	268.69	179.83	5.20
45	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	564.20	505.18	59.02	66.00
46	47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	37.50	4.29	33.21	4.00
47	48	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला अनुदान	329.32	67.80	261.52	39.48
48	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	937.01	670.92	266.09	30.18
49	66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	1.63	1.11	0.52	9.31
50	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	371.60	272.85	98.75	25.56
योग ब			**5,694.07**	**3,619.57**	**2,074.50**	**294.83**
महायोग -(अ+ब)			**29,637.66**	**24,267.74**	**5,369.92**	**2,191.88**

परिशिष्ट-2.3

(संदर्भः कंडिका-2.4.3; पृष्ठ- 52)

निधियों का आधिक्य/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

(जहाँ आधिक्य/बचत ₹ 20 करोड़ से अधिक है)

(₹ लाख में)

सं.क्र	अनुदान संख्या एवं विवरण	लेखे का शीर्ष	कुल प्रावधान (मूल + अनुपूरक)	पुनर्विनियोजन	अंतिम आधिक्य (+)/बचत(-)
1	2	3	4	5	6
1	24-लोक निर्माण कार्य सड़कें और पुल	5054-04-337-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) - 1513 जिलों की मुख्य सड़कों का निर्माण	15,085.00	9,500.00	3,144.55
2	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	4408-02-195-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 7478- नगरीय क्षेत्रों में उचित मूल्य दुकान सह गोदाम निर्माण हेतु	3,500.00	-1,000.00	-2,500.00
3	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2236-02-796-101-070 केन्द्र प्रवर्तित योजना (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना) 2414-आदिवासी क्षेत्रों में विशेष आहार योजना	17,480.00	-11,492.81	9,824.33
4	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2505-60-796-196-0702 केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 6728- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	10,600.00	-1,000.00	-4,434.31
5	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	5054-04-796-337-0312- नाबार्ड पोषित योजनायें (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 8650- मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ येजना	9,500.00	3,813.93	-2,508.48
6	42-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	5054-04-796-337-0102 अनुसूचित जनजाति उपयोजना 3539- मुख्य जिला सड़कें	13,530.00	-2,035.00	-3,237.44
7	55-महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	2236-02-101-0701 केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य 9050- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना	22,850.00	-13,734.09	11,446.85
8	64-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	2236-02-789-101-0703 केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 2179- अनुसूचित जाति के लिए विशेष पोषाहार कार्यक्रम	5,520.00	-4,783.04	3,694.88
9	82-अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2515-796-196-1002 अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 7019- पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	32,500.00	-15,328.00	4,167.00

परिशिष्ट-2.4

(संदर्भः कंडिका-2.4.4; पृष्ठ- 52)

(वर्ष के दौरान किए गए सारभूत समर्पण/विनियोग के परिणाम)

(₹ लाख में)

सं.क्र	अनुदान का शीर्षक एवं संख्या	योजनाओं का नाम	कुल प्रावधान	समर्पण	समर्पण का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1	01-सामान्य प्रशासन	2070-104-5460 विशेष अन्वेषण स्थापना (एस. आई.ई.)	89.53	52.73	58.90
2		2012-03-105-1357 चिकित्सा सुविधाएं	8.00	5.19	64.88
3		2012-03-107-8696- केन्द्रीय आवासों की साज सज्जा एवं मरम्मत	7.50	5.08	67.73
4		2012-03-800-3609 अन्य व्यय	16.55	12.55	75.83
5	02-सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बन्धित अन्य व्यय	2070-800-5079 विशेष जांच आयोग	98.01	73.45	74.94
6	03-पुलिस	2055-003-0801 केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य-8917- काउन्टर इंसरजेंसी एण्ड एन्टी टेरोरिस्ट स्कूल	300.00	300.00	100.00
7		2055-109-121 केन्द्रीय पुलिस बल तैनाती	550.00	478.41	86.98
8		2070-107-5544 होमगार्ड बल का आधुनिकीकरण	190.00	190.00	100.00
9	04-गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	2070-106-0801-7465 रिवेम्पिंग ऑफ सिविल डिफेंस	125.72	118.13	93.96
10		2235-60-200-7495 अपराध पीड़ितों के लिए पीड़ित क्षतिपूर्ति	100.00	105.00	105.00
11	06-वित्त विभाग से संबंधित व्यय	2047-103-9120 संचालन	112.75	58.29	51.70
12		2052-091-1201 विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य) 6725- यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रय के अंतर्गत प्राप्त अनुदान	67.00	59.59	88.94
13		2054-095-8904 ऑडिट सेल का गठन	250.00	250.00	100.00
14		2435-60-101-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 5628- कृषक ऋण ब्याज दर युक्तियुक्त हेतु ब्याज अनुदान	4,000.00	2,611.60	65.29
15		2435-60-101-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 8671- लघु एवं सीमान्त कृषक ऋण माफी योजना	100.00	100.00	100.00
16		2885-60-190-4843- अधोसंरचना विकास निगम	530.00	500.00	94.34
17	07-वाणिज्य कर विभाग से सम्बन्धित व्यय	2039-102-1111- आबकारी सामग्री की खरीद	350.00	304.14	86.90
18		2039-102-8629- नये सिनेमा घर/मल्टीप्लेक्स सिनेमा घर को प्रोत्साहन	1,000.00	1,000.00	100.00
19	08-भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	2029-103-8910 पर्यावरण निधि से व्यय	4,500.00	4,500.00	100.00
20		2029-103-8911- अधोसंरचना निधि से व्यय	4,500.00	4,500.00	100.00

1	2	3	4	5	6
21	08-भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	2029-103-0801- केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य 9981- लघु सिंचाई योजनाओं की संगणना मानदेय तथा अन्य आकस्मिक व्यय	53.50	46.05	86.07
22		2029-103-0701 केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य 6337- भू-अभिलेख का अद्यतिकरण	2,346.99	1,403.49	59.80
23		2029-797-6753- पर्यावरण निधि का अन्तरण	6,500.00	4,235.95	65.17
24		2052-099-3657-राजस्व बोर्ड	359.00	189.85	52.88
25		2029-797-6754 अधोसंरचना विकास निधि में अंतरण	6,500.00	4,235.95	65.17
26		6401-800-862- कृषक ऋण विधान	20.00	20.00	100.00
27	10-वन	2406-02-110-0801 केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य 5502- प्रोजेक्ट एलीफेन्ट	250.00	204.57	81.83
28		2406-02-110-0701 केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य 6539- राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों का विकास	1,000.00	596.37	59.64
29		4406-01-101-0701 केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य 5538- एकीकृत वन सुरक्षा (संरक्षण) योजना	1,500.00	976.93	65.13
30	11-वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	2852-80-102-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य 8890- खाद्य प्रसंस्करण सहायता अनुदान	1,436.00	798.00	55.57
31		2852-80-800-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 5520- छत्तीसगढ़ स्टेट इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिडिट रायपुर	150.00	150.00	100.00
32		2852-80-800-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 8928- मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना	100.00	81.48	81.48
33		2852-80-800-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 9068- औद्योगिक इकाइयों को लागत पूंजी अनुदान	700.00	358.53	51.22
34		4851-101-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 6742- औद्योगिक पार्को के लिए अनुदान	1,000.00	1,000.00	100.00
35		4851-101-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 9219- भू-अर्जन तथा भूमि विकास क्षतिपूर्ति का भुगतान	1,000.00	1,000.00	100.00
36		4851-101-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 9232- औद्योगिक क्षेत्र/संस्थानों में सड़क नालियों आदि का निर्माण	1,500.00	967.39	64.49
37		4851-101-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 9233 औद्योगिक क्षेत्र/संस्थानों में जल प्रदाय	700.00	500.00	71.43
38	12-ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	2501-04-101-0410- ऊर्जा विकास निधि (सामान्य) 3220- छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेन्सी को सहायक अनुदान	1,138.00	788.00	69.24

1	2	3	4	5	6
39	12-ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	2801-06-800-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 6825- राजीव गांधी ग्रामीण विद्युती करण योजना हेतु	1,250.00	688.00	55.04
40		4801-05-190-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 7498- पूंजीगत व्यय विद्युत पारेषण/उत्पादन/वितरण कम्पनी	43,500.00	43,500.00	100.00
41	13- कृषि	2401-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8900- जैविक खेती मिशन	150.00	102.39	68.26
42		2401-108-0701 केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य) 4838- मैक्रो मेनेजमेंट वर्किंग प्लान	1,250.00	1,157.28	92.58
43		2401-109-5278 राज्य स्तरीय प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना	120.24	70.76	58.85
44		2401-110-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 8702- राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (कार्पस ऑफ फन्ड) प्रोत्साहन योजना	500.00	274.35	54.87
45		2401-113-0801 केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य) 5494- किसानों के खेत पर नवविकसित कृषि उपकरणों (उद्यानिकी उपकरणों सहित) का प्रदर्शन	70.00	48.86	69.80
46		2401-113-0801 केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य) 7333- पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नालॉजी कृषि यंत्रों के प्रचार प्रसार	145.00	95.95	66.17
47		2401-113-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 8906- कृषि उद्यमियों को ब्याज अनुदान	100.00	100.00	100.00
48		2401-119-1001 अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य) 7242- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	7,000.00	5,404.73	77.21
49		2401-119-0701 केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य) 2794- स्प्रिंकलर सिंचाई हेतु अनुदान	1,300.00	1,099.00	84.54
50		2401-119-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 8901- टिशु कल्चर लैब की स्थापना	143.75	143.75	100.00
51		6401-105-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 7283- छ.ग. राज्य विपणन संघ को उर्वरक व्यवसाय हेतु सहायता	20,000.00	11,500.00	57.50
52		6401-105-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 8936- ज्वाईंट लायबिलिटी ग्रुप को ऋण अनुदान	1,000.00	1,000.00	100.00
53	15-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनांतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2202-01-197-0803 केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना) 327- अस्वच्छ धंधे में लगे लोगो के बच्चों के लिए आश्रम, छात्रवृतियां	150.00	86.00	57.33
54		2515-789-196-0703 केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना) 8668- राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान	1,352.76	1,248.43	92.29
55		2515-789-198-0703 केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना) 7424- राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार योजना	100.00	100.00	100.00
56	16-मछली पालन	2415-05-004-8896- मछुआ कल्याण बोर्ड की स्थापना	67.00	42.00	62.69

1	2	3	4	5	6
57	18-श्रम	2230-01-001-4268- श्रम आयुक्त	455.75	232.16	50.94
58		2230-01-102-5810 औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	399.60	266.69	66.74
59		2230-01-112-0701 केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य) 2837- बंधक मजदूरों की पुनर्वास योजना	610.00	468.60	76.82
60		4250-201-0701 केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य) 8352- राज्य में बीड़ी मजदुरों के लिए आवास निर्माण	350.00	350.00	100.00
61	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2215-01-102-1202- ग्रामीण नल जल प्रदाय योजनाओं का अनुरक्षण	550.00	500.00	90.91
62		2215-01-192-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 5099- चरोदा (भिलाई) जल प्रदाय योजना	200.00	200.00	100.00
63		2215-01-192-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 6897- दल्लीराजहरा जल प्रदाय योजना	100.00	100.00	100.00
64		2215-01-193-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 7387- पण्डातराई जल प्रदाय योजना	50.00	50.00	100.00
65		2215-01-193-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 7391- सरिया जल प्रदाय योजना	50.00	50.00	100.00
66		2215-01-193-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 8565- भखरा-भठेली जल प्रदाय योजना	50.00	50.00	100.00
67		2215-01-193-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 8566- मगरलोड भैसमुड़ी जल प्रदाय योजना	50.00	50.00	100.00
68		2215-01-193-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 8612- पाटन आवर्धन जल प्रदाय योजना	100.00	100.00	100.00
69		2215-01-193-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 8613- उतई जल प्रदाय योजना	50.00	50.00	100.00
70		2215-01-193-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 8616- कुसुमकसा नल जल प्रदाय योजना	50.00	50.00	100.00
71		2215-01-800-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 9938- भू-जल स्त्रोतों का रिचार्जिग	250.00	250.00	100.00
72		2215-02-107-0701 केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य) 5504- सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान	1,000.00	1,000.00	100.00
73		2215-02-107-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 6841- जल निकासी योजना	100.00	100.00	100.00
74		4215-02-106-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 5699- शालाओं की शौचालय व्यवस्था	250.00	250.00	100.00
75		4215-02-106-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 6899- बटालियन एवं पुलिस लाइन हेतु शौचालय का निर्माण	50.00	46.30	92.60

1	2	3	4	5	6
76	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	6215-01-101-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 2182- नगरीय नई जल प्रदाय योजना	2,500.00	2,019.39	80.80
77	21-आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	2216-02-190-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 7444- विकास नगर योजना	5,000.00	2,750.00	55.00
78		2217-01-051-1201 विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य) 7334- जी.ई.एफ. सहायित एस.यू.टी.पी. योजना	500.00	300.00	60.00
79		2217-05-800-8892- छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिकरण	50.00	50.00	100.00
80		4217-01-051-1201- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य) 7334- जी.ई.एफ. सहायित एस.यू.टी.पी. योजना	3,500.00	2,876.97	82.20
81		4217-01-051-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 5371- नया रायपुर विकास प्राधिकरण	24,775.00	18,727.04	75.59
82	23-जल संसाधन विभाग	4700-02-800-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 5685- बांध सुरक्षा एवं सुदृढ़ीकरण	500.00	293.23	58.65
83		4700-06-800-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	1,000.00	866.12	86.61
84		4700-08-800-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 2884- नहर तथा उससे संबंधित कार्य	500.00	402.63	80.53
85		4700-10-800-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 2884- नहर तथा उससे संबंधित कार्य	1,400.00	866.83	61.92
86		4700-12-800-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 2884- नहर तथा उससे संबंधित कार्य	5,000.00	3,500.51	70.01
87		4700-80-005-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 4416- सर्वेक्षण	200.00	188.36	94.18
88		4701-10-800-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 2898- बांध तथा संलग्न कार्य	200.00	200.00	100.00
89		4701-38-800-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 2898- बांध तथा संलग्न कार्य	600.00	488.99	81.50
90		4701-47-800-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 2898- बांध तथा संलग्न कार्य	50.00	50.00	100.00
91		4701-80-800-0101- बांध तथा संलग्न कार्य 5678- छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास परियोजना	1,000.00	1,000.00	100.00
92		4711-01-103-0701 केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य) 6757- खाद्य नियंत्रण परियोजना	2,000.00	1,082.00	54.10
93		4700-04-800-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 2884 नहर तथा उससे संबंधित कार्य	200.00	192.03	96.02
94		4700-80-800-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 4948- डिक्री धन का भुगतान	20.00	18.90	94.50

1	2	3	4	5	6
95	24-लोक निर्माण कार्य सड़कें और पुल	5054-04-337-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 1513- जिलों की मुख्य सड़कों का निर्माण	15,085.00	9,500.00	62.98
96	30-पंचायत तथा ग्रामीण विभाग से संबंधित व्यय	2235-60-196-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 7291- आम आदमी बीमा योजना	300.00	250.00	83.33
97		2501-02-196-0701 केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य) 7350- एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम	1,370.11	1,198.13	87.45
98		2515-101-2467- पंचायत संचालनालय	297.20	219.53	73.87
99		2515-101-2474- पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित प्रभार	7,100.00	6,545.57	92.19
100		4515-101-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 3064- भवन निर्माण	40.00	40.00	100.00
101		5054-04-101-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 4871- प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के मार्गो पर पुलों का निर्माण	1,800.00	1,800.00	100.00
102	31-योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय	3451-101-1201- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य) 6725- यूरोपियन कमीशन राज्य सांझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त अनुदान	774.20	772.41	99.79
103	33-आदिम जाति कल्याण	2225-02-277-0801- केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य) 5325- व्यवसायिक प्रशिक्षण शिक्षा	300.00	300.00	100.00
104	34-समाज कल्याण	2235-02-101-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 5650- जिला निःशक्त पुनर्वास केन्द्र	70.00	51.19	73.13
105	35-पुनर्वास	2235-01-200-3135- भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये नव अप्रवासियों की पुर्नस्थापना	104.40	104.40	100.00
106	37- पर्यटन	5452-01-101-0701- केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य) 7009- प्रत्येक जिलों में पर्यटन केन्द्रों का विकास	2,180.00	2,180.00	100.00
107		5452-01-102-0101- केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य) 5613- जिलों में नवीन टूरिस्ट मोटल्स का निर्माण	880.00	440.28	50.03
108	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	2408-01-102-3229- नागरिक आपूर्ति निगम को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति	200.00	200.00	100.00
109		2408-01-102-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 8673- कोर पी.डी.एस. मेरी मर्जी योजना	350.00	192.50	55.00
110		2408-01-106-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 8933- शक्कर वितरण योजना	1,975.00	1,975.00	100.00
111	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2202-01-796-109-0102 अनुसूचित जनजाति उपयोजना 3437- मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना	999.00	650.30	65.10
112		2202-02-796-109-0802 केन्द्र क्षेत्रीय योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना) 2675- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृतियां	2,300.00	1,341.48	58.33

1	2	3	4	5	6
113	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2202-02-796-109-0802 केन्द्र क्षेत्रीय योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 8956- प्री-मैट्रिक छात्रवृति	6,205.17	6,205.17	100.00
114		2202-02-796-109-0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना 2194- विशेष कोचिंग केन्द्र योंजना	175.00	103.27	59.01
115		2202-02-796-109-0102 अनुसूचित जनजाति उपयोजना 2501-परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण	200.00	186.94	93.47
116		2202-02-796-109-0102 अनुसूचित जनजाति उपयोजना 6755 - कम्प्यूटर शिक्षा योजना	200.00	200.00	100.00
117		2202-02-796-109-0102 अनुसूचित जनजाति उपयोजना 762- कन्या शिक्षा योजना	221.00	201.48	91.17
118		2202-02-796-109-0102 अनुसूचित जनजाति उपयोजना 8549- विज्ञान-वाणिज्य शिक्षा प्रोत्साहन योजना	218.10	139.87	64.13
119		2203-796-105-0102 अनुसूचित जनजाति उपयोजना 2667- पॉलीटेक्निक	430.20	324.86	75.51
120		2210-80-796-800-0702 केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 6960- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	894.90	650.00	72.63
121		2215-01-796-192-0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना 7315- जशपुर जल प्रदाय योजना	400.00	260.00	65.00
122		2215-01-796-193-0102 अनुसूचित जनजाति उपयोजना 6882- किरनदुल जल प्रदाय योजना	200.00	200.00	100.00
123		2215-01-796-193-0102 अनुसूचित जनजाति उपयोजना 7369-पंखाजुर जल प्रदाय योजना	150.00	150.00	100.00
124		2215-01-796-193-0102 अनुसूचित जनजाति उपयोजना 8620- नईलेदरी नल जल प्रदाय योजना	100.00	100.00	100.00
125		2215-01-796-193-0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना 8621- खेंगापरनी नल जल प्रदाय योजना	100.00	100.00	100.00
126		2215-01-796-800-0102 अनुसूचित जनजाति उपयोजना 9938- भू-जल स्रोतों का रिचार्जिग	100.00	100.00	100.00
127		2215-02-796-107-0702 केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 5504- सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान	100.00	100.00	100.00
128		2225-02-796-102-0602- अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए भारत सरकार के अलावा राशियों से पोषित 5212 - माडा क्षेत्र में स्थानीय विकास कार्यक्रम	1,074.70	572.95	53.31
129		2225-02-796-102-0102 अनुसूचित जनजाति उपयोजना 7344- छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास कार्यक्रम	120.00	75.00	62.50
130		2230-03-796-003-0702- केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 717- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	231.50	131.52	56.81

1	2	3	4	5	6
131	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2230-03-796-101-0702 केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 7438 स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन	283.00	240.34	84.93
132		2235-02-796-102-0702 केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 9130- एकीकृत बाल विकास सेवाओं का पर्यवेक्षण	286.70	155.12	54.11
133		2235-02-796-103-0102 अनुसूचित जनजाति उपयोजना 7265- अनैतिक व्यापार की रोकथाम हेतु कार्यक्रम	125.00	118.70	94.96
134		2236-02-796-101-0702 केन्द्र प्रवर्तित योजना (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना) 414- आदिवासी क्षेत्रों में विशेष आहार योजना	17,480.00	11,492.81	65.75
135		2401-796-102-0702- केन्द्र प्रवर्तित योजना (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना) 5411-आईसोपाम विकास योजना	836.00	491.66	58.81
136		2401-796-103-0102 अनुसूचित जनजाति उपयोजना 8634- दलहन बीज उत्पादन प्रोत्साहन योजना	133.00	131.87	99.15
137		2401-796-108-0702- केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 4838- माइक्रो मैनेजमेंट वार्किंग प्लान	950.00	939.60	98.90
138		2401-796-110-0102 अनुसूचित जनजाति उपयोजना 8702 - राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (कार्पस फण्ड)	380.00	219.86	57.86
139		2401-796-113-0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना 8906- कृषि उद्यमियों को ब्याज अनुदान	76.00	76.00	100.00
140		2401-796-119-1002-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 7242 - राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	5,320.00	4,339.07	81.56
141		2406-01-796-101-0602- अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए भारत सरकार से अलावा राशियों से पोषित 3874- वन ग्रामों का विकास	100.00	100.00	100.00
142		2406-01-796-102-0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना 5091- लोक संरक्षित क्षेत्र की स्थापना	287.50	187.50	65.22
143		2406-01-796-800-0802- केन्द्र क्षेत्रीय योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 5231- लघु वनोपज कार्य हेतु लघु वनोपज संघ को अनुदान	200.00	200.00	100.00
144		2408-01-796-190-0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना 8933- शक्कर वितरण योजना	1,501.00	1,501.00	100.00
145		2425-796-107-0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना 8930- प्रस्तावित जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित जशपुर को अनुदान	500.00	500.00	100.00
146		2501-02-796-196-0702 केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 7350 - एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम	1,041.28	910.58	87.45

1	2	3	4	5	6
147	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2801-06-796-101-0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना 6825 - राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	950.00	523.00	55.05
148		2810-02-796-800-1002- अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 8670- सोलर लैम्प/सोलर स्टडी लैम्प का निःशुल्क प्रदाय	1,506.00	1,506.00	100.00
149		2810-60-796-902-0410- उर्जा विकास निधि - 3220- छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेन्सी को सहायक अनुदान	466.50	266.50	57.13
150		2851-796-104-0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना 8562- कोंडागॉव में शिल्प सिटी की स्थापना	200.00	110.00	55.00
151		2852-80-796-800-0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना 5451- अंशपूंजी सहायता योजना	100.00	82.85	82.85
152		2210-06-796-101-0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना 4244- शीत ज्वर	1,065.20	610.00	57.28
153		2401-796-103-0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना - 8802- वनग्रामों के पट्टाधारी कृषकों को निःशुल्क प्रमाणित बीज एवं उर्वरक वितरण	500.00	357.02	71.40
154		2801-06-796-800-0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना 6501- एकल बत्ती कनेक्शन हेतु अनुदान	4,226.70	3,165.00	74.88
155		4202-01-796-202-1002- अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-1400 छात्रवास तथा आश्रम भवन का निर्माण	100.00	100.00	100.00
156		4202-01-796-202-0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना 1400- छात्रवास तथा आश्रम भवन का निर्माण	5,822.00	2,988.49	51.33
157		4202-02-796-103-0702- केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 717- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं	700.00	694.62	99.23
158		4202-02-796-103-0702 केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7438 स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन	1,500.00	1,023.08	68.21
159		4202-02-796-103-0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना -717 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं	700.00	550.84	78.69
160		4202-02-796-104-0702- केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 2668- पॉलीटेक्निक संस्थाएं	1,100.00	1,100.00	100.00
161		4202-02-796-105-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना - 2667- पॉलीटेक्निक	350.00	279.34	79.81
162		4215-02-796-106-0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना 5699- शालाओं की शौचालय व्यवस्था	150.00	150.00	100.00
163		4700-03-796-800-0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना 2898-बांध एवं संलग्न कार्य	1,100.00	597.44	54.31
164		4701-16-796-800-0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना 3366- मध्यम परियोजनाओं का निर्माण	100.00	100.00	100.00

1	2	3	4	5	6
165	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	4701-17-796-800-0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना 3366- मध्यम परियोजनाओं का निर्माण	100.00	100.00	100.00
166		4701-22-796-800-0102 अनुसूचित जनजाति उपयोजना 3366- मध्यम परियोजनाओं का निर्माण	100.00	100.00	100.00
167		4701-23-796-800-0102 अनुसूचित जनजाति उपयोजना 3366- मध्यम परियोजनाओं का निर्माण	100.00	100.00	100.00
168		4701-24-796-800-0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना 3366- मध्यम परियोजनाओं का निर्माण	110.00	108.99	99.08
169		4702-796-101-0702 केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7405- मरम्मत/जवीनीकरण/पुनरोद्धार	10,000.00	8,982.95	89.83
170		4702-796-102-0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना 7422- औद्योगिक जल आधरभूत विकास	7,000.00	5,167.54	73.82
171		5054-04-796-101-0102 अनुसूचित जनजाति उपयोजना 4871- सड़क पर पूलों का निर्माण प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना	6,000.00	6,000.00	100.00
172		6215-01-796-101-0102 अनुसूचित जनजाति उपयोजना 2182- नगरीय नई जल प्रदाय योजनाएं	700.00	628.40	89.77
173		6401-796-105-0102 अनुसूचित जनजाति उपयोजना 7283- छ.ग. राज्य विपणन संध को उर्वरक व्यवसाय हेतु ऋण	15,200.00	11,900.00	78.29
174		4701-08-796-800-0102 अनुसूचित जनजाति उपयोजना 3366- मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य	300.00	299.10	99.70
175		4701-80-796-800-0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना 1831- डिक्री धन का भुगतान	5.00	5.00	100.00
176		4702-796-800-0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना 1831- डिक्री धन का भुगतान	10.00	10.00	100.00
177	43-खेल एवं युवा कल्याण	2204-103-2323 निर्देशन एवं प्रशासन	586.83	305.66	52.09
178		2204-104-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य) 7304- पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान	2,915.00	2,915.00	100.00
179		2204-104-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 1079- खिलाडियों को प्रशिक्षण	165.00	100.15	60.70
180		2204-104-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 5226- मूलभूत सुविधाओं का विकास स्टेडियम आदि	165.00	144.00	87.27
181		2204-104-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 7296- खेल अकादमी	110.00	108.63	98.75
182		2204-800-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 7473- सैतीसवें राष्ट्रीय खेल	100.00	100.00	100.00
183	44-उच्च शिक्षा	2202-05-102-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 5716 हिन्दी ग्रंथ अकादमी	55.00	50.00	90.90

1	2	3	4	5	6
184	45- लघु सिंचाई निर्माण कार्य	4702-101-0701- राज्य आयोजना (सामान्य) 7405- मरम्मत/पुर्ननवीनीकरण/पुनरोद्धार	2,500.00	1,439.59	57.58
185	45- लघु सिंचाई निर्माण कार्य	4702-101-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 5678- छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास योजना	1,000.00	1,000.00	100.00
186	45- लघु सिंचाई निर्माण कार्य	4702-102-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 9284- नलकूप की स्थापना	1,010.00	841.83	83.35
187	47- तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	2203-105-0701 केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य) 2668 - पॉलीटेक्निक संस्थाएं	150.00	150.00	100.00
188		2203-105-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 2668- पॉलीटेक्निक संस्थाएं	1,256.70	832.93	66.28
189		2203-112-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 7341- आई.आई.आई.टी की स्थापना	100.00	100.00	100.00
190		2203-800-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 8643- मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ब्याज अनुदान योजना	100.00	100.00	100.00
191		2230-03-001-9148 प्रशिक्षण संचालनालय	287.00	161.42	56.24
192		2230-03-003-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 717- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	1,835.90	1,136.57	61.91
193		2230-03-003-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 7438- स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन	400.00	230.00	57.50
194		2230-03-003-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 8935- लाइवलिहुड कॉलेज	500.00	496.97	99.39
195		4202-02-103-0701 केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य) 717- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	1,000.00	864.38	86.44
196		4202-02-104-0701 केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य) 2668- पॉलीटेक्निक संस्थाएं	1,150.00	1,150.00	100.00
197		4202-02-104-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 2668- पॉलीटेक्निक संस्थाएं	500.00	393.50	78.70
198		4202-02-105-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 502- पॉलीटेक्निक संस्थाएं	100.00	50.42	50.42
199	48-तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान	2014-103-7416- तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	1,091.20	960.20	87.99
200		2014-105-7416- तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	196.43	196.40	99.98
201		2203-800-1303 वित्त आयोग की अनुशंसा (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7416 तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	108.00	103.50	95.83
202		2203-800-1301- वित्त आयोग की अनुशंसा (अनुसूचित जाति उपयोजना) 7416- तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	450.00	351.69	78.15

1	2	3	4	5	6
203	48-तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान	3054-04-105-7416- तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	9,600.00	9,600.00	100.00
204		3454-02-800-1303 वित्त आयोग की अनुशंसा (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7416 तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	216.40	216.40	100.00
205		3454-02-800-1302 वित्त आयोग की अनुशंसा (अनुसूचित जाति उपयोजना) 7416- तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	691.60	691.60	100.00
206		3454-02-800-1301 वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य) 7416 - तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	910.00	910.00	100.00
207		4216-01-106-1302 वित्त आयोग की अनुशंसा (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 7416 - तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	2,040.00	2,040.00	100.00
208		4216-01-106-1301 वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य) 7416 - तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	4,210.00	4,210.00	100.00
209		4217-01-051-1301- वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य) 7416 - तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	13,750.00	13,750.00	100.00
210		4235-02-102-1303- वित्त आयोग की अनुशंसा (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) - 7416 - तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	450.00	450.00	100.00
211		4235-02-102-1302 वित्त आयोग की अनुशंसा (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7416 - तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	1,425.00	1,425.00	100.00
212		4235-02-102-1301 वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य) 7416 - तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	1,875.00	1,875.00	100.00
213	50- बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय	2053-800-2987- बीस सूत्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन	207.70	122.62	59.04
214	51-धार्मिक न्यास और धर्मस्व	2250-800-3379 मंदिर आदि को परिपोषण अनुदान	38.50	34.00	88.31
215		2250-800-6292-शासकीय मंदिरों का पुनरोद्धार	100.00	100.00	100.00
216	53-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	6217-60-789-191-0103 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 7241-नगरीय निकायों का अधोसंरचना विकास	2,103.00	2,103.00	100.00
217		6217-60-789-192-0103 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 7241- नगरीय निकायों का अधोसंरचना विकास	1,095.00	1,095.00	100.00

1	2	3	4	5	6
218	53-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	6217-60-789-192-0103- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - 7329- विशिष्ट प्रयोजनार्थ	150.00	150.00	100.00
219		6217-60-789-193-0103- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 7241- नगरीय निकायों का अधोसंरचना विकास	1,002.00	1,002.00	100.00
220	54-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय	2415-01-120-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 9182- इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान	3,800.00	2,461.00	64.76
221	55 महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	2235-02-102-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य) 9949- एकीकृत बाल संरक्षण योजना	1,000.00	777.21	77.72
222		2235-02-103-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 6868- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण	50.00	50.00	100.00
223		2235-02-103-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 8665- मानसिक बीमार महिलाओं के लिए एकीकृत महिला सहायता केन्द्र (पारिजात)	120.00	87.84	73.20
224		2235-02-103-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 8809- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण (नव विवाह)	150.00	138.18	92.12
225		2236-02-101-0701 केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य) 7361- सबला योजना	2,752.50	1,598.43	58.07
226		2236-02-101-0701 केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य) 9050- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना	22,850.00	13,734.09	60.11
227		2236-02-101-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 6904- न्यूट्रिशन सर्विलेंस योजना	100.00	62.79	62.79
228		4235-02-103-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 8680- नारी निकेतन भवन का निर्माण	50.00	50.00	100.00
229	56-ग्रामोद्योग	2851-103-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य) - 6934- एकीकृत हथकरघा विकास योजना	162.00	98.64	60.89
230		2851-104-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 5635- हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षण अनुदान	44.00	44.00	100.00
231		2851-104-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 7470- हस्तशिल्पियों में कार्यशिल पूंजी अनुदान	55.00	55.00	100.00
232		2851-104-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 8554- ग्रामीण हस्तशिल्प डिजाईन विकास संस्थान	50.00	50.00	100.00
233		2851-104-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 9201- प्रदर्शनी, प्रचार एवं प्रसार	132.00	132.00	100.00
234	57-जल संसाधन विकास से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	4701-80-800-1201- विदोशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य) 5678- छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास परियोजना	1,100.00	996.00	90.55
235		4702-101-1202- विदोशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना) 5678- छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास परियोजना	200.00	193.67	96.84

1	2	3	4	5	6
236	57-जल संसाधन विकास से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	4702-101-1201- विदोशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य) 5678- छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास परियोजना	900.00	826.68	91.85
237	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-01-103-7345 पोषण आहार	200.00	200.00	100.00
238		2245-01-104-7346- चारा आपूर्ति	100.00	100.00	100.00
239		2245-01-105-5492- पशु धन का टीकाकरण/ टीकाद्रव्य उपलब्ध कराने हेतु	100.00	100.00	100.00
240		2245-01-282-7347- लोक स्वास्थ्य	200.00	200.00	100.00
241		2245-01-800-1467- जिला एवं अन्य सड़कें	1,600.00	1,600.00	100.00
242		2245-01-800-2389 निर्माण कार्य	800.00	800.00	100.00
243		2245-01-800-3819- लघु सिंचाई (कृषि)	1,500.00	1,500.00	100.00
244		2245-02-101-747- ओला पीड़ितों को सहायता	300.00	176.67	58.89
245		2245-02-104-7346- चारा आपूर्ति	100.00	100.00	100.00
246		2245-02-105-5492- पशु धन का टीकाकरण/ टीकाद्रव्य उपलब्ध कराने हेतु	200.00	200.00	100.00
247		2245-02-107-7349- मरम्मत	300.00	300.00	100.00
248		2245-02-108-7349- मरम्मत	100.00	100.00	100.00
249		2245-02-109-7349- मरम्मत	100.00	100.00	100.00
250		2245-02-110-2018- नगद दान	600.00	554.22	92.37
251		2245-02-112-5607- बाढ़ नियंत्रण	2,600.00	1,818.94	69.96
252		2245-02-112-7357- बाढ़ आदि में सहायता	800.00	696.06	87.00
253		2245-05-101-4849- राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से आपदा राहत निधि में अंतरण	3,000.00	3,000.00	100.00
254	60- जिला परियोजना से संबंधित व्यय	3451-102-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 7282 जिला योजना का सुदृढ़ीकरण	100.00	69.59	69.59
255	64-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	2202-02-789-109-0803 केन्द्र क्षेत्रीय योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना) 8956- प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति	2,475.25	2,475.25	100.00
256		2202-02-789-109-0103- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 6755- कम्प्यूटर शिक्षा योजना	80.00	80.00	100.00
257		2210-06-789-800-0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)-6960- राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना	282.60	200.00	70.77
258		2225-01-789-102-0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 9550- नागरिक अधिकार संरक्षण प्रकोष्ठ अन्तर्गत प्रचार प्रसार एवं प्रशासकीय सुदृढ़ीकरण	60.00	60.00	100.00
259		2230-03-789-003-0103- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना -717- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं	338.90	217.82	64.27
260		2236-02-789-101-0703 केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना) 2179- अनुसूचित जाति के लिए विशेष पोषाहार कार्यक्रम	5,520.00	4,783.04	86.65

1	2	3	4	5	6
261	64-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	2236-02-789-101-0703 केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना) 7361- सबला योजना	550.00	536.13	97.48
262		2401-789-102-0703 केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना) 5411- आइसोपाम विकास योजना	260.00	134.56	51.75
263		2401-789-108-0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना) 4838- मैक्रो मैनेजमेंट वर्किंग प्लान	300.00	269.20	98.73
264		2401-789-110-0103 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - 8702- राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (कार्पस फण्ड)	120.00	67.44	56.20
265		2401-789-119-1003- अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 7242- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	1,680.00	1,338.12	79.65
266		2401-789-119-0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 2794- स्प्रिंकलर सिंचाई हेतु अनुदान	216.00	191.00	88.43
267		2401-789-800-0703 केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना) 2794- स्प्रिंकलर सिंचाई हेतु अनुदान	180.00	145.00	80.56
268		2501-02-789-196-0703 केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना) 7350- एकीकृत वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम	328.83	287.56	87.58
269		2501-04-789-902-0410 ऊर्जा विकास निधि - 3220 -छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास निधि को सहायता अनुदान	271.25	271.25	100.00
270		2801-06-789-101-0103- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 6825- राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हेतु	300.00	165.00	55.00
271		2810-60-789-600-0410- ऊर्जा विकास निधि 3220- छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास एजेन्सी को सहायक अनुदान	200.00	200.00	100.00
272		2851-789-102-0103 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 6857- उद्योगों को ब्याज अनुदान	300.00	192.13	64.03
273		2852-80-789-800-0103- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 5451- अंशपूंजी सहायता योजना	100.00	92.50	92.50
274		2852-80-789-800-0103- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 9068- औद्योगिक इकाइयों को लागत पूंजी अनुदान	100.00	100.00	100.00
275		4202-01-789-202-0703 केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना) 1400- आश्रम एवं छात्रावास भवन का निर्माण	750.00	750.00	100.00
276		4202-02-789-103-0103 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना -717- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं	400.00	363.42	90.86

1	2	3	4	5	6
277	64-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	4215-01-789-102-0103 औद्योगिक - 5403- पाइप द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना	600.00	591.78	98.63
278		4225-01-789-800-0103- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - 5616- गिरोधपुरी एवं भंडारपुरी का समन्वित विकास	250.00	235.00	94.00
279		4225-01-789-800-0103- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 5507- ग्राम गिरौदपुरी में जैतखम्भ का निर्माण	100.00	100.00	100.00
280		4225-01-789-800-0103- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 6985- तेलासी बाड़ा का समन्वित विकास	100.00	100.00	100.00
281		4235-02-789-101-0103- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 71- अंध, मूक और बधिरों के लिए शालाएं	120.00	120.00	100.00
282		4700-02-789-800-0103- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - 2898- बांध तथा संलग्न कार्य	3,500.00	2,005.30	57.29
283		4700-08-789-800-0103 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - 2884- नहर तथा उससे संबंधित कार्य	1,100.00	1,076.50	97.86
284		4702-789-101-0103- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - 3828- लघु सिंचाई योजना	3,000.00	1,564.96	52.17
285		6401-789-105-0103- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - 7283- छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ को उर्वरक व्यवसाय हेतु ऋण	4,800.00	3,600.00	75.00
286	66-पिछड़ा वर्ग कल्याण	2202-02-107-0801- केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य) 7285- अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	224.00	133.84	59.75
287		2202-02-107-0801 केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य) 7286- अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	500.00	272.03	54.41
288		4225-03-277-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 1395- छात्रावास	50.00	50.00	100.00
289	67-लोक निर्माण कार्य-भवन	4202-03-102-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 5226- मूलभूत सुविधाओं का विकास स्टेडियम आदि	1,200.00	1,000.00	83.33
290	68-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन	4202-02-796-104-0102 अनुसूचित जनजाति उपयोजना 8071 पॉलिटेक्निक भवनों का निर्माण	700.00	600.00	85.71
291		4210-01-796-110-0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना 395- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत अस्पताल भवन का निर्माण	812.00	700.00	86.21

1	2	3	4	5	6
292	69-नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण	2217-80-191-1001- अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य) 6741- नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन	20,570.62	11,401.56	55.43
293		2217-80-191-1001- अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य) 6807- एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती	6,600.00	3,608.53	54.67
294	69-नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण	2217-80-191-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य) 8630- राजीव आवास योजना	21,875.00	18,784.23	85.87
295		2217-80-191-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य) 9106- स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना	660.00	341.67	51.77
296		2217-80-192-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य) 9106- स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना	660.00	341.67	51.77
297	71-सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी	3275-800-1001- राज्य आयोजना (सामान्य) 7276- डाटा सेंटर की स्थापना	292.75	250.00	85.40
298		3275-800-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य) 7278- राज्य में केपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम	182.30	182.30	100.00
299		3275-800-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य) 7482- सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस प्रशिक्षण संस्थान	130.60	130.60	100.00
300		3275-800-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 7481- जैव प्रौद्योगिकी हेतु प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास की परियोजना	50.00	50.00	100.00
301		3275-800-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 8726- छत्तीसगढ़ इनफोटेंक प्रमोशन सोसायटी की स्थापना	200.00	120.00	60.00
302	75-जल संसाधन विभाग से संबंधित नार्बाड सहायता प्राप्त परियोजनाएं	4701-01-800-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य) 5188- मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)	100.00	100.00	100.00
303		4701-05-800-0311 नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य) 5188- मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)	800.00	514.76	64.35
304		4702-101-0313- नाबार्ड पोषित योजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना) - 5189- लघु सिंचाई योजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)	100.00	66.75	66.75
305		4702-101-0312- नाबार्ड पोषित योजनाएं (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 5189- लघु सिंचाई योजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)	7,300.00	4,897.62	67.09
306	80-त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2515-198-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य) 7424- राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार योजना	150.00	150.00	100.00

1	2	3	4	5	6
307	81-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-191-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 7329- विशिष्ट प्रयोजनार्थ	1,500.00	1,500.00	100.00
308		2217-05-192-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 7329- विशिष्ट प्रयोजनार्थ	100.00	100.00	100.00
309		2217-05-193-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 7329- विशिष्ट प्रयोजनार्थ	50.00	50.00	100.00
310		6217-60-191-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 7241- नगरीय निकायों का अधोसंरचना विकास	9,362.00	9,362.00	100.00
311		6217-60-191-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 7329- विशिष्ट प्रयोजनार्थ	3,500.00	3,500.00	100.00
312	81-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	6217-60-192-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 7241- नगरीय निकायों का अधोसंरचना विकास	4,563.00	4,563.00	100.00
313		6217-60-192-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 7329- विशिष्ट प्रयोजनार्थ	100.00	100.00	100.00
314		6217-60-193-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 7241 नगरीय निकायों का अधोसंरचना विकास	4,175.00	4,175.00	100.00
315		6217-60-193-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 7329 विशिष्ट प्रयोजनार्थ	50.00	50.00	100.00
316	82-अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2515-796-196-0702- केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना) 8668- राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान	4,283.73	3,997.84	93.33
317		2515-796-198-0702 केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना) 7424- राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार योजना	50.00	50.00	100.00
318	83- अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	6217-60-796-191-0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना 7241- नगरीय निकायों का अधोसंरचना विकास	6,660.00	6,660.00	100.00
319		6217-60-796-192-0102 अनुसूचित जनजाति उपयोजना 7241- नगरीय निकायों का अधोसंरचना विकास	3,467.00	3,467.00	100.00
320		6217-60-796-193-0102 अनुसूचित जनजाति उपयोजना 7241- नगरीय निकायों का अधोसंरचना विकास	3,173.00	3,173.00	100.00
		योग	**5,48,549.60**	**4,22,131.96**	

परिशिष्ट-2.5

(संदर्भः कंडिका-2.4.5; पृष्ठ-53)

(वास्तविक बचत से अधिक समर्पण)

(प्रकरण जिसमें समर्पित राशि ₹ 50 लाख अथवा अधिक है)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान संख्या.	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल प्रावधान	बचत	समर्पण	अधिक समर्पित राशि
अ-राजस्व दत्तमत						
1	02	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	20.36	3.28	4.49	1.21
2	03	पुलिस	2,199.93	133.44	144.86	11.42
3	07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	160.62	14.57	24.93	10.36
4	11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	111.00	26.12	28.42	2.30
5	13	कृषि	725.57	173.70	175.98	2.28
6	15	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनांतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	232.67	56.43	61.20	4.77
7	16	मछली पालन	40.36	4.18	6.01	1.83
8	23	जल संसाधन विभाग	344.10	10.03	22.77	12.73
9	30	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	778.20	211.47	265.41	53.94
10	33	आदिम जाति कल्याण	1,261.08	8.73	55.10	46.37
11	34	समाज कल्याण	61.34	12.78	13.37	0.59
12	49	अनुसूचित जाति कल्याण	59.59	3.93	6.41	2.48
13	55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	651.79	115.87	248.10	132.23
14	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	602.88	204.78	235.57	30.79
15	82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	1,635.76	314.77	377.51	62.74
योग-अ			**8,885.25**	**1,294.08**	**1,670.13**	**376.04**
ब-पूंजीगत दत्तमत						
16	23	जल संसाधन विभाग	420.86	94.00	99.46	5.46
17	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	630.20	125.02	125.94	0.92
योग- ब			**1,051.06**	**219.02**	**225.40**	**6.38**
महायोग (अ+ब)			**9,936.31**	**1,513.10**	**1,895.53**	**382.42**

परिशिष्ट-2.6

(संदर्भः कंडिका-2.4.6; पृष्ठ-53)

(वास्तविक बचत से अधिक समर्पण)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगो का विवरण जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक) अपर्याप्त सिद्ध हुआ

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचत
अ-राजस्व दत्तमत			
1	14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	70.54
2	19	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	89.30
3	24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	128.26
4	26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	3.23
5	27	स्कूल शिक्षा	720.41
6	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	70.29
7	36	परिवहन	16.90
8	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	84.63
		योग-अ	**1,183.56**
ब-पूंजीगत दत्तमत			
9	19	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	9.23
10	24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	16.37
11	27	स्कूल शिक्षा	3.86
12	42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	185.03
13	68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन	67.02
14	76	लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	299.08
15	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	27.81
		कुल योग-ब	**608.40**
स- राजस्व भारित			
16	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	12.03
		योग-स	**12.03**
द-पूंजीगत भारित			
17	42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	1.42
		योग द	**1.42**
		महायोग (अ + ब + स + द)	**1,805.41**

परिशिष्ट-2.7

(संदर्भः कंडिका-2.4.6; पृष्ठ-53)

₹ एक करोड़ एवं अधिक के बचत जो समर्पित नही किया गए

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचत	समर्पण	बचत जिसका समर्पण नही किया गया
1	2	3	4	5	6
अ-राजस्व दत्तमत					
1	01	सामान्य प्रशासन	27.98	21.13	6.85
2	04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	4.38	2.70	1.68
3	08	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	126.00	121.42	4.58
4	09	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	3.14	0.99	2.15
5	10	वन	73.09	68.99	4.1
6	18	श्रम	33.64	29.11	4.53
7	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	54.68	50.24	4.44
8	28	राज्य विधान मंडल	11.63	0.13	11.5
9	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से सम्बंधित व्यय	215.60	170.07	45.53
10	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	1,072.97	795.90	277.07
11	48	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान	142.55	132.04	10.51
12	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक	398.96	243.26	155.7
13	66	पिछडा वर्ग कल्याण	14.57	11.91	2.66
14	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	16.19	0.15	16.04
15	71	सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी	11.99	7.99	4.00
16	80	त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	487.28	315.03	172.25
17	81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	87.43	68.44	18.99
कुल योग- अ			**2,782.08**	**2,039.50**	**742.58**
ब-पूंजीगत दत्तमत					
18	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	44.72	27.60	17.12
19	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग सें संबंधित व्यय	229.56	216.09	13.47
20	30	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	20.62	19.46	1.16
21	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से सम्बंधित व्यय	48.33	17.68	30.65
22	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	626.73	534.67	92.06
23	48	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान	301.01	250.68	50.33
24	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक	296.27	215.89	80.38
25	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	124.31	0.08	124.23
कुल योग-ब			**1,691.55**	**1,282.15**	**409.40**
स- राजस्व भारित					
26	03	पुलिस	5.27	0.06	5.21
योग-स			**5.27**	**0.06**	**5.21**
महायोग (अ + ब + स)			**4,478.90**	**3,321.71**	**1,157.19**

परिशिष्ट-2.8

(संदर्भः कंडिका-2.4.6; पृष्ठ-53)

31 मार्च 2014 की स्थिति में ₹ 10 करोड से अधिक के निधियों के समर्पण के प्रकरण

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल प्रावधान	*समर्पण*	कुल प्रावधान का प्रतिशत
अ-राजस्व दत्तमत					
1	01	सामान्य प्रशासन	127.81	21.13	16.53
2	03	पुलिस	2,199.93	144.86	6.58
3	05	जेल	92.94	16.54	17.80
4	06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	2,637.09	52.26	1.98
5	07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	160.62	24.93	15.52
6	08	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	567.48	121.42	21.40
7	10	वन	732.56	68.99	9.42
8	11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	111.00	28.42	25.60
9	12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	388.95	15.81	4.06
10	13	कृषि	725.57	175.98	24.25
11	15	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनांतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	232.67	61.20	26.30
12	17	सहकारिता	171.04	31.88	18.64
13	18	श्रम	98.12	29.11	29.67
14	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	323.72	50.24	15.52
15	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	96.34	43.04	44.67
16	23	जल संसाधन विभाग	344.09	22.77	6.62
17	30	पंचायत तथा ग्रामीण विभाग से संबंधित व्यय	778.20	265.41	34.11
18	31	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय	47.91	15.95	33.29
19	33	आदिम जाति कल्याण	1,261.08	55.10	4.37
20	34	समाज कल्याण	61.34	13.37	21.80
21	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	3,571.23	170.07	4.76
22	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	4,702.43	795.90	16.93
23	43	खेल एवं युवा कल्याण	60.02	40.55	67.56
24	44	उच्च शिक्षा	530.65	140.43	26.46
25	47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	187.14	60.24	32.19
26	48	तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला अनुदान	462.53	132.04	28.55
27	54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय	102.00	24.61	24.13
28	55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	651.79	248.10	38.06
29	57	जल संसाधन विभाग सें संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	23.00	20.18	87.74
30	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	602.88	235.57	39.07
31	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	1,478.54	243.26	16.45
32	66	पिछडा वर्ग कल्याण	168.98	11.91	7.03
33	69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नगरीय कल्याण	541.88	347.11	64.06
34	80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	3,029.70	315.03	10.40
35	81	नगरीय निकाय को वित्तीय सहायता	1,529.22	68.44	4.48
36	82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	1,635.76	377.51	23.08
कुल योग- अ			**30,436.19**	**4,489.36**	

ब-पूंजीगत दत्तमत					
37	03	पुलिस	46.25	11.17	24.15
38	10	वन	20.00	10.29	51.45
39	11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	42.80	35.47	82.87
40	13	कृषि	210.20	125.00	59.47
41	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	51.15	27.60	53.96
42	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	282.80	216.09	76.41
43	23	जल संसाधन विभाग	420.86	99.46	23.63
44	30	पंचायत तथा ग्रामीण विभाग से संबंधित व्यय	390.45	19.46	4.98
45	37	पर्यटन	30.60	26.20	85.62
46	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	637.25	17.68	2.77
47	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2,021.34	534.67	26.45
48	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	630.20	125.94	19.98
49	47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	41.50	36.96	89.06
50	48	तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला अनुदान	368.81	250.68	67.97
51	53	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	43.50	43.50	100.00
52	55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	83.18	18.05	21.70
53	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	967.19	215.89	22.32
54	66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	10.93	10.19	93.23
55	75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नार्बाड सहायता प्राप्त परियोजनाएं	150.20	88.84	59.15
56	81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	217.50	217.50	100.00
योग- ब			**6,666.71**	**2,130.64**	
स राजस्व भारित					
57		ब्याज की अदायगी	1,536.73	81.36	5.29
कुल योग- स			**1,536.73**	**81.36**	
द पूंजीगत भारित					
58		लोक ऋण	933.14	243.49	26.09
कुल योग- द			**933.14**	**243.49**	
महायोग (अ + ब + स + द)			**39,572.77**	**6,944.85**	

परिशिष्ट-2.9

(संदर्भः कंडिका-2.4.10; पृष्ठ-56)

विगत वर्षो के बजट प्रावधान से अधिक व्यय का नियमितीकरण वांछित

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदानों/विनियोगो का संख्या	अनुदान/विनियोग संस्थाएं	अतिवेग
2000-01	11 अनुदान	2, 14, 23, 24, 33, 34, 60, 71, 80, 82 तथा 83	10.21
	2 विनियोग	6 तथा 24	
2001-02	14 अनुदान	6, 14, 15,17, 23, 24, 30, 33, 45, 54, 60, 67, 71 तथा 83	115.90
	2 विनियोग	16 तथा 25	
2002-03	8 अनुदान	10, 15, 24, 33, 37, 45, 58 तथा 82	114.59
	2 विनियोग	20 तथा 67	
2003-04	4 अनुदान	12, 33, 40 तथा 67	591.12
	2 विनियोग	ब्याज भुगतान तथा 6	
2004-05	4 अनुदान	15, 24, 67 तथा 81	133.36
	5 विनियोग	ब्याज भुगतान, लोक ऋण ,6, 10 तथा 42	
2005-06	4 अनुदान	4, 15, 24 तथा 39	23.27
	2 विनियोग	6 तथा 23	
2006-07	4 अनुदान	4, 24, 67 तथा 82	5.13
	1 विनियोग	33	
2007-08	3 अनुदान	23, 33 तथा 60	15.99
	3 विनियोग	13, 24 तथा 36	
2008-09	9 अनुदान	24,40,67,80,6, 23, 75, 76 तथा 82	115.26
	1 विनियोग	23	
2009-10	10 अनुदान	3,6,22,23,24,25,49,64,76 तथा 80	216.77
	5 विनियोग	3,12,13,43 तथा 67	
2010-11	22 अनुदान	1,2,6,7,8,9,12,18,23,25,29,30,39,40,45,49,56,57,58,75,82 तथा ब्याज भुगतान	293.78
	6 विनियोग	1,20,23,29,36 तथा लोक ऋण	
2011-12	24 अनुदान	1,2,6,7,15,17,18,21,22,23,27,29,34,40,43,45,47, 50,53,55,66,80,81,83,	498.09
	1 विनियोग	29	
2012-13	2 अनुदान	40, 45	0.96
	2 विनियोग	6, 55	
कुल योग-			**2,134.43**

परिशिष्ट-2.10

(संदर्भः कंडिका-2.4.11; पृष्ठ-57)

व्यय का अतिवेग

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	मुख्य शीर्ष	वर्ष के दौरान कुल व्यय	जनवरी-मार्च 2014 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2014 में किया गया व्यय	निम्नांकित का कुल व्यय से प्रतिशत	
					जनवरी से मार्च 2014	मार्च 2014
1	2	3	4	5	6	7
1	2015	85.71	50.27	32.63	58.65	38.07
2	2029	275.76	172.26	149.12	62.47	54.07
3	2030	130.61	111.29	5.84	85.21	4.47
4	2045	122.65	118.30	117.57	96.45	95.87
5	2048	100.00	50.00	50.00	50.00	50.00
6	2205	23.69	13.18	6.96	55.64	29.38
7	2217	819.70	568.73	551.13	69.38	67.24
8	2245	397.58	281.68	238.83	70.85	60.07
9	2250	05.31	04.83	00.34	90.77	6.40
10	2415	83.95	48.25	24.50	57.47	29.18
11	2501	48.26	28.42	22.50	58.89	46.62
12	2801	621.10	359.80	259.80	57.93	41.83
13	2810	20.96	20.96	20.96	100.00	100.00
14	2852	45.95	29.07	20.89	63.26	45.46
15	2853	285.42	228.52	117.50	80.06	41.17
16	2885	00.30	00.30	00.30	100.00	100.00
17	3275	46.01	38.22	08.80	83.07	19.13
18	3452	40.02	20.30	20.06	50.72	50.12
19	3454	34.22	22.29	18.32	65.13	53.54
20	4059	140.88	75.21	38.21	53.39	27.12
21	4202	253.34	145.04	98.26	57.25	38.79
22	4210	126.99	66.26	36.82	52.18	28.99
23	4215	03.97	02.77	01.72	69.95	43.43
24	4216	26.94	20.29	13.13	75.32	48.74
25	4217	66.71	46.62	38.19	69.89	57.25
26	4225	81.73	46.84	29.72	57.31	36.36
27	4235	106.27	105.10	104.46	98.90	98.30
28	4402	21.06	13.02	05.81	61.82	27.59
29	4403	05.98	05.80	04.69	96.99	78.43
30	4406	34.44	25.89	12.99	75.17	37.72
31	4515	90.71	48.08	31.86	53.00	35.12
32	4700	339.16	170.50	93.33	50.27	27.52
33	4705	81.75	44.12	18.05	53.97	22.08
34	4711	09.15	05.95	02.79	65.03	30.49
35	4851	08.11	04.22	03.99	52.03	49.20
36	6425	36.00	36.00	36.00	100.00	100.00
कुल योग-		**4,620.39**	**3,028.38**	**2,236.07**		

परिशिष्ट-2.11

(संदर्भः कंडिका-2.6.7; पृष्ठ-61)

अनुदान 03 एवं 30 में अंतिम तिमाही में व्यय का तीव्र प्रवाह

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	लेखाओं के शीर्ष	वर्ष के दौरान कुल व्यय	अंतिम तिमाही तक कुल व्यय	अंतिम तिमाही में कुल व्यय	
				राशि	कुल व्यय का प्रतिशत
1	03-2055-2643-पुलिस बल का आधुनिकीकरण	35.03	1.66	33.37	95
2	03-2055-7506-नक्सल क्षेत्र में नवीन थाना चौकी निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण	25.00	0	25.00	100
3	03-2055-7307-विशेष अधोसंरचना विकास योजना	29.17	3.99	25.18	86
4	03-2055-अनुरक्षण कार्य	8.88	3.65	5.23	59
5	03-2055-सामग्री एवं पुर्तियां	97.16	48.28	48.88	50
6	03-2055- मशीन और उपकरण	7.35	1.94	5.41	74
7	03-2055-सड़क सुरक्षा निधि	2.92	0.66	2.26	77
8	03-4055-97-निर्माण कार्य	35.07	4.08	30.99	88
9	30-2501-06-196-8775-प्रशासनिक योजना-जिला स्तर	1.94	0.50	1.43	74
10	30-2515-001-3926-विकास आयुक्त	0.30	0.00	0.30	100
11	30-2515-003-5063-छत्तीसगढ़ विकास संस्थान	0.33	0.00	0.33	100
12	30-2235-60-196-7291-आम आदमी बीमा योजना	0.50	0.00	0.50	100
13	30-2501-02-196-7350-एकीकृत वाटर रोड प्रबंधन कार्यक्रम	1.72	0.00	1.72	100
14	30-2501-06-102-7490-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	2.20	0.00	2.20	100
15	30-3054-04-105-4855-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	122.50	0.00	122.50	100
16	30-4515-101-3064-भवन निर्माण	0.18	0.00	0.18	100
17	30-5054-04-337-4855-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	22.00	0.00	22.00	100
कुल योग-		**392.25**	**64.76**	**327.48**	

परिशिष्ट-2.12

(संदर्भः कंडिका-2.6.8; पृष्ठ-62)

अनुदान 30 के विभागीय आंकड़ों का अंकमिलान न किया जाना

(₹ राशि में)

सं. क्र.	लेखाओं के शीर्ष	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) के अनुसार व्यय	विभाग के अनुसार व्यय	अंतर अधिक (+)/ कमी (-)
1	2515-0701-101-2467	83,03,262	78,67,530	-4,35,732
2	2515-0701-101-2468	96,90,595	97,15,917	25,322
3	2515-0701-101-2474	60,13,27,912	5,55,12,971	-54,58,14,941
4	2515-0701-101-5575	4,40,927	4,10,001	-30,926
5	2515-102-0101-7019	33,077	33,683	606
6	2515-00-00-3926	62,20,598	80,75,000	18,54,402
7	2515-00-001-3926	30,00,000	31,00,000	1,00,000
8	2515-00-001-1033	17,47,90,688	19,51,25,000	2,03,34,312
9	2515-00-001-1167	18,39,860	22,55,000	4,15,140
10	2515-00-102-1208	10,48,54,876	7,92,05,000	-2,56,49,876
11	2216-03-196-6549	85,68,07,800	83,15,38,300	-2,52,69,500
12	2505-60-101-6728	1,12,80,015	2,26,98,000	1,14,17,985
13	2505-60-196-6728	1,55,07,81,000	1,55,10,00,000	2,19,000
14	2515-00-001-3926	2,21,34,071	1,90,20,000	-31,14,071
15	2515-00-001-3928	निरंक	1,00,000	1,00,000
16	2515-00-001-1033	28,34,26,231	25,78,61,000	-2,55,65,231
17	2515-00-003-5063	2,08,05,844	2,12,45,000	4,39,156
18	2515-00-800-1208	23,38,29,037	29,02,10,000	5,63,80,963
19	2515-00-800-1208	निरंक	1,00,000	1,00,000
20	2515-00-800-4855	33,78,47,846	33,41,60,000	-36,87,846
21	5054-04-337-7475	1,80,92,81,022	1,74,98,97,500	-5,93,83,522
22	5054-04-337-8650	1,66,90,52,017	1,74,00,06,000	7,09,53,983
कुल योग-		**7,70,57,46,678**	**7,17,91,35,902**	**-52,66,10,776**

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भः कंडिका-3.1; पृष्ठ-65)

31 मार्च 2014 की स्थिति मे लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र

(₹ लाख में)

स. क्र.	विभाग		अनुदान भुगतान का वर्ष	कुल अनुदान भुगतान		उपयोगिता प्रमाण पत्र			
						प्राप्त		अप्राप्त	
	मुख्य शीर्ष	नाम		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2011	राज्य मंत्रिमण्डल	2007-08	29	129.84	0	0.00	29	129.84
			2008-09	18	173.16	0	0.00	18	173.16
			2009-10	19	103.93	1	0.11	18	103.82
			2010-11	35	129.16	0	0.00	35	129.16
			2011-12	38	154.78	0	0.00	38	154.78
			2012-13	9	48.88	0	0.00	9	48.88
योग				**148**	**739.75**	**1**	**0.11**	**147**	**739.64**
2	2013	मंत्रि-परिषद	2007-08	322	1,699.97	317	1,695.48	5	4.49
			2008-09	207	1,379.47	207	1,379.47	0	0.00
			2009-10	303	1,168.56	302	1,168.23	1	0.33
			2010-11	348	1,319.13	347	1,318.13	1	1.00
			2011-12	224	754.13	196	603.98	28	150.15
			2012-13	25	93.36	0	0.00	25	93.36
योग				**1429**	**6,414.62**	**1369**	**6,165.29**	**60**	**249.33**
3	2014	न्याय प्रशासन	2007-08	10	224.40	0	0.00	10	224.40
			2008-09	7	247.95	0	0.00	7	247.95
			2009-10	2	200.00	2	200.00	0	0.00
			2010-11	2	200.00	2	200.00	0	0.00
			2011-12	2	200.00	0	0.00	2	200.00
योग				**23**	**1,072.35**	**4**	**400.00**	**19**	**672.35**
4	2052	सचिवालय- सामान्य सेवाएं	2011-12	2	75.00	0	0.00	2	75.00
			2012-13	3	125.00	0	0.00	3	125.00
योग				**5**	**200.00**	**0**	**0.00**	**5**	**200.00**
5	2055	पुलिस	2007-08	5	191.00	5	191.00	0	0.00
			2008-09	2	175.00	2	175.00	0	0.00
			2009-10	4	109.00	4	109.00	0	0.00
			2010-11	1	65.00	1	65.00	0	0.00
			2011-12	2	278.00	0	0.00	2	278.00
योग				**14**	**818.00**	**12**	**540.00**	**2**	**278.00**
6	2202	सामान्य शिक्षा	2007-08	1993	39,720.56	1990	39,718.61	3	1.95
			2008-09	3516	43,153.76	3472	42,945.17	44	208.59
			2009-10	2561	54,960.96	2554	54,801.36	7	159.60
			2010-11	3034	84,452.99	3027	84,342.66	7	110.33
			2011-12	3014	1,10,196.23	3010	1,09,957.32	4	238.91
			2012-13	1033	54,472.27	69	1,179.35	964	53,292.92
योग				**15151**	**3,86,956.77**	**14,122**	**3,32,944.47**	**1029**	**54,012.30**
7	2203	तकनीकी शिक्षा	2007-08	6	169.00	6	169.00	0	0.00
			2008-09	4	250.48	4	250.48	0	0.00
			2009-10	3	120.00	3	120.00	0	0.00
			2010-11	2	120.00	2	120.00	0	0.00
			2011-12	2	120.00	0	0.00	2	120.00
योग				**17**	**779.48**	**15**	**659.48**	**2**	**120.00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	2204	खेलकूद तथा युवा सेवाएं	2007-08	135	84.72	110	65.25	25	19.48
			2008-09	128	132.45	105	63.69	23	68.76
			2009-10	146	126.31	124	84.76	22	41.55
			2010-11	139	345.15	106	130.09	33	215.06
			2011-12	116	177.69	102	143.98	14	33.71
			2012-13	19	81.29	5	2.74	14	78.54
योग				**683**	**947.61**	**552**	**490.51**	**131**	**457.10**
9	2205	कला एवं संस्कृति	2007-08	69	53.77	3	0.95	66	52.82
			2008-09	93	86.43	2	1.70	91	84.72
			2009-10	66	64.86	1	0.90	65	63.96
			2010-11	111	65.24	0	0.00	111	65.24
			2011-12	114	96.88	0	0.00	114	96.88
			2012-13	25	36.74	0	0.00	25	36.75
योग				**478**	**403.92**	**6**	**3.55**	**472**	**400.37**
10	2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	2007-08	111	1,702.93	84	1,685.82	27	17.11
			2008-09	117	4,427.29	75	4,183.43	42	243.86
			2009-10	134	9,366.43	89	9,187.87	45	178.56
			2010-11	116	7,029.62	68	4814.26	48	2,215.36
			2011-12	136	15,369.22	72	10,169.93	64	5,199.30
			2012-13	53	8,224.80	1	7,383.53	52	841.26
योग				**667**	**46,120.29**	**389**	**37,424.84**	**278**	**8,695.45**
11	2215	जलापूर्ति तथा सफाई	2007-08	109	5,681.41	2	420.00	107	5261.41
			2008-09	109	7,335.45	109	7,335.45	0	0.00
			2009-10	131	6,081.54	2	340.00	129	5,741.54
			2010-11	60	4,910.20	7	9.11	53	4,901.09
			2011-12	60	5,843.70	2	125.00	58	5,718.70
			2012-13	31	2,994.80	0	0.00	31	2994.80
योग				**500**	**32,847.10**	**122**	**8,229.56**	**378**	**24,617.54**
12	2216	आवास	2007-08	45	478.79	9	163.15	36	315.64
			2008-09	47	1,938.56	11	1,440.09	36	498.47
			2009-10	50	2,357.53	20	1,235.58	30	1,121.95
			2010-11	39	844.97	11	374.19	28	470.78
			2011-12	73	2,448.04	10	533.35	63	1,914.69
			2012-13	31	637.36	0	0.00	31	637.36
योग				**285**	**8,705.25**	**61**	**3,746.36**	**224**	**4,958.89**
13	2217	शहरी विकास	2007-08	66	19,142.50	63	17,784.04	3	1,358.46
			2008-09	107	22,562.21	106	21,682.21	1	880.00
			2009-10	63	35,465.65	61	32,825.65	2	2,640.00
			2010-11	139	30,136.95	0	0.00	139	30,136.95
			2011-12	116	40,336.77	0	0.00	116	40,336.77
			2012-13	52	10,277.81	0	0.00	52	10,277.81
योग				**543**	**1,57,921.89**	**230**	**72,291.9**	**313**	**85,629.99**
14	2220	सूचना तथा प्रचार	2007-08	5	6.47	0	0.00	5	6.47
			2008-09	12	10.05	0	0.00	12	10.05
			2009-10	7	12.80	0	0.00	7	12.80
			2010-11	14	25.88	1	13.00	13	12.88
			2011-12	12	14.22	0	0.00	12	14.22
			2012-13	3	3.85	0	0.00	3	3.85
योग				**53**	**73.27**	**1**	**13.00**	**52**	**60.27**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	2225	अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजतियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण	2007-08	269	3,829.56	135	394.49	134	3,435.07
			2008-09	228	4,466.95	99	402.48	129	4,064.47
			2009-10	241	3,492.08	121	730.70	120	2,761.38
			2010-11	212	3,255.30	38	277.24	174	2,978.06
			2011-12	359	5,087.83	57	535.31	302	4,552.52
			2012-13	34	1,227.58	0	0.00	34	1,227.58
योग				**1,343**	**21,359.30**	**450**	**2,340.22**	**893**	**19,019.08**
16	2230	श्रम एवं रोजगार	2010-11	1	45.00	0	0.00	1	45.00
			2011-12	10	315.01	8	255.10	2	59.91
योग				**11**	**360.01**	**8**	**255.10**	**03**	**104.91**
17	2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	2007-08	455	3,357.49	62	588.97	393	2,768.52
			2008-09	480	16,443.60	8	249.63	472	16,193.97
			2009-10	521	4,808.51	13	62.33	508	4,746.18
			2010-11	868	6,843.96	2	9.84	866	6,834.12
			2011-12	1216	6,515.63	0	0.00	1216	6,515.63
			2012-13	532	3,274.25	0	0.00	532	3,274.25
योग				**4,072**	**41,243.44**	**85**	**910.77**	**3,987**	**40,332.67**
18	2245	प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	2007-08	22	9.21	19	8.07	3	1.14
			2009-10	13	9.92	13	9.92	0	0.00
			2010-11	6	8.05	6	8.05	0	0.00
			2012-13	01	1.00	0	0.00	01	1.00
योग				**42**	**28.18**	**38**	**26.04**	**04**	**2.14**
19	2250	अन्य सामाजिक सेवाएं	2007-08	1	5.25	0	0.00	1	5.25
			2009-10	4	264.75	0	0.00	4	264.75
			2010-11	5	276.00	0	0.00	5	276.00
			2011-12	6	370.75	0	0.00	6	370.75
योग				**16**	**916.75**	**0**	**0.00**	**16**	**916.75**
20	2401	फसल कृषि-कर्म	2007-08	94	2,374.60	15	0.87	79	2373.73
			2008-09	178	6,381.09	26	1,069.98	152	5,311.11
			2009-10	236	4,644.08	55	992.60	181	3,651.48
			2010-11	383	15,318.99	10	7.04	373	15,311.95
			2011-12	582	12,143.59	53	220.59	529	11,923.00
			2012-13	159	7,916.36	6	116.70	153	7,799.66
योग				**1632**	**48,778.71**	**165**	**2,407.78**	**1467**	**46,370.93**
21	2403	पशु-पालन	2007-08	155	1,862.60	60	764.42	95	1,098.19
			2008-09	165	1,679.14	98	829.65	67	849.49
			2009-10	146	3,781.64	47	91.86	99	3,689.78
			2010-11	182	5,090.72	25	47.02	157	5,043.70
			2011-12	203	3,019.24	32	832.83	171	2,186.41
			2012-13	48	1,794.39	1	5.20	47	1,789.19
योग				**899**	**17,227.73**	**263**	**2,570.98**	**636**	**14,656.76**
22	2405	मछली पालन	2007-08	172	179.74	1	0.03	171	179.71
			2008-09	167	310.94	27	37.18	140	273.76
			2009-10	126	241.27	4	0.47	122	240.80
			2010-11	164	484.18	50	59.49	114	424.69
			2011-12	144	472.07	17	15.44	127	456.63
			2012-13	31	108.54	0	0.00	31	108.54
योग				**804**	**1,796.74**	**99**	**112.61**	**705**	**1,684.13**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	2406	वानिकी एवं वन्य जीव	2010-11	1	87.00	0	0.00	1	87.00
योग				**1**	**87.00**	**0**	**0.00**	**1**	**87.00**
24	2408	खाद्य, भंडारण तथा भंडागार	2007-08	8	2,021.01	8	2,021.01	0	0.00
			2008-09	18	2,035.59	17	2,032.59	1	3.00
			2009-10	22	59,941.16	22	59,941.16	0	0.00
			2010-11	31	28,265.92	31	28,265.92	0	0.00
			2011-12	23	2,710.10	0	0.00	23	2,710.10
			2012-13	2	32,644.55	0	0.00	2	32,644.55
योग				**104**	**1,27,618.33**	**78**	**92,260.68**	**26**	**35,357.65**
25	2415	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	2007-08	8	1,861.25	7	1,823.75	1	37.50
			2008-09	8	2,427.55	8	2,427.55	0	0.00
			2009-10	7	2,775.00	7	2,775.00	0	0.00
			2010-11	13	5,182.50	0	0.00	13	5,182.50
			2011-12	11	6,185.00	11	6,185	0	0.00
			2012-13	3	1,937.50	0	0	3	1,937.50
योग				**50**	**20,368.8**	**33**	**13,211.3**	**17**	**7,157.5**
26	2425	सहकारिता	2007-08	6	55.20	6	55.2	0	0.00
			2008-09	5	34.96	4	32.46	1	2.50
			2010-11	13	303.45	2	14.50	11	288.95
			2011-12	11	941.04	0	0.00	11	941.04
			2012-13	3	1,522.50	0	0.00	3	1,522.50
योग				**38**	**2,857.15**	**12**	**102.16**	**26**	**2,754.99**
27	2435	अन्य कृषि कार्यक्रम	2007-08	4	1,137.80	0	0.00	4	1,137.80
योग				**4**	**1,137.80**	**0**	**0**.00	**4**	**1,137.80**
28	2501	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2007-08	122	1,228.50	68	742.71	54	485.79
			2008-09	164	1,663.94	85	1,172.49	79	491.45
			2009-10	164	1,246.23	87	933.24	77	312.99
			2010-11	112	1,537.95	52	440.65	60	1,097.30
			2011-12	120	3,181.51	31	425.53	89	2,755.98
			2012-13	36	216.32	0	0.00	36	216.32
योग				**718**	**9,074.45**	**323**	**3,714.62**	**395**	**5,359.83**
29	2505	ग्रामीण रोजगार	2007-08	64	4,046.30	44	2,496.45	20	1,549.85
			2008-09	78	4,716.99	54	3,261.34	24	1,455.65
			2009-10	36	2,272.68	30	1,951.34	6	321.34
			2010-11	45	5,343.10	15	1,910.20	30	3,432.90
			2011-12	43	4,740.43	9	453.78	34	4,286.65
			2012-13	65	5,119.08	0	0.00	65	5,119.08
योग				**331**	**26,238.58**	**152**	**10,073.11**	**179**	**16,165.47**
30	2515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2007-08	195	20,361.85	60	9,731.27	135	10,630.58
			2008-09	179	19,119.64	35	8,167.62	144	10,952.02
			2009-10	195	18,935.47	33	7,627.37	162	11,308.10
			2010-11	243	17,519.40	24	4,992.86	219	12,526.54
			2011-12	424	30,683.75	51	6,656.57	373	24,027.18
			2012-13	247	13,865.66	05	420.45	242	13,445.21
योग				**1483**	**1,20,485.77**	**208**	**37,596.14**	**1275**	**82,889.63**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	2702	लघु सिंचाई	2007-08	220	510.28	163	320.99	57	189.29
			2008-09	320	782.37	256	492.85	64	289.52
			2009-10	268	831.65	194	520.28	74	311.37
			2010-11	245	847.55	161	611.58	84	235.97
			2011-12	275	1,060.48	20	94.26	255	966.22
			2012-13	114	707.75	0	0.00	114	707.75
योग				**1442**	**4,740.08**	**794**	**2,039.96**	**648**	**2,700.12**
32	2801	बिजली	2007-08	20	4,601.95	9	1,972.48	11	2,629.47
			2008-09	34	5,197.52	0	0.00	34	5,197.52
			2009-10	22	4,760.25	0	0.00	22	4,760.25
			2010-11	10	8,009.00	2	80.00	8	7,929.00
			2011-12	5	10,000.00	0	0.00	5	10,000.00
			2012-13	3	6,372.50	0	0.00	3	6,372.50
योग				**94**	**38,941.22**	**11**	**2,052.48**	**83**	**36,888.74**
33	2810	नवीन एवं अक्षय उर्जा स्त्रोत	2007-08	13	3,910.00	11	3,160.00	2	750.00
			2008-09	14	2,918.00	13	2,418.00	1	500.00
			2009-10	13	2,475.00	9	1,848.50	4	626.50
			2010-11	15	3,578.00	0	0.00	15	3,578.00
			2011-12	15	3,565.00	0	0.00	15	3,565.00
योग				**70**	**16,446.00**	**33**	**7,426.50**	**37**	**9,019.5**
34	2851	ग्राम तथा लघु उद्योग	2007-08	112	1,335.17	32	696.79	80	638.38
			2008-09	95	1,387.52	33	710.30	62	677.22
			2009-10	97	1,841.70	20	1,005.61	77	836.09
			2010-11	59	1,720.60	2	5.80	57	1,714.80
			2011-12	54	2,697.23	0	0.00	54	2,697.23
योग				**417**	**8,982.22**	**87**	**2,418.50**	**330**	**6,563.72**
35	2852	उद्योग	2007-08	2	41.00	0	0.00	2	41.00
			2008-09	5	136.39	4	32.39	1	104.00
			2009-10	11	359.88	0	0.00	11	359.88
			2010-11	6	399.51	1	25.00	5	374.51
			2011-12	9	906.71	3	65.17	6	841.54
			2012-13	5	248.31	0	0.00	5	248.31
योग				**38**	**2,091.80**	**8**	**122.56**	**30**	**1,969.24**
36	2853	अलौह खनन तथा धातुकार्य उद्योग	2007-08	7	732.57	4	264.54	3	468.03
			2008-09	1	118.89	1	118.89	0	0.00
		योग		**8**	**851.46**	**5**	**383.43**	**3**	**468.03**
37	2885	उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय	2007-08	1	25.00	0	0.00	1	25.00
			2008-09	1	25.00	0	0.00	1	25.00
			2010-11	1	30.00	0	0.00	1	30.00
			2011-12	1	30.00	0	0.00	1	30.00
योग				**4**	**110.00**	**0**	**0**.00	**4**	**110.00**
38	3054	सड़क तथा सेतु	2007-08	2	500.00	0	0.00	2	500.00
			2008-09	2	2,497.00	0	0.00	2	2,497.00
			2009-10	1	2,500.00	0	0.00	1	2,500.00
			2010-11	2	6,300.00	0	0.00	2	6,300.00
			2011-12	3	1,00,00.00	0	0.00	3	10000.00
योग				**10**	**21,797.00**	**0**	**0.00**	**10**	**21,797.00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	3275	अन्य संचार सेवाएं	2007-08	5	1,326.00	0	0.00	5	1,326.00
			2008-09	8	1,394.00	0	0.00	8	1,394.00
			2009-10	4	614.00	0	0.00	4	614.00
			2010-11	4	509.92	0	0.00	4	509.92
			2011-12	12	2,611.49	0	0.00	12	2,611.49
			2012-13	2	191.00	0	0.00	02	191.00
		योग		**35**	**6,646.41**	**0**	**0.00**	**35**	**6,646.41**
40	3425	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	2007-08	15	691.82	0	0.00	15	691.82
			2008-09	14	709.46	0	0.00	14	709.46
			2009-10	12	573.58	0	0.00	12	573.58
			2010-11	7	156.15	0	0.00	7	156.15
			2011-12	11	454.50	0	0.00	11	454.50
			2012-13	05	305.00	0	0.00	05	305.00
		योग		**64**	**2,890.51**	**0**	**0.00**	**64**	**2,890.51**
41	3452	पर्यटन	2007-08	12	2,000.00	11	1,950.00	1	50.00
			2008-09	10	3,100.00	9	2,525.00	1	575.00
			2009-10	9	3,200.00	9	3,200.00	0	0.00
			2010-11	11	3,235.00	0	0.00	11	3,235.00
			2011-12	8	3,235.00	0	0.00	8	3,235.00
		योग		**50**	**14,770.00**	**29**	**7,675.00**	**21**	**7,095.00**
42	3454	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	2010-11	1	910.00	1	910.00	0	0.00
		योग		**1**	**910.00**	**1**	**910**	**0**	**0**
43	3604	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति	2007-08	127	52,301.23	0	0.00	127	52,301.23
			2008-09	69	50,446.19	1	53.48	68	50,392.71
			2009-10	137	45,092.14	2	268.11	135	44,824.03
			2010-11	177	69,265.13	16	154.11	161	69,111.02
			2011-12	205	69,221.95	1	238.34	204	68,983.61
			2012-13	92	43,166.27	0	0.00	92	43,166.27
		योग		**807**	**3,29,492.91**	**20**	**714.04**	**787**	**3,28,778.87**
44	4202	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	2007-08	3	2,016.42	3	2,016.42	0	0.00
			2008-09	3	3,700.00	3	3,700.00	0	0.00
			2009-10	1	500.00	1	500.00	0	0.00
		योग		**7**	**6,216.42**	**7**	**6,216.42**	**0**	**0.00**
45	4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	2007-08	1	1,200.00	1	1,200.00	0	0.00
		योग		**1**	**1,200.00**	**1**	**1,200.00**	**0**	**0.00**
46	4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडें वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	2007-08	102	751.56	101	745.03	1	6.53
			2008-09	63	610.52	61	565.02	2	45.50
			2009-10	70	1,394.73	70	1,394.73	0	0.00
			2010-11	73	1,482.56	0	0.00	73	1,482.56
		योग		**308**	**4,239.37**	**232**	**2,704.78**	**76**	**1,534.59**
47	4515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	2007-08	34	3,585.65	34	3,585.65	0	0.00
			2008-09	11	832.00	11	832	0	0.00
			2009-10	32	2,541.60	31	2,453.60	1	88.00
			2010-11	23	3,428.60	0	0.00	23	3,428.60
		योग		**100**	**10,387.85**	**76**	**6,871.25**	**24**	**3,516.60**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	4801	बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2007-08	1	0.03	1	0.03	0	0.00
			2008-09	1	0.03	1	0.03	0	0.00
			2009-10	3	0.10	3	0.1	0	0.00
योग				**5**	**0.16**	**5**	**0.16**	**0**	**0.00**
49	4851	ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	2007-08	1	37.48	1	37.48	0	0.00
			2008-09	1	1,017.41	1	1,017.41	0	0.00
			2009-10	1	600.91	1	600.91	0	0.00
			2010-11	4	1,371.23	0	0	4	1,371.23
योग				**7**	**3,027.03**	**3**	**1,655.80**	**4**	**1,371.23**
50	5054	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	2008-09	2	2,212.10	2	2,212.10	0	0.00
योग				**2**	**2,212.10**	**2**	**2,212.10**	**0**	**0.00**
महायोग				**35014**	**15,59,531.61**	**20112**	**6,73,093.56**	**14902**	**8,86,438.05**

परिशिष्ट-3.2

(संदर्भः कंडिका-3.2.1; पृष्ठ-66)

सीएजी (डीपीसी) अधिनियम की धारा 14 के तहत पहचान की गयी लेखा परीक्षा योग्य इकाइयों की सूची

स. क्रं	प्राप्तकर्ता	तक अंकेक्षित
1	मिशन निदेशक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन	निरंक
2	निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	2009-10
3	कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण	निरंक
4	वित्तीय नियंत्रक, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर	निरंक
5	जिला आयोजक, आदिम जाति कल्याण	निरंक
6	प्राचार्य, चितानी मितानी दूबे महाविद्यालय, बिलासपुर एवं अन्य महाविद्यालय	निरंक
7	कार्यपालन अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	निरंक
8	प्रबंध संचालक, पर्यटन मंडल	2011-12
9	रजिस्ट्रार, रवि शंकर विश्वविद्यालय	निरंक
10	प्रबन्ध संचालक, सहकारी शक्कर कारखाना	निरंक
11	नोडल अधिकारी, मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम	निरंक
12	निदेशक, गैर नवीकरण उर्जा विकास प्राधिकरण	निरंक
13	मिशन निदेशक, यूरोपियन आयोग राज्य सांझेदारी कार्यक्रम	निरंक
14	छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ	निरंक
15	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ इन्फोटेक एवं बायोटेक प्रमोशन सोसायटी	2012-13
16	नोडल अधिकारी, संजीवनी कोष	निरंक
17	मिशन निदेशक, राज्य बागबानी विकास समिति	निरंक
18	छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी कल्याण आवासीय और आश्रम शिक्षा संस्थान	निरंक
19	रजिस्ट्रार, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय	निरंक
20	परियोजना अधीक्षक,एकीकृत आदिवासी कल्याण विकास परियोजना	निरंक
21	कार्यपालन निदेशक, छत्तीसगढ विज्ञान और प्रौद्यौगिकी परिषद	निरंक
22	प्राचार्य, सैनिक विद्यालय	निरंक
23	रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय	निरंक
24	प्राचार्य, पशु चिकित्सा महाविद्यालय	निरंक
25	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर विकास प्राधिकरण	निरंक
26	सचिव, बैगा विकास प्राधिकरण, कबीरधाम	निरंक
27	रजिस्ट्रार,, आयुष और चिकित्सा विश्वविद्यालय	निरंक
28	प्रबन्ध निदेशक, खादी ग्रामोद्योग	निरंक
29	महाप्रबन्धक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र	निरंक
30	रजिस्ट्रार, सरगुजा विश्वविद्यालय	निरंक
31	रजिस्ट्रार, कुशाभाउ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय	निरंक
32	प्रबन्ध निदेशक, दंतेश्वरी मैया सहकारी चीनी मिल एवं अन्य	निरंक
33	प्रबन्ध निदेशक, रायपुर दूग्ध उत्पादन महासंघ	निरंक
34	रजिस्ट्रार, बस्तर विश्वविद्यालय	निरंक
35	हस्तशिल्प विकास और विपणन सहकारी संघ	निरंक
36	प्रबन्ध निदेशक, हस्तशिल्प विकास मंडल	निरंक
37	परियोजना अधिकारी, बाल विकास परियोजना	निरंक
38	प्रबन्ध निदेशक, छत्तीसगढ़ महिला कोष	निरंक
39	रजिस्ट्रार, पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय	निरंक
40	बुनकर सहकारी समिति	निरंक
41	कार्यपालन निदेशक, जनजातिय विकास कार्यक्रम	निरंक

परिशिष्ट - 3.3

(संदर्भः कंडिका-3.3; पृष्ठ-67)

(वर्ष 2013-14 के अंत तक बकाया ए.सी देयकों का विभागवार विवरण)

(₹ लाख में)

स. क्रं	मुख्य शीर्ष	देयकों की संख्या	राशि
1	2014 न्याय एवं प्रशासन	2	0.44
2	2425 सहकारिता	3	5,297.00
3	2401 फसल कृषि-कर्म	12	17.73
4	2015 मतदान	4	0.38
5	2405 मछली पालन	14	14.26
6	2406 वानिकी एवं वन्य जीव	11	602.17
7	2202 सामान्य शिक्षा	3	0.12
8	2852 उद्योग	3	193.24
9	2056 जेल	1	0.39
10	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	5	4.97
11	2203 तकनीकी शिक्षा	4	0.09
12	2851 ग्राम तथा लघु उद्योग	21	181.75
13	2225 अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजतियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	4	0.15
	योग	**87**	**6,312.69**

परिशिष्ट - 3.4

(संदर्भः कंडिका-3.4; पृष्ठ-68)

चोरी, गबन एवं शासकीय सम्पत्ति/सामग्री की कमियों के कारण शासन को हानियों के प्रकरणों के संदर्भ में विभागवार/श्रेणीवार विवरण

(₹ लाख में)

स.क्रं	विभाग/ईकाई का नाम	चोरी के प्रकरण		गबन प्रकरण		सरकारी भंडार/ सामग्री की हानि		योग	
		प्रकरण संख्या	राशि	प्रकरण संख्या	राशि	प्रकरण संख्या	राशि	प्रकरण संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	उच्च शिक्षा	8	8.92	-	-	5	5.35	13	14.27
2	कला एवं संस्कृति	1	0.81	-	-	-	-	1	0.81
3	जिला प्रशासन	1	0.67	3	0.85	4	3.00	8	4.52
4	कोष एवं लेखा प्रशासन	3	0.20	4	7.78	4	11.81	11	19.79
5	तकनिकी शिक्षा	4	0.00	1	1.91	9	51.12	14	53.03
6	आदिम जाति	3	0.91	1	0.47	15	16.39	19	17.77
7	विक्रय एवं व्यापार कर	1	0.02	-	-	-	-	1	0.02
8	महिला एवं बाल विकास	1	3.50	1	0.00	2	2.28	4	5.78
9	शिक्षा	31	12.76	12	14.92	29	107.60	72	135.28
10	पुलिस	24	9.11	-	-	340	120.82	364	129.93
11	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	5	0.31	8	1.27	19	2.00	32	3.58
12	तहसील	3	0.52	12	6.33	-	-	15	6.85
13	राज्य आबकारी	-	-	1	2.37	3	3.07	4	5.44
14	पशुपालन	4	0.59	-	-	123	11.69	127	12.28
15	लोक सेवा आयोग	-	-	-	-	1	3.16	1	3.16
16	सहकारिता	-	-	-	-	1	96.26	1	96.26
17	पंचायत एवं समाज कल्याण	-	-	-	-	3	0.29	3	0.29
18	डेयरी विकास	1	0.20	-	-	1	0.02	2	0.22
19	रेशम	3	0.15	-	-	5	0.54	8	0.69
20	जिला एवं सत्र न्यायालय	5	0.86	4	10.25	2	1.66	11	12.77
21	खनिज संसाधन विभाग	-	-	-	-	5	3.70	5	3.70
22	श्रम एवं रोजगार	9	3.01	-	-	3	0.63	12	3.64
23	खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	-	-	-	-	4	0.23	4	0.23
24	फसल कृषि कर्म	1	0.24	-	-	7	8.49	8	8.73
25	आदिम जाति/ आदिम जन जाति एवं अन्य पिछडा वर्ग का कल्याण	1	0.00	3	0.52	10	2.70	14	3.22
26	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं	8	3.46	12	35.48	8	10.30	28	49.24
27	वन	3	0.08	-	-	842	822.83	845	822.91
28	लोक निर्माण विभाग	2	0.38	-	-	23	262.85	25	263.23
29	जल संसाधन विभाग	9	4.37	-	-	12	210.43	21	214.80
30	भूमि संरक्षण	-	-	-	-	1	0.00	1	0.00
31	वित्त और सांख्यिकी निदेशालय	1	0.05	-	-	-	-	1	0.05
32	कलेक्ट्रेट	-	-	2	0.38	1	0.08	3	0.46
33	परिवहन विभाग	-	-	-	-	1	0.00	1	0.00
	योग	**132**	**51.12**	**64**	**82.53**	**1483**	**1,759.30**	**1679**	**1,892.95**

परिशिष्ट -3.5

(संदर्भः कंडिका-3.4; पृष्ठ-68)

शासन को हुई हानियों का विश्लेषण

(31 मार्च 2014 की स्थिति में अंतिम कार्यवाही हेतु लंबित विश्लेषण)

(₹ लाख में)

स. क्रं	विभाग/ईकाई का नाम	प्रकरण संख्या एवं राशि						
		पांच वर्ष तक	05 से 10 वर्ष	10 से 15 वर्ष	15 से 20 वर्ष	20 से 25 वर्ष	25 वर्ष से उपर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	उच्च शिक्षा	1 (6.04)	7 (7.37)	2 (0.25)	2 (0.11)	-	1 (0.50)	13 (14.27)
2	कला एवं संस्कृति	-	-	-	-	-	1 (0.81)	1 (0.81)
3	जिला प्रशासन	-	1 (0.20)	1 (0.20)	1 (0.67)	2 (0.18)	3 (3.27)	8 (4.52)
4	कोष एवं लेखा प्रशासन	1 (0.00)	3 (7.34)	-	1 (11.77)	-	6 (0.68)	11 (19.79)
5	तकनिकी शिक्षा	3 (46.79)	9 (5.95)	-	-		2 (0.29)	14 (53.03)
6	आदिम जाति	1 (0.50)	1 (0.25)	4 (1.46)	4 (12.67)	4 (2.13)	5 (0.76)	19 (17.77)
7	विक्रय एवं व्यापार कर	-	-	-	-	-	1 (0.02)	1 (0.02)
8	जेल	-	-	-	-	-	-	-
9	महिला एवं बाल विकास	-		1 (1.96)	1 (0.00)	1 (3.50)	1 (0.32)	4 (5.78)
10	शिक्षा	4 (44.34)	8 (46.90)	6 (22.93)	1 (0.51)	19 (12.34)	34 (8.26)	72 (135.28)
11	पुलिस	150 (40.77)	137 (40.01)	44 (25.79)	14 (18.97)	19 (4.39)	-	364 (129.93)
12	जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	-	-	-	-	5 (0.88)	27 (2.70)	32 (3.58)
13	तहसील	-	3 (0.98)	-	-		12 (5.87)	15 (6.85)
14	राज्य आबकारी		1 (1.49)	2 (3.94)	-	-	1 (0.01)	4 (5.44)
15	पशुपालन	50 (5.38)	69 (3.58)	2 (1.84)	-	1 (0.73)	5 (0.75)	127 (12.28)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	लोक सेवा आयोग	-	1 (3.16)	-	-	-	-	1 (3.16)
17	सहकारिता	-	-		1 (96.26)	-	-	1 (96.26)
18	पंचायत एवं समाज कल्याण	-	1 (0.00)	1 (0.23)	-	-	1 (0.06)	3 (0.29)
19	डेयरी विकास	-	-	1 (0.20)	1 (0.02)	-	-	2 (0.22)
20	रेशम	1 (0.00)	6 (0.65)	-	-	-	1 (0.04)	8 (0.69)
21	जिला एवं सत्र न्यायालय	3 (0.75)	3 (1.19)	3 (10.08)	1 (0.21)	1 (0.54)	-	11 (12.77)
22	खनिज संसाधन विभाग	5 (3.70)	-	-	-	-	-	5 (3.70)
23	श्रम एवं रोजगार	2 (0.50)	3 (2.20)	2 (0.52)	1 (0.05)	1 (0.02)	3 (0.35)	12 (3.64)
24	खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	-	-	1 (0.10)	-	-	3 (0.13)	4 (0.23)
25	आदिम जाति/ आदिम जन जाति एवं अन्य पिछडा वर्ग का कल्याण	1 (0.00)	-	-	-	4 (0.63)	9 (2.59)	14 (3.22)
26	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं	1 (9.85)	5 (1.74)	1 (30.75)	6 (2.41)	5 (2.40)	10 (2.09)	28 (49.24)
27	फसल कृषि कर्म	2 (0.16)	5 (5.59)	1 (2.98)	-	-	-	8 (8.73)
28	वन	15 (59.28)	49 (105.89)	131 (235.91)	186 (144.61)	167 (112.25)	297 (164.97)	845 (822.91)
29	लोक निर्माण विभाग	15 (183.92)	10 (79.31)	-	-	-	-	25 (263.23)
30	जल संसाधन विभाग	8 (38.26)	13 (176.54)	-	-	-	-	21 (214.80)
31	भूमि संरक्षण	-	1 (0.00)	-	-	-	-	1 (0.00)
32	वित्त और सांख्यिकी निदेशालय	1 (0.05)	-	-	-	-	-	1 (0.05)
33	कलेक्ट्रेट	-	-	-	-	-	3 (0.46)	3 (0.46)
34	परिवहन विभाग	-	-	-	-	1 (0.00)	-	1 (0.00)
	योग	**264 (440.29)**	**336 (490.34)**	**203 (339.14)**	**220 (288.26)**	**230 (139.99)**	**426 (194.93)**	**1,679 (1,892.95)**